खण्ड-164, अंक-7
मंगलवार, 27 पौष, शक संवत् 1877
(17 जनवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ जनवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराऊल हक, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज ज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री

जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री

भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मुन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अघमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, खी
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री

रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद,श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ जनवरी, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत शरणार्थियों के लिए ऋण लेने का नियम

**१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो रुपया कम आमदनी वाले नागरिकों को कर्ज के रूप में मकान बनाने के लिये दिया जाने वाला है उस रुपये में से शरणार्थियों को भी उसी प्रकार से कर्ज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां। अब शरणार्थियों को भी उसी प्रकार से कर्ज दिया जायेगा जिस प्रकार और कम आमदनी वाले नागरिकों को कर्ज दिया जा रहा है। प्रतिबन्ध यह है कि वे Relief and Rehabilitation की किसी Scheme के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये उन्होंने कोई कर्ज न लिया हो और न लें।

गढ़वाल जिले में पुलिस का बढ़ाया जाना

**२—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल की प्रत्येक पट्टी में पटवारी के स्थान पर पुलिस चौकियां खोली जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

पुलिस उप-मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी नहीं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि टेहरी-गढ़वाल में पुलिस आफिसर पर पुलिस कांस्टेबिलों की तादाद बढ़ा दी गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ तो बढ़ायी गयी है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है उनमें पुलिस का काम पुलिस अफसर करेंगे या जो वहां पुरानी रेवेन्यू अथारिटीज काम करती थीं वही करेंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिसके सुपुर्द जो काम है वह उसी को करता रहेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—अभी तक तो पुलिस का काम वहां की रेवेन्यू अथारिटीज करती थीं तो अब पुलिस वालों का क्या काम होगा या किस तरह से उनके कार्य का विभाजन किया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई नयी प्रणाली स्थापित नहीं हुई है, जैसी थी वैसी ही है।

श्री गंगाधर मैठाणी—यदि पुरानी प्रणाली से कार्य होता रहेगा तो जो अफसर वहां नियुक्त कर दिये गये हैं वे क्या करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनके लिये बहुत से अतिरिक्त कार्य पैदा हो गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या यह सत्य है कि पटवारी वहां आज तक पुलिस का काम करता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, बहुत अर्से से।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि गढ़वाल में बार्डर की स्पेशल सिचुएशन की वजह से वहां पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह भी एक कारण है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी उन सभी कार्यों को बतलाने की कृपा करेंगे जिनके कारण पटवारियों के अलावा पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पड़ी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पुलिस चौकियां तो कहीं नहीं खोली गयी हैं और न मैंने यह कहीं कहा है। बाकी क्यों पुलिस बढ़ायी गयी है इसका कारण बतलाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

लेखपालों को इन्दराज संबंधी कथित आदेश

**३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लेखपालों को इन्दराज संबंधी कोई नया आदेश दिसम्बर, सन् ५५ में दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—प्रदेश के लेखपालों को इन्दराज संबंधी कोई नया आदेश दिसम्बर, सन् १९५५ में नहीं दिया गया है। अतः बाद का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है कि मुतनाजा खेतों पर पड़ताल करने के पहले दोनों पक्ष के किसानों को और गांव सभा के प्रधान को पड़ताल करने की तारीख और समय की सूचना दे और वह रोजनामचा में भी दर्ज करे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जैसा कहा गया है सन् ५५ के बाद आर्डर नहीं दिया गया है। जो आर्डर गया था वह जुलाई सन् ५४ में गया था। इधर कोई आदेश नहीं गये हैं।

ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों में हरिजन

**४—श्री पूत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत चुनाव में कुल कितने ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर चुने गये और उनमें से कितने हरिजन थे ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)—गत चुनाव में, जो कि जुलाई, १९५४ में हुआ था, १०४ ब्लाक डेवलपमेंट अफिसर चुने गये थे और इनमें से ५ हरिजन थे।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १८ प्रतिशत के हिसाब से १४ स्थानों की कमी क्यों रखी गयी ?

श्री फूलसिंह—साधारणतया ५० प्रतिशत नम्बर हासिल करने वालों को चुना गया है। हरिजनों को ४५ प्रतिशत नम्बर हासिल करने पर भी चुन लिया गया है और उस पैमाने से कुल ५ आदमी कामियाब हुये हैं जिनमें से संभव है कि एक निकाला जाय।

श्री पुत्तूलाल—क्या गवर्नमेंट का ऐसा विचार है कि अगर किसी स्थान के लिये हरिजन उम्मीदवार मिनिमम क्वालिफिकेशन होल्ड करता हो तो उसको रिजर्वेशन के अनुसार पूरी संख्या में चुन लिया जाना चाहिये, भले ही उसका मेरिट में कोई भी स्थान हो ?

श्री फूलसिंह—हरिजनों के लिये रिआयत तो रखी गयी है।

श्री पुत्तूलाल—मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा आर्डर है कि अगर कोई हरिजन मिनिमम क्वालिफिकेशन होल्ड करता हो तो उसको चुन लिया जाना चाहिये ?

श्री फूलसिंह—ऐसा नहीं, वह सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाते हैं और वहां रियायत रखी जाती है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने छात्रों की दरख्वास्तें आई थीं ?

श्री फूलसिंह—७१।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चुनाव का क्या तरीका था और कौन-कौन व्यक्ति दरख्वास्तें देने के अधिकारी थे ?

श्री फूलसिंह—यह चुनाव जुलाई, १९५४ में हुआ था और ग्रेजुएट्स आम तौर से दरख्वास्त देने के लिये बुलाये गये थे और सैकिंड डिवीजनर्स को काल किया गया था और हरिजन थर्ड डिवीजनर्स को भी बुला लिया गया था।

श्री मोहनलाल गौतम—यह किस तरह से चुने गये थे ?

श्री फूलसिंह—एक कमेटी बनी थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उम्मीदवार बुलाये गये थे उनका इम्तहान लिया गया था और कुछ मिनिमम नम्बर मुकर्रर किये गये थे ?

श्री फूलसिंह—इंटरव्यू हुआ था और इम्तहान भी लिया गया था और नम्बर भी मुकर्रर किये गये थे। हरिजनों के लिये रियायत थी कि थर्ड डिवीजनर्स भी बुलाये गये थे और ग्रामीण प्रकृति के लोगों के लिये रियायत रखी गयी है और पोलिटीकल सफरर्स के लिये भी रियायत रखी गई है।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार, जब जी० ओ० पेश किया जाय तो गत चुनाव के बचे हुये स्थान जो अब भरे जा रहे हैं, उनको पूर्ण करने की कोशिश करेगी ?

श्री फूलसिंह—यह प्रश्न विचाराधीन है।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में फीस मुआफी का व्योरा

**५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, सन् १९५५ में बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के छात्रों की फीस मुआफी के संबंध में प्रत्येक जिले में उन्होंने कितनी-कितनी रकम प्रदान की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दिसम्बर, १९५५ में फीस माफी के लिये जो धनराशियां स्वीकृत की गई, उनका विवरण इस प्रकार है:—

नाम जिला	स्वीकृत धनराशि
	रु०
१—फैजाबाद	१,५०,०००
२—आजमगढ़	९,०००
३—जौनपुर	१,००,०००
४—प्रतापगढ़	१६,०००
५—बलिया	७०,०००
६—सुल्तानपुर	७०,०००
योग ..	४,१५,०००

मुख्य मंत्री के विपत्ति-सहायता कोष से कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को सहायता

**६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के छात्रों की फीस मुआफी के संबंध में कितनी-कितनी रकम दिसम्बर, सन् १९५५ तक प्रदान की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के छात्रों की फीस मुआफी के संबंध में सरकार ने कोई रकम नहीं दी है, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिये मुख्य मंत्री के विपत्ति सहायता कोष से विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों तथा कालेजों के प्रिंसिपलों को ५६,५०० रु० दिसम्बर, १९५५ तक प्रदान किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि प्रदान की की गई है उनके यहां से अलग-अलग कितने रुपये की मांग आई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो धनराशि प्रदान की गई है, क्या यह अन्तिम धनराशि है और कुछ बाकी है जो दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगर जरूरत होगी तो और भी दी जा सकती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले को अभाव-ग्रस्त मान कर ५,३५,००० रुपये की छूट दी गई है तो वहां के विद्यार्थियों की फीस माफ क्यों नहीं की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये मालूम नहीं क्यों नहीं दिया गया, शायद वहां जरूरत नहीं होगी।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो छात्र टेक्निकल स्कूल्स में पढ़ते हैं और जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र से आते हैं उनकी भी फीस माफ की गई है इसमें या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कालेजेज के लिये बतलाया गया कि उनमें जो विद्यार्थी बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के पढ़ते हैं, उनको ही दिया जाता है और बाकी को नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन विश्वविद्यालयों को इसमें से रकम दी गई है और कितनी-कितनी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह इस प्रकार है—

	रु०
हिन्दू विश्वबिद्यालय, बनारस	१५,०००
इलाहाबाद विश्वविद्यालय	५,०००
आगरा विश्वविद्यालय	४,५००
लखनऊ विश्वविद्यालय	१०,०००
डी० ए० वी० कालेज, कानपुर	२,०००
काशी विद्यापीठ, बनारस	५,५००
वी० एन० एस० डी० कालेज, कानपुर	१,०००
शिब्ली कालेज, आजमगढ़	७,५००
तिलकधारी कालेज, जौनपुर	१,०००
हेविट इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ	५,०००
कुल योग ..	५६,५००

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मथुरा और अलीगढ़ जिलों में, जिनमें कि यमुना का बाढ़ का काफी प्रकोप रहा, वहां के बाढ़ ग्रसित लोगों के बच्चों को इस रियायत में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वहां के विद्यार्थी शायद ज्यादा संपन्न रहे हों, इसलिये उनको मदद देने की कोई जरूरत नहीं समझी गई और न उनकी तरफ से कोई मांग आई ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन छात्रों को जो विश्वविद्यालय के अतिरिक्त रुपया प्रदान किया गया, वह उनमें बांट दिया गया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो फीस के संबंध में था । उप-कुलपतियों और प्रिंसिपल्स को दे दिया गया था कि जहां जरूरत हो उसे फीस में एडजस्ट कर दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहली जनवरी, १९५६ से मार्च तक जो सहायता फीस माफी के संबंध में दी जा रही है, क्या उसको वह जारी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो उसका समय मुकर्रर है, उस समय तक के लिये दिया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में हाहानाला योजनान्तर्गत बांध की भूमि का मुआवजा न मिलने की शिकायतें

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हाहानाला योजना के अन्तर्गत दुबारी से हाहा तक बनने वाले बांध में पड़ने वाले खेतों की सन् ५५ की रबी और खरीफ की फसल को बिना मुआवजा दिये ही ठेकेदारों द्वारा कटवा कर बांध निर्माण कराने की शिकायत अगस्त और सितम्बर, सन् ५५ में उनके उनके पास आई है ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)—एक प्रार्थना-पत्र गत रबी फसल के कटने के संबंध में तथा ३ प्रार्थना-पत्र खरीफ के मुआवजे के सम्बन्ध में अगस्त व सितम्बर, १९५५ में प्राप्त हुए थे ।

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि उपर्युक्त खेतों और फसलों का मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है और उनकी मालगुजारी भी उन्हीं को देनी पड़ रही है ?

श्री राममूर्ति—१९५५ की रबी फसल सिंचाई विभाग द्वारा नहीं काटी गई । अतः उसके मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक खरीफ का प्रश्न है, जिन कृषकों की फसल काटी गई उनमें से अधिकतर का मुआवजा दे दिया गया है । भूमि के मुआवजे के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

खरीफ १९५५ की मालगुजारी की वसूली अभी स्थगित है ।

*३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में दुबारी, जिला आजमगढ़ में नियुक्त अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट के यहां ठेकेदारों ने फसल उखाड़ने में पुलिस की मदद की मांग की थी ?

श्री राममूर्ति—अगस्त के प्रथम सप्ताह तथा उसके पश्चात् भी किसी ठेकेदार ने अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट के यहां फसल उखाड़ने के लिये पुलिस की मदद की मांग नहीं की थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५५ में रबी की फसल जो काटी गई थी वह किसके द्वारा काटी गई थी और क्या उसी जमीन पर बांध बना है ?

श्री राममूर्ति—इसका तरीका यह रखा गया था कि जिन-जिन गांवों में बांध बना है उन्हीं के सुपुर्द यह काम कर दिया गया था और उन्हीं लोगों ने यह काम किया था। केवल दो ठेकेदार एम्प्लाय किये गये थे। बाकी गांव के लोग थे और उन्हीं ने अपना इंतजाम किया और अपनी फसल कटवाई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैंने पूछा था कि रबी की फसल काटी गई थी या नहीं और काटी गई थी तो किसके द्वारा ? इसका स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं मिला।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—संभव है काटी गई हो, लेकिन अगर काटी गई, तो गांव-सभाओं के जरिये काटी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सूचना मंत्री फिर से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि गांव सभा के जरिये से न कटवाकर ठेकेदार या गांव-सभा ने ठेके पर बांध बनवाया और कटवाया। यदि हां, तो जिस तरह से खरीफ का मुआवजा दिया गया है तो उसी तरह से रबी का मुआवजा नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि सिर्फ दो ठेकेदारों के जरिये से काम कराया गया, बाकी सब काम गांव के काश्तकारों के जरिये से हुआ। वहां के रहने वालों ने जब इसको किया तो फिर इसका सवाल कहां पैदा होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या सन् १९५५ की रबी की फसल की मालगुजारी किसानों ने उस जमीन की दे रखी है जिस पर बांध बना हुआ है ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५५ की खरीफ की मालगुजारी स्थगित की गयी है तो मेरे ख्याल में रबी की भी स्थगित रही होगी उस वक्त तक।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार फिर से इसकी जानकारी करेगी कि जहां पर खेतों की मिट्टी निकाल कर बांध बना है और जिन खेतों पर बांध बना है उन सब की रबी की फसल की मालगुजारी वसूल की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रबी की फसल की मालगुजारी वसूल हुई या नहीं, इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करके जवाब दिया जा सकता है क्योंकि मालगुजारी से मेरे विभाग का ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि तरीका यह है कि जो फसल हम काटते हैं उसका तुरन्त ही मुआवजा हम दे देते हैं और जो जमीन ली जाती है उसके अधिकृत करने की कार्यवाही के अनन्तर यह होता है कि मुआवजा तय होने पर उसका मुआवजा उनको दिया जाता है।

कलेक्टरगंज पड़ाव, कानपुर में बैलगाड़ियां खड़ी करने में असुविधा संबंधी अभ्यावेदन

*४—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि कलेक्टरगंज पड़ाव, कानपुर में देहात से आई हुई बैलगाड़ियों को खड़े होने में असुविधा होने लगी है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां । इस असुविधा के निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) नगर की जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण अनाज की गाड़ियां अधिक आने लगी हैं । इस कारण आवश्यकतानुसार जगह कम पड़ गई है ।

(२) शर्णार्थियों ने अनेक ट्रांसपोर्ट कम्पनियां बिना आज्ञा के स्थापित कर ली हैं ।

(३) कन्ट्रोल के समय बोर्ड ने अनाज, गुड़, किराना और कपड़े के कुछ नये परमिट कलेक्टरगंज में दे दिये थे ।

*५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में ऐडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर और सरकार के पास कुछ अभ्यावेदन आये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं और सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । अभ्यावेदन देहात से आई बैलगाड़ियों के खड़े होने की असुविधा और सड़कों की खराबी और गन्दगी के संबंध में है । सड़कों का सुधार हो गया है और अब बोर्ड कलेक्टरगंज बाजार को बाबूपुरवा में हटाने का प्रबन्ध कर रहा है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड बाइलाज में कलेक्टरगंज के पड़ाव के सिलसिले में केवल यह है कि वहां पर बैलगाड़ी खड़ी की जाय और कोई दूसरे इस प्रकार के साधन न खड़े किये जायं ?

श्री सैयद अली जहीर—पड़ाव की गर्ज यह है कि बैलगाड़ी खड़ी हो । वहां बाइलाज में क्या लिखा हुआ है इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जैसा उत्तर में बतलाया गया कि वहां पर ट्रांसपोर्ट कम्पनी बिना आज्ञा स्थापित कर ली है,तो क्या सरकार इस प्रकार की चीजों को हटाने का कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको हटाया जाय जैसा कि दूसरे सवाल के जवाब में बतलाया गया कि वहां से यह खुद ही हट रहे हैं । तो यह भी मसला जेरेगौर है कि जब पड़ाव ही हट रहा है तो वहां से इसको हटाया जाय या उसको हटाया जाय ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बाबूपुरवा से वर्तमान गल्ला बाजार कितने फासले पर है या क्या वहां पर और बाजार भी है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि कितना फासला है ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सन् १९५२ में कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ने इन गाड़ीवानों की असुविधा को ध्यान में रख कर सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था कि कलेक्टरगंज में एक गाड़ी खड़ा करने का अड्डा बनाया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इसकी इस वक्त मुझे इत्तिला नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—कलेक्टरगंज का मैदान बाबूपुरवा में कब तक चला जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—लगभग १८ महीने लगेंगे ।

*६-८—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—[स्थगित किये गये ।]

बाह तहसील, जिला आगरा के पंचायतों के बजट पास करने के संबंध में जानकारी

*९—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाह तहसील, जिला आगरा में जितनी पंचायतें हैं उनमें कितनों में ग्राम-समाजों की मीटिंग अभी तक एक भी नहीं हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—नियमानुसार ग्राम-समाजों की कोई मीटिंग होना आवश्यक नहीं है ।

*१०—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—यदि नहीं हुई, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी पंचायतों के बजट किस प्रकार पास हुये ?

श्री सैयद अली जहीर—पंचायतों के बजट ग्राम-समाजों के सामने प्रस्तुत नहीं होते, वरन् ग्राम-सभा पास करती है ।

मिर्जापुर जिले के अहरौरा नोटीफाइड एरिया में पेय-जल-कष्ट-निवारण में विलम्ब

*११—श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि अहरौरा, (मिर्जापुर) नोटीफाइड एरिया में पीने वाला पानी कठिनाई से मिलता है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

*१२—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार द्वारा मांगी गई रकम १,५०० रुपया भी नोटीफाइड एरिया की ओर से जब जमा हुये करीब ५ महीने बीत रहे हैं तब अभी तक वहां कोई काम क्यों नहीं हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—यह ठीक है कि मांगी हुई फीस की प्रथम किस्त जमा हो गई है । इस संबंध में चीफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग विभाग ने काम शुरू कर दिया है और उनका अब trial ट्यूबवेल तैयार करने का प्रस्ताव है, उसका परिणाम देखने के बाद ही पूरी स्कीम तैयार की जावेगी ।

रामपुर नगरपालिका को सड़कों के नव-निर्माणार्थ दिये गये अनुदान के संबंध में पूछताछ

*१३—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—दिनांक ११ अक्तूबर, १९५५ के प्रश्न संख्या ४१–४२ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४–५५ में सरकार से प्राप्त अनुदान को रामपुर नगरपालिका ने ३० सितम्बर, १९५५ तक नगर की किस-किस सड़क के बनवाने में क्या-क्या व्यय किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस संबंध में पहले प्राप्त सूचना के आधार पर यह बताया गया था कि सन् १९५४–५५ में दिया गया धन सड़कें बनाने में व्यय हो रहा है, किन्तु बाद में जिलाधीश से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चला कि उस समय तक सड़कों का निर्माण वास्तविक रूप से प्रारम्भ नहीं हुआ था, और न कोई धन व्यय हुआ था लेकिन निम्नलिखित सड़कों के निर्माण के लिये टेन्डर मंजूर हो चुके थे और कार्य शुरू होने वाला था ।

१—सड़क कोतवाली से पीला तालाब ।
२—सड़क बरेली दरवाजा से मसजिद हजूरउद्दीन साहब मोहल्ला सूजर टोला ।
३—सड़क राजद्वारा से सदर शफाखाना ।
४—सड़क सदर शफाखाना से सराय दरवाजा ।

५—सीमेन्ट सड़क बाजार नसुरउल्ला खां से पोस्ट आफिस बराहे मसजिद चर्ख वाली।

६—सड़क शाहबाद दरवाजा से बरेली दरवाजा ।

७—सड़क बाग पुखता से गंज कदीम ।

८—सड़क खुसरो बाग से मजार हाफिज जमाल उल्ला साहब।

९—सड़क घेर मरदान खां से दो मेहाला रोड।

१०—सड़क खुसरो बाग से जिला जेल।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये जो कार्य शुरू होने वाले थे ये १९५४-५५ के अनुदान में थे या १९५५-५६ में ?

श्री कैलाशप्रकाश—जो अनुदान म्युनिसिपल बोर्ड को दिये गये हैं यह उन सबके विषय में है ।

श्री कृष्णशरण आर्य—ये कार्य क्या अब भी शुरू हो चुके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके मुताल्लिक सूचना नहीं है।

पंचायत टैक्स का बकाया मुआफ करने का सुझाव

*१४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने बाढ़ से अधिक क्षति ग्रस्त होने के कारण जौनपुर जिले में पंचायत टैक्स का सन् १९५५ तक का बकाया माफ कर दिया ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ?

*१५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने जौनपुर तथा अन्य बाढ़-ग्रस्त जिलों के लिये कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि पंचायतों का जो चुनाव होने वाला है उसमें पंचायत टैक्स का बकाया न दे सकने के कारण कोई उम्मीदवार अयोग्य नहीं माना जायेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले की पठानपुर गांव सभा के सेक्रेट्री ने एक पार्टी से मिलकर दूसरी पार्टी के पंचायत के उम्मीदवार से पंचायत टैक्स का बकाया नहीं लिया और रजिस्टर ले कर गायब हो गया जिसके फलस्वरूप उनके नाम खारिज कर दिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पंचायत टैक्स का बकाया न अदा करने के कारण जौनपुर जिले में कितने व्यक्तियों के पर्चे खारिज किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—ये आंकड़े मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया इसकी जांच करवाएगी कि कितने आदमियों के पर्चे खारिज किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, अगर माननीय सदस्य किसी खास जिले के संबंध में चाहेंगे तो उसके आंकड़े मंगाये जा सकते हैं ।

*१६—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया।]

डेवलपमेंट कमिश्नर, कुमाऊं रीजन, नैनीताल द्वारा प्रस्तावित कोसी नदी संबंधित पंम्पिग योजनायें

*१७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमाऊं सर्वे डिवीजन नैनीताल ने कोस्यां घाटी से सिंचाई हेतु पंपिग स्कीम की कुछ योजनायें सरकार के विचारार्थ भेजी हैं ? अगर हां, तो वे क्या-क्या योजनायें हैं, और उनको कार्यान्वित करने के हेतु सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, कुमाऊं सर्वे डिवीजन, नैनीताल ने ऐसी कोई योजना सरकार के विचारार्थ नहीं भेजी है । पर डेवलपमेंट कमिश्नर, कुमाऊं रीजन, नैनीताल ने निम्नलिखित बस पंम्पिग योजनायें कोसी नदी से प्रस्तावित की थीं :

(१) बुंदेरी योजना
(२) बरधाऊं ,,
(३) चंगरेती ,,
(४) अमेल ,,
(५) चपर ,,
(६) बिसजुली ,,
(७) मल्ली सेठी ,,
(८) तल्ली सेठी ,,
(९) ओखलदूंगा ,,
(१०) सौनाली ,,

परन्तु जब तक कोसी नदी में पानी की वृद्धि न हो, ये योजनायें कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं । उक्त नदी में पानी की सप्लाई बढ़ाने के साधनों के लिये जांच कराई जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नदी में पानी की वृद्धि कराने के हेतु और उसे बढ़ाने के साधनों की जांच के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—सहायक नदी कुचारी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिये सर्वे किया जा रहा है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—पानी के पंम्पिग सेटों को चलाने के लिये बिजली का इन्तजाम किया जायगा या वे डिजिल आयल से चलाये जावेंगे ?

श्री राममूर्ति—जब यह तय हो जायगा कि यहां पर पानी लिफ्ट की स्कीम चलाई जायगी तो बिजली या आयल का सवाल तय होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अमेल नाम की स्कीम जो चौथे नम्बर पर है इसमें पिछले साल काम हुआ था और कुमाऊं सर्वे डिवीजन ने फिर यहां बिजली से पंम्पिग की कोई योजना भेजी है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है ।

चांदपुर, जिला बिजनौर निवासियों का "वाटर वर्क्स" निर्माण रोकने के लिए प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास चांदपुर, जिला बिजनौर के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र इस प्रकार का आया है कि चांदपुर में "वाटरवर्क्स" का निर्माण न किया जाय ? अगर हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। इस समय चांदपुर वाटर सप्लाई स्कीम की काफ़ी प्रगति हो चुकी है और काफी धन व्यय हो चुका है। सरकार ने जांच-पड़ताल के पश्चात उस प्रार्थना-पत्र पर कोई भी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—इस निर्माण-कार्य में कितना व्यय होगा?

श्री कैलाशप्रकाश—इसका अनुमान ३,०६,००० रुपए के लगभग है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि चांदपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने बहुमत से इस बात का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था कि वहां पानी की प्रचुरता होने के कारण वाटरवर्क्स न बनाया जाय?

श्री कैलाशप्रकाश—उन्होंने मार्च, १९५५ में यह कहा था कि वे वहां वाटर-वर्क्स चाहते हैं और वाटर टैक्स भी लगावेंगे और उसकी शर्तें भी स्वीकार करते हैं।

श्री रतनलाल जैन—यह निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ और खत्म हो जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश—निर्माण-कार्य तो चल रहा है और आशा यह है कि मार्च, १९५६ तक समाप्त हो जायगा।

*१९—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

*२०-२१—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले में इटवा झील से बिसुई नदी तक नाली बनाने के लिए सर्वे

*२२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील की इटवा झील की बाढ़ से कितने ग्रामों की फसल को नुकसान हुआ है?

श्री राममूर्ति—सन् १९५५ की बाढ़ में इटवा झील के उमड़ जाने के कारण निम्नांकित ग्रामों तथा उप-ग्रामों को क्षति पहुंची है :—

१—इटवा गांव,
२—मझौआ,
३—खजुरी,
४—तेजापुर,
५—गोविनपुरा,
६—सकुलहा,
७—चन्दापुर,
८—रिउआ,
९—पान्डे का पुरा,

*२३—श्री उमाशंकर—क्या सिंचाई मंत्री के पास इटवा झील से पानी निकालने की कोई प्रार्थना की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री राममूर्ति—जी हां, इटवा झील से बिसुई नदी तक जल-निकास हेतु नाली बनाने के लिये सर्वे का कार्य आरम्भ हो रहा है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन क्षति-ग्रस्त गांवों को क्षति पहुंचने के कारण उसकी मालगुजारी में भी वह कुछ छूट करने जा रही है?

श्री राममूर्ति—यह हमारे विभाग की बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो उन लोगों ने कलेक्टर के पास अपनी दरख्वास्तें दी होंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इससे कितने एकड़ फसल का प्रति वर्ष नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति—यह तो बाढ़ के ऊपर है कि कितनी बाढ़ आती है। अधिक बाढ़ से अधिक नुकसान होता है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस झील से पानी सिंचाई के काम में आ सकता है ?

श्री राममूर्ति—अभी तक इसके काम का सर्वे नहीं हुआ है।

*२४-२६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये।]

नैयर डैम योजना पर व्यय

*२७—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैयर डैम की योजना कब आरम्भ की गई थी ? इसमें क्या व्यय हुआ और इसके असफल रहने के क्या कारण थे ?

श्री राममूर्ति—नैयर डैम पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया गया। इस योजना के सम्बन्ध में जांच की गई थी जिससे यह सिद्ध हुआ कि योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने योग्य है। जांच-पड़ताल के संबंध में इस योजना पर २२,३३,६२७ रु० व्यय हुए।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नायर डैम की जांच कब प्रारम्भ हुई और कब समाप्त हुई ?

श्री राममूर्ति—यह काम सन् ४९ में हुआ था बल्कि उससे पहले की बात है लेकिन इस के बारे में कोई खास कदम नहीं उठाया गया।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच करने के बाद यह स्थगित क्यों कर दिया गया ?

श्री राममूर्ति—यह तो राय का सवाल था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेशीय सरकार ने यह बात तय की थी कि पहले छोटे-छोटे कामों, छोटी-छोटी स्कीमों को ले लिया जाय, बड़ी स्कीम बाद में ली जायगी। इसके अलावा इंजीनियर्स की यह राय हुई थी कि इसकी फाउन्डेशन कमजोर रहेगी इसलिये उसके ऊपर ज्यादा व्यय होगा। इसलिये इसको स्थगित करना पड़ा।

शारदा नहर से नवीन शाखाएं निकालने पर व्यय

*२८—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा नहर और उसकी शाखाओं को कितने मील और बढ़ाया जा रहा है और कहां-कहां तक ? इस एक्सटेन्शन में कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७५ पर)

श्री शिवनाथ काटजू—शारदा नहर के अन्तर्गत जितनी शाखायें हैं वे सब बन चुकीं अथवा बनने को बाकी हैं ?

श्री राममूर्ति—शारदा नहर में जैसे जैसे पानी बढ़ता जायगा वैसे वैसे शाखाओं की संख्या भी बढ़ती जायगी। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनकी संख्या कितनी है, तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर में जो २,४७५ मील की शाखायें बढ़ायी जा रही हैं, उनके पानी का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री राममूर्ति—शारदा नहर की क्षमता साढ़े आठ हजार से साढ़े दस हजार क्यूसेक्स कर दी गयी है। दूसरे शारदा सागर बनाया जा रहा है। जिसमें पानी स्टोर किया जायगा और उससे इन नहरों को पानी दिया जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब शुरू में यह स्कीम बनी थी तब शारदा नहर की शाखायें वर्गमील कितनी थीं और उसमें कितनी बढ़ा दी गयी हैं ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २,४७५ मील लंबी शाखाओं में कब तक पानी चालू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—शारदा सागर में आने वाली बरसात से पानी रोका जायगा और उम्मीद की जाती है कि आगे की खरीफ और रबी से पानी दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर की शाखायें जितनी बढ़ाई जा रही हैं, उन पर क्या खर्चा होगा। यह सदन की जानकारी के लिये बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—यह जो बढ़ोत्तरी की जायगी उसमें ७,५७,७४,००० रुपया खर्च होगा। उसकी डिटेल्स इस प्रकार है—

प्रोजेक्ट का नाम		लम्बाई	कीमत लाखों में	क्षेत्र एकड़ों में
१—८०३ मील की योजना	..	८४५ मील	४९.९१	१,७६,०००
२—१,०६२ मील योजना	..	७८० ,,	११०.९७	१,७६,०००
३—प्रतापगढ़ शाख	..	२०० ,,	६०.८१	५०,०००
४—ट्रान्स कल्यानी	..	२०० ,,	५५.८४	६०,०००
५—शारदा सागर (प्रथम चरण)	..	४५० ,,	४८०.२१	१,७२,३७७
योग	..	२,४७५ ,,	७,५७.७४	६,३४,३७७

अलीगढ़ जिले में नानऊ से जाऊ के पुल तक नहर की पटरी को पक्की करने की योजना

*२९—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में नानऊ से जाऊ के पुल तक जो नहर रोड खारजा नहर की पटरी पर बनी हुई है उसे पक्का कराने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पक्की हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—नानऊ से जाऊ के पुल तक खारजा नहर की पटरी को पक्का कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है। कार्य के निर्माण के विषय में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*३०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रोड आम जनता के प्रयोग के लिये खोल दी जायगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राममूर्ति—उक्त योजना का उद्देश्य तो यही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसका सर्वे करा लिया गया है ? यदि हां, तो किस विभाग के द्वारा इसका निर्माण कराये जाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—इसका सर्वे कराया गया था, उसकी अनुमानित लागत १ लाख ७० हजार २१० रुपया है लेकिन चूंकि पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा कार्य होगा, इसलिए यह अभी विचाराधीन है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह काम कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि चूंकि अभी मामला विचाराधीन है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*३१-३३—श्री रामभजन (जिला खीरी)—[स्थगित किये गये।]

बांदा नगर में केन नदी पर पुल निर्माण की मांग

*३४—श्री पहलवानसिंह चौधरी (जिला बांदा)—क्या सरकार बांदा नगर में केन नदी पर शीघ्र ही पक्का पुल का निर्माण करा कर जनता के यातायात के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—प्रस्तावित पुल के निर्माण के संबंध में बांदा जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा रहा है।

श्री पहलवानसिंह चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन नदी के पुल की अनुमानित लागत क्या होगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उस पुल की लागत लगभग दस लाख रुपया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विचार कब तक खत्म हो जायगा ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

बांदा जिले में अतर्रा-बबेरू सड़क को पक्का करने का विचार

*३५—श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा में अतर्रा-बबेरू कच्चा रोड को वह शीघ्र ही मेटेल्ड रोड करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सड़क के निर्माण पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा रहा है।

श्री रामसनेही भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विचार कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत शीघ्र ।

नगरपालिका जौनपुर को अनुदान

*३६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज (जौनपुर) नोटीफाइड एरिया तथा नगरपालिका जौनपुर को कितना अनुदान सन् १९५५ ई० में किन-किन कार्यों के लिये दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—१९५५-५६ में शाहगंज नोटीफाइड एरिया को कोई अनुदान नहीं दिया गया है । नगरपालिका जौनपुर को दिये गये अनुदानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५७६ पर)

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन अनुदानों के अतिरिक्त कुछ अनुदान भंगियों की कालोनी बसाने के लिए भी दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस विषय में मेरे पास इत्तिला नहीं है ।

*३७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया ।]

बखिरा झील, बस्ती के चारों तरफ बांध निर्माण की आवश्यकता

*३८—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बखिरा झील (ताल भड़ौंच), बस्ती के चारों तरफ बांध बांधा जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की योजना अभी तक तैयार नहीं हुई है ।

*३९—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में टारीघाट मेहनीपुर और जमनियां क्षेत्र को गंगा के कटाव से रोकने के लिए जांच-पड़ताल

*४०—श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला में गंगा के बहाव से टारीघाट मेहनीपुर और जमनियां कस्बे और स्टेशन के बीच जो जमीन कट रही है उसके रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र को गंगा के कटाव से बचाने के लिये उस क्षेत्र में जांच-पड़ताल का कार्य शीघ्र आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है । जांच-पड़ताल के बाद ही कटाव रोकने की उचित योजना बनायी जायेगी ।

*४१-४३—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—[स्थगित किये गये ।]

पक्की सड़कें बनाने के लिए गाजीपुर जिला बोर्ड को सहायता

*४४—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला बोर्ड को कच्ची सड़कों को पक्की बनवाने के लिये इस साल कितना रुपया सरकार द्वारा दिया जा रहा है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—एक लाख रुपया। यह रुपया गाजीपुर, रेओतीपुर और गामर बारा सड़कों के निर्माण पर व्यय किया जायगा।

गाजीपुर जिले में बहादुरगंज टाउन एरिया को नालियां पक्की करने के लिए सहायता की आवश्यकता

*४५—श्री शिवपूजन राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बहादुरगंज टाउन एरिया (गाजीपुर) को किसी प्रकार का ग्रांट नालियों को पक्की करने के लिये दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना और कब?

श्री सैयद अली जहीर—बहादुरगंज टाउन एरिया (गाजीपुर) को ग्रांट देने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

*४६—श्री शिवपूजन राय (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

*४७—श्री व्रजभूषण मिश्र—[स्थगित किया गया।]

रखुपुरवा, कानपुर में मजदूर क्वार्टर बनाने के विचार का स्थगन

*४८—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर दक्षिण क्षेत्र के अन्तर्गत रखुपुरवा में मजदूर क्वार्टर बनाने जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने और कब तक?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, अब वहां क्वार्टर बनाने का इरादा नहीं है।

*४९—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मजदूर क्वार्टरों के बनाने के लिये जो जगह ली जायेगी, उस पर बने हुये मकानों में रहने वालों के लिये दूसरी जगह रहने की वह क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह इरादा क्यों स्थगित कर दिया गया?

श्री कैलाशप्रकाश—क्योंकि अब यह उचित समझा गया है कि यह क्वार्टर्स बाबूपुरवे के करीब बनाये जायं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या रखुपुरवा की जमीनों और मकानों को एक्वायर करने की प्रोसीडिंग्स अब भी जारी हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—रखूपुरवा में विचार यह था कि वहां कोई अच्छा मार्केट बनाया जाय।

*५०-५२—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—[१३ जनवरी, १९५६ को प्रश्न १९-२१ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

लखनऊ नगरपालिका के मेहतर कर्मचारियों को गांधी-स्मारक के लिए दी गयी कथित भूमि

*५३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरपालिका के कर्मचारी मेहतर भाइयों को कुछ वर्ष पूर्व गोमती नदी के समीप कुछ जमीन गांधी स्मारक बनाने के निमित्त दी गई है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं ।

*५४—श्री गंगाप्रसाद—[स्थगित किया गया ।]

मुजफ्फरनगर जिले में पिछड़ी तथा परिगणित जाति के पंचायत मंत्री

*५५—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में इस समय कितने पंचायत मंत्री कार्य कर रहे हैं और उनमें परिगणित जाति तथा पिछड़ी जाति की संख्या क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत इस समय १११ पंचायत मंत्री कार्य कर रहे हैं जिनमें ६ पंचायत मंत्री परिगणित तथा १० मंत्री पिछड़ी जाति के हैं ।

श्री रामदास आर्य—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मंत्री परिगणित जाति के कार्य कर रहे हैं उनका कोटा पूरा नहीं हुआ इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिस योग्यता के कैंडीडेट्स चाहिये वह नहीं मिले, उनमें से यह आदेश हो चुके हैं और यह विषय के नियम अब बनाये जा रहे हैं कि जो परिगणित जाति का कोटा है उसको पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाय ।

श्री रामदास आर्य—क्या यह सही है कि जो उम्मीदवार परिगणित जाति के हैं उनकी योग्यता के होते हुये भी वे मंत्रिपद पर नहीं रखे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्यों की जानकारी की कोई ऐसी बात हो तो वह बतावें, उसकी जानकारी की जाय ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि इन मंत्रियों के चुनाव में कौन सी योग्यता निर्धारित की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—वर्नाक्यूलर फाइनल एक्जामिनेशन ।

श्री रामदास आर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एक परिगणित जाति के मंत्री की मृत्यु होने के बाद जो स्थान खाली हुआ उसके स्थान पर परिगणित जाति का उम्मीदवार नहीं रखा गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—कौन स्थान खाली हुआ और कौन रखा गया यह तो जब माननीय सदस्य बतावें तभी उसका कोई निश्चित उत्तर दिया जा सकता है किन्तु जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह आदेश जाते रहते हैं कि एक सूची बनाई जाय और उसमें यदि परिगणित जाति में से कमी हो तो उनको पूरा करने का प्रयत्न किया जाय ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़ी हुई जाति के लोगों के लिये कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

सड़कों की क्षति पूर्ति के लिए गोंडा जिला बोर्ड को सहायता देने पर विचार

*५६—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में जिला बोर्ड की सड़कों को गत वर्षा और बाढ़ में जो क्षति पहुंची है उसको पूरा करने के लिये सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता जिला बोर्ड, गोंडा को देना स्वीकार किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—गत वर्षा और बाढ़ से क्षति ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के हेतु जिला बोर्डों को अनुदान देने का प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन है ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अनुमानित कितने रुपये की क्षति हुई है और कौन-कौन सी सड़कें बर्बाद हुई हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—यही जानकारी तो प्राप्त की जा रही है, इसीलिये अभी प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जानकारी वह कब तक हाउस को बतायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जानकारी प्राप्त की जा रही है और हाउस में बताने का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य जिस जगह की चाहेंगे उस जगह का बताया जा सकेगा ।

*५७—श्री गंगाप्रसाद—[स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर नारायणी नहर में ली गयी जमीन की फसल का मुआवजा

*५८—श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर नारायणी नहर पर अब तक कितना व्यय हो चुका है और वह किस-किस मद में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नारायणी नहर के निर्माण में अब तक १६,४०,२०८ रु० व्यय हुआ है । यह व्यय मुख्य नहर व उसकी मुख्य शाखाओं पर मिट्टी के तथा ईंटों की चुनाई के काम और फसलों का मुआवजा देने पर हुआ है ।

*५९—श्री शुकदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—जिन काश्तकारों के खेत नहर में पड़ गये हैं उनकी फसल का तथा खेत का क्या मुआवजा दे रही है ? क्या वह मुआवजा वहां की किस्म जमीन तथा पैदावार के अनुसार निश्चित किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फसलों के लिये मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा निश्चित किया जाता है तथा जमीन के लिये जिलाधीश द्वारा । मुआवजे की रकम जमीन की उर्वरता तथा मिट्टी की किस्म का ध्यान रख कर निश्चित की जाती है ।

जिन दरों से फसलों के लिये मुआवजा दिया जाता है उसकी एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५७७ पर)

*६०—श्री शुकदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—उपर्युक्त नहर संभवतः कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आशा है कि यह नहर १९५७ की खरीफ से चालू हो जायेगी ।

ज्वालापुर नगरपालिका को ड्रेनेज योजना के लिए सहायता की आवश्यकता

*६१—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार का विचार ज्वालापुर कस्बे में गन्दा नाला और सड़क बनाने के लिये नगरपालिका को विशेष अनुदान देने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं । क्योंकि ड्रेनेज योजना के लिये सरकार अनुदान नहीं देती, और सड़कों के लिये नगरपालिकाओं को मार्च और जून, १९५५ में १,२७,९०० रु० का अनुदान दिया जा चुका है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी को स्मरण है कि पिछलीबार जो वह हरद्वार गये थे तो ज्वालापुर का एक डेपुटेशन उनसे मिला था और उसको दो मदों में सहायता देने के लिये आश्वासन दिया गया था ?

श्री सैयदअली जहीर—जी हां, सड़क के लिये दे दिया गया। जहां तक ड्रेनेज का सवाल है, गवर्नमट आफ इंडिया हमको लोन दे रही है उस लोन में से हमारा रुपया देने का इरादा अब भी है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि ज्वालापुर हरद्वार म्युनिसिपैलिटी का एक हिस्सा है और वहां मेले के दिनों में बीमारी के फैलने की आशंका रहती है ?

श्री सैयदअली जहीर—इसका पूरा इन्तजाम किया जाता है कि बीमारी न फैलने पाये।

*६२—श्री कमलासिंह—[स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर-बहरियाबाद सड़क बनाने की आवश्यकता

*६३—श्री कमलासिंह—क्या यह सही है कि सरकार इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर-बहरियाबाद और मोमापार-बहरियाबाद रोड बनाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं । नियोजन दृष्टि से इन सड़कों का निर्माण इस समय आवश्यक नहीं समझा जाता ।

श्री कमलासिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने, बिहार प्रान्त की धरौली-गोरखपुर सड़क, जो दो नेशनल हाईवेज को मिलाती है, धरौली से शहदपुर और घोसी लिटियाकोट (बांसगांव) पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा सड़क बनवा ली है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार शहदपुर से बहरियाबाद रोड जो फीडर रोड है उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस संबंध में सरकार विचार करेगी ।

फिरोजाबाद, जिला आगरा की श्रमिक कालोनी

*६४—श्री गंगाधर जाटव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि फिरोजाबाद, जिला आगरा की श्रमिक कालोनी सरकार बनवा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

*६५—श्री गंगाधर जाटव—क्या सरकार बतायेगी कि कितने श्रमिकों के निवास के लिये मकान बनवाये गये हैं और श्रमिकों को किस आधार पर मकान दिये जायेंगे, किराये पर अथवा मूल पूंजी की लागत की किस्तों पर ?

श्री कैलाशप्रकाश—फिरोजाबाद में १,००० मकान बनवाये गए हैं जो फैक्टरीज ऐक्ट (Factories Act) में दी हुई परिभाषा में आने वाले श्रमिकों को किराये पर दिये जायेंगे । किस्तों पर नहीं ।

*६६—श्री गंगाधर जाटव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मकान जो तैयार किये जा रहे हैं वे सरकार किनकी देख-रेख में बनवा रही है ? क्या प्रदेशीय सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने निरीक्षण किया है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—ये मकान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) की देख रेख में बनवाये जा रहे हैं। उक्त विभाग के Executive Engineer इनका निरीक्षण करते हैं। श्रमायुक्त (Labour Commissioner) की ओर से भी उनका निरीक्षण होता है।

श्री गंगाधर जाटव—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह जो लेबर कालोनी बनाई गई है उसमें मकानों की संख्या मजदूरों की जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है?

श्री सैयदअली जहीर—हां, यह हो सकता है कि काफी न हो।

श्री गंगाधर जाटव—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी और इसके ऊपर विचार करने को तैयार होगी कि मकान अधिक बनाये जायं?

श्री सैयदअली जहीर—जी हां, यह तो रुपये के ऊपर है। जितना धन हमको मिलेगा उतने मकान बनवाये जायेंगे।

श्री बलवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कम से कम लागत के मकानों का क्या क्या किराया लिया जायगा?

श्री सैयदअली जहीर—इसके मुताल्लिक तो इस सदन में एक कानून पास हो चुका है और रूल्स भी बन चुके हैं, एक बोर्ड बन गया है और वह बोर्ड तय करेगा कि किस क्वार्टर का क्या किराया होगा।

*६७-६८—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[स्थगित किये गये।]

भीषण वर्षा से टूटे बांधों के संबंध में रिपोर्ट

*६९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में बाढ़ से प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्माण कराये गये बन्ध टूटे हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला गोरखपुर में मैलानी बांध तथा जिला आजमगढ़ में लालडिग्गी बांध सन् १९५५ की बाढ़ से टूटे।

*७०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से बन्धों के टूटने से कितने रुपये की हानि हुई है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कुल हानि लगभग ९,६२,७९७ रुपये की हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन दोनों बांधों के टूटने के कारणों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा कोई कमेटी बनाई गई थी और यदि हां, तो उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। यदि उसकी मुख्य बातें माननीय सदस्य चाहें तो मैं थोड़ा सा विवरण दे दूंगा। लेकिन वैसे तो वह रिपोर्ट अखबारों में भी निकल चुकी है और माननीय सदस्य को उसके सम्बन्ध में ज्ञान होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी तथा रिपोर्ट के अनुसार किन अधिकारियों पर बांध के टूटने की जिम्मेदारी पड़ी और उसका नतीजा क्या निकला?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुख्य बातें तो उसमें यह हैं कि मैलानी बांध के करीब ६० फीट नीचे पानी चलता था, उसके कारण जो इसमें बाढ़ आयी उसमें उस बांध का बचाना बहुत सम्भव नहीं था और बांध अच्छी तरह से रक्खा गया था। यद्यपि पहले यदि उसमें रिटायर्ड बांध बन गया होता तो कुछ हानि कम होती। यह तो मैलानी बांध के सम्बन्ध में मुख्य बातें हैं। लालडिग्गी बांध के सम्बन्ध में मुख्य बात यह है कि उसमें इस तरह का कोई दोष नहीं था। वह बांध अच्छी दशा में था। लेकिन अधिक बाढ़ के कारण टूट गया। यह मुख्य मुख्य बातें हैं। जहां तक अधिकारियों को दंड देने का प्रश्न है वहां तक जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, वह सारी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि सिधारी का जो बड़ा पुल कहा जाता है उसके बीच की सड़क को रेज कर देने से लालडिग्गी का बांध टूट गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कमेटी की सम्मति में ऐसी बात नहीं हुई।

आजमगढ़ जिले की पिकिया नदी पर रेग्यूलेटर में फाटक न होना

*७१---**श्री व्रजविहारी मिश्र**---क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के अन्तर्गत मिकपा नदी पर करीब दो वर्षों से 'रेग्यूलेटर' बन चुका है परन्तु अब तक उस रेग्यूलेटर में फाटक नहीं लग सका है ?

श्री राममूर्ति---आजमगढ़ जिला की फूलपुर तहसील के अन्तर्गत पिकिया (मिकपा नहीं) नदी पर जो रेग्यूलेटर सिंचाई विभाग द्वारा बना है उसमें फाटक का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उसको बनाया ही ऐसा गया है कि जिसमें लकड़ी के पटरों से काम लिया जाया करे।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह जो फाटक लकड़ी का बनेगा, क्या वह प्रति वर्ष बना करेगा ?

श्री राममूर्ति---फाटक नहीं होगा, बल्कि पटरे होंगे, जिनको जब बाढ़ उतर जाया करेगी तो डाल दिया जाया करेगा और उस जगह का पानी रोक दिया जाया करेगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र---दो वर्षों से रेगुलेटर बन कर तैयार है तो लकड़ी के पटरे गत दो वर्षों में लगाये गये हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति---इस वर्ष लगाये जाने लगे हैं। उसके लिए टंडेल भी मुकर्रर कर दिया गया है जो कि जून से दिसम्बर तक वहां रहा करेगा।

सुभाननपुर ग्राम, जिला मेरठ में यमुना से कटाव

*७२---**श्री रघुवीरसिंह** (जिला मेरठ)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम सुभाननपुर, परगना बागपत, जिला मेरठ की भूमि यमुना के कटाव से कटती जा रही है ?

श्री राममूर्ति---जी हां, यमुना नदी ने ग्राम की कुछ जमींन को काट दिया है।

श्री रघुवीरसिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भूमि का जो कटाव यमुना नदी से हो रहा है उसके रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राममूर्ति---चूंकि यह क्षेत्र कैनाल एरिया के कमांड से बाहर है, इसलिये अभी तक इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अब चूंकि हमारे माननीय सदस्य ने इस ओर सरकार का ध्यान खींचा है तो मैं समझता हूं कि इसका सर्वे करा लिया जायगा।

श्री रघुवीरसिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गांव वालों की दरख्वास्त इस सम्बन्ध में पिछले साल सरकार के पास आयी थी ?

श्री राममूर्ति---जिला कलेक्टर के पास गयी होगी । सिंचाई विभाग में ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आयी ।

फैजाबाद जिले में मालीपुर-जलालपुर सड़क पर व्यय

*७३---श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि फैजाबाद जिला की जिस मालीपुर--जलालपुर रोड के निर्माण के लिये सरकार ने ५०,००० रुपया दिया था उस सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयदअली जहीर---फैजाबाद जिले की मालीपुर-जलालपुर रोड के लिये खास तौर पर कोई अनुदान नहीं दिया गया । वित्तीय वर्ष १९५१--५२ में ५०,००० रुपये का अनुदान जिला बोर्ड, फैजाबाद को साधारणतया सड़कों के रखरखाव के लिये शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। ऐसा मालूम होता है कि बोर्ड ने यह धन मालीपुर जलालपुर रोड की मरम्मत पर व्यय किया और मरम्मत २४ जून, १९५४ को समाप्त हो गई।

*७४---श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जिला नियोजन अधिकारी, फैजाबाद ने जिला बोर्ड, फैजाबाद के चेयरमैन को यह पत्र लिखा है कि वे जिला बोर्ड को उस धन का दो तिहाई देने को तैयार हैं जितना बोर्ड इस सड़क के शेषांश के निर्माण में लगायेगा ?

श्री सैयदअली जहीर---जिला नियोजन अधिकारी ने मार्च, १९५५ में बोर्ड को लिखा था कि यदि बोर्ड उस सड़क के शेषांश के निर्माण में एक तिहाई मदद देगा तो उनके लिये जिला नियोजन समिति की सड़क के लिये एन० ई० एस० ग्रांट से कुछ धन प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा।

बनारस जिले में महाराजगंज-परसीपुर सड़क की खराब हालत

*७५---श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भदोही, जिला बनारस में महाराजगंज-परसीपुर रोड इस बरसात में किन-किन स्थानों पर पानी से डूब गई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---दो स्थानों पर (१) मी० नं० ८, फर्लांग ६, ७ तथा ८ तथा (२) मील नं० ९, फर्लांग १ का कुछ भाग ।

*७६---श्री बेचनराम गुप्त (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि दरुनहा और संवरपुर के बीच में यह सड़क आज तक नहीं बनी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं। सड़क आवागमन के योग्य रखी जा रही है।

*७७---श्री बेचनराम गुप्त (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि इसी सड़क पर मझमेड़िया के नाले पर जो पुल है उसके दोनों तरफ के किनारे इस बरसात में कट गये हैं जिससे आवागमन में बड़ी कठिनाई पड़ती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---१९ जुलाई, १९५५ की रात को कुछ लोगों ने मझमेड़िया नाले के पुल के दोनों ओर की सड़क काट दी थी। यह कटाव बाद में पानी के बहाव के कारण और चौड़ा तथा गहरा हो गया। इस स्थान पर फिर से मिट्टी डाल कर सड़क को आवागमन के योग्य बना दिया गया है।

*७८-७९—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर नाव और स्टीमर का बढ़ा किराया

*८०—श्री भोलासिंह यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर सन् ५० में कितना किराया नाव का और कितना स्टीमर का लिया जाता था और अब ५४ में कितना लिया जाता है? यदि अधिक लिया जाता है तो क्यों?

श्री सैयदअली जहीर—गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर काजीटोला घाट पर सन् १९५० में ठेकेदार पट्टे के नियमों के अनुसार नाव का किराया ९ पाई (तीन पैसा) प्रति यात्री एवं स्टीमर का किराया एक आना ६ पाई (डेढ़ आना) प्रति यात्री लेता था। सन् १९५४ में शासकीय विज्ञप्ति संख्या यू० १९७४/९ पी० डब्ल्यू० डी०—२४ एफ० आई। ४९, दिनांक ८-१०-५२ के अनुसार नाव का किराया एक तरफ का १ आना प्रति यात्री और स्टीमर का किराया ३ और ८ आना प्रति यात्री कर दिया गया।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत परशुरामपुर अदालत पंचायत के विरुद्ध शिकायतें

*८१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत परशुरामपुर अदालत पंचायत के विरुद्ध रिश्वत लेने, पक्षपात पूर्ण निर्णय करने, फर्जी पेशियां करने, सरकारी कोष का ठीक हिसाब न रखने आदि तरह-तरह की शिकायतों के सम्बन्ध में जनवरी, सन् ५५ से अगस्त, सन् ५५ तक प्रदेशीय सरकार के पास कितने-कितने आवेदन-पत्र आये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—कुल ६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये।

*८२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा परिणाम क्या हुआ?

श्री कैलाशप्रकाश—जांच पंचायत निरीक्षक, सहायक जिला पंचायत अधिकारी, एवं परगनाधीश द्वारा कराई गई। एक आवेदन-पत्र को छोड़ कर शेष ५ आवेदन-पत्र निराधार पाये गये तथा निक्षिप्त हुये। प्रथम आवेदन-पत्र, पंचायती अदालत के निर्णय के विरुद्ध था, पर उच्च न्यायालय में अपील हो जाने के कारण कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ६ जो आवेदन-पत्र थे वे किन-किन के थे और उनमें क्या-क्या शिकायतें लिखी थीं?

श्री कैलाशप्रकाश—(१) श्री सम्पत्ति गौड़ व माधो गौड़, थाना नत्थूपुर, तहसील घोसी। (२) श्री वृन्दावन मल्ल, पंच, पंचायत अदालत, परशुरामपुर। (३) श्रीमती लक्ष्मीना कुंवर, ग्राम लकूरा, तहसील घोसी। (४) श्री गंगा तिवारी, ग्राम लकूरा, तहसील घोसी। (५) श्री अयोध्या पांडेय, ग्राम हसनपुर, तहसील घोसी और (६) मु० सर्जो देवी, ग्राम लकूरा, तहसील घोसी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो आवेदन-पत्र सही पाया गया वह किसका था?

श्री कैलाशप्रकाश—वह सम्भवतः प्रथम था, श्री सम्पत्ति गौड़ व माधो गौड़ का।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास आवेदन-पत्र देने और जांच न होने के कारण ही उसने अदालत में अपील की?

श्री कैलाशप्रकाश—जैसा कि कहा गया है उच्च न्यायालय में अपील की। उनको अधिकार था अपील करने का।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने दरख्वास्तें इस अदालत पंचायत के खिलाफ दी थी उन व्यक्तियों के इन प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं लिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय यह तो मेरे पास नहीं है कि किस किस के बयान लिये, किस किस ने जांच की। यदि माननीय सदस्य किसी खास प्रार्थना-पत्र के विषय में चाहेंगे तो वह जानकारी भी प्राप्त करा दी जायगी।

टांडा कैनाल से आजमगढ़ जिले में सिंचाई

*८३—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि टांडा कैनाल, आजमगढ़ जिले की किन-किन तहसीलों के किन-किन गांवों की सिंचाई करेगी ?

श्री राममूर्ति—टांडा नहर, आजमगढ़ जिले की फूलपुर सदर और सगड़ी तहसीलों के क्षेत्र में सिंचाई करेगी। उपर्युक्त तहसीलों के जिन-जिन गांवों में यह नहर सिंचाई करेगी उनकी † सूची माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गई है।

*८४—श्री उमाशंकर—क्या सरकार टांडा कैनाल की शाखाओं, उपशाखाओं का एक नक्शा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—टांडा कैनाल की शाखाओं और उपशाखाओं का एक ‡ नक्शा माननीय सदस्य के मेज पर रख दिया गया है।

*८५—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यह नहर अन्दाजन कितने दिन में पानी देने लगेगी ?

श्री राममूर्ति—यह आशा की जाती है कि यह नहर १९५७ के आरम्भ से सिंचाई करने लगेगी।

बलिया बैरिया बांध का निर्माण कार्य

*८६—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया बैरिया बांध के पूर्ण निर्माण में कितना खर्च करने की स्वीकृति दी गई है ?

श्री राममूर्ति—बलिया बैरिया बांध के निर्माण का अनुमानतः व्यय १६,२८,०००रुपये है।

*८७—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध का काम कब प्रारम्भ हुआ, कितना कार्य अब तक हो चुका है और कब तक निर्माण कार्य पूर्णतया सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति—उक्त बांध पर १४ अप्रैल, १९५४ से काम आरम्भ हुआ। नवम्बर, १९५५ के अन्त तक कुल ६,३६,१७९ रुपये खर्च हुए हैं तथा बांध मझौवा तथा गोपालपुर के बीच जो मुंडाडीह तथा वादिलपुर ग्राम निकट पड़ता है, छोड़ कर प्रायः बन गया है। आशा की जाती है कि मई, १९५६ तक यह पूरा हो जायेगा। इतनी देर का कारण यह है कि रबी की फसल जब तक कट नहीं जाती तब तक खेतों से मिट्टी नहीं ली जा सकती।

---

† सूची छापी नहीं गयी।

‡ नक्शा छापा नहीं गया।

*८८—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार को विदित है कि गत अगस्त में गंगा की बाढ़ से उक्त बांधों को क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो कहां पर और कितनी क्षति पहुंची है ?

श्री राममूर्ति—बांध के अपूर्ण भाग पर से पानी बहकर निकल रहा था जिससे बसीरखापुर के पास बांध में खादी (breach) हो गई जिसके मरम्मत में ६०० रुपये व्यय हुआ ।

श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो तखमीना १६ लाख का है इसके अन्दर बलिया से बैरिया तक का है या संसार टोले तक का ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—संसार टोले का इससे अलग है ।

रामपुर जिले में सिंचाई के साधनों में वृद्धि

*८९—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के किस-किस क्षेत्र में दिनांक १ दिसम्बर, १९४९ से पूर्व सिंचाई के क्या-क्या साधन तथा दिनांक ३० सितम्बर, १९५५ तक उनमें क्या वृद्धि की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिसम्बर १, १९४९ को रामपुर जिले में ५०६ मील १ फर्लांग लम्बी २० नहर प्रणालियां और ४४ नलकूप थे । ३० सितम्बर, १९५५ तक इस जिले में ११ मील १ फर्लांग लम्बी नहरें और १४ नलकूपों की वृद्धि हुई ।

*९०—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में सिंचाई कर वहां के विभिन्न क्षेत्रों में दिनांक ३० दिसम्बर, १९४९ को क्या-क्या दर से लिया जाता था तथा अब क्या-क्या लिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य की मेज पर रक्खे हुए विवरण-पत्र में यह सूचना दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५७८ पर)

बांदा जिले की करवी नोटीफाइड एरिया में नलकूप परीक्षण के लिए स्थान बदलना

*९१—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले में करवी नोटीफाइड एरिया में ट्यूबवैल लगाने की परीक्षा हो रही थी जो पत्थर निकल आने से बन्द कर दी गई है ?

श्री सैयदअली जहीर—जी हां ।

*९२—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार उस जगह से हट कर नदी किनारे इसका परीक्षण कराने को सोच रही है ?

श्री सैयदअली जहीर—जी हां । इस संबंध में चीफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग विभाग दिसम्बर में करवी गये थे और देख भाल के बाद नदी के किनारे ट्यूबवेल बोर (bore) करने के लिये एक स्थान तय कर आये हैं ।

*९३—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि करवी के तीन चौथाई कुओं का जल खारी हो चुका है जिससे पीने के जल का महान कष्ट है ?

श्री सैयदअली जहीर—जी हां ।

नोटतारां—कित प्रश्न ८८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गाजीपुर जिले में टोडरपुर से खड़हरा ग्राम तक तीन रेगूलेटर लगाने की योजना

*९४—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के जहूराबाद परगने में ग्राम टोडरपुर से ग्राम खड़हरा तक पानी के निकास के लिये जो ५४–५५ में सर्वे हुआ है उस सम्बन्ध में कितने रेगुलेटर लगाने का विचार है और किन-किन स्थानों पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला गाजीपुर के जोहराबाद तथा मोहम्मदाबाद परगने में ग्राम टोडरपुर से ग्राम खड़हरा तक पानी के निकास के लिये १९५४–५५ में जिस क्षेत्र का सर्वे हुआ था उस संबंध में ३ रेगुलेटर निम्नलिखित स्थानों पर लगाने का प्रस्ताव है—

१—ग्राम अजीजपुर के पास अजीजपुर तथा उससे सम्बन्धित ताल के लिये ।
२—ग्राम मोहब्बतपुर के पास मौरा ताल के लिए ।
३—ग्राम खड़हरा के पास खड़हरा नाल के लिये ।

गाजीपुर जिले के पचोत्तर परगने में नलकूपों से सिंचाई

*९५—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के पचोत्तर परगने में जो नलकूप बन कर तैयार हैं उनसे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले के पचोत्तर परगने में राजकीय नलकूपों द्वारा १३६२ फसली की रबी में ५२३ एकड़ और खरीफ में २०३ एकड़ भूमि सींची गई ।

रायबरेली की मुन्सफी अदालत में विचाराधीन मुकदमें

*९६—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली की मुन्सिफी अदालत में विचाराधीन मुकदमों की संख्या क्या है और उस संख्या में किस सन् के कितने मुकदमे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७९ पर)

*९७—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली मुन्सिफी में ऐसे मुकदमें कितने हैं जिनमें अभी तक सम्मन नहीं जारी हुये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—५१८ ।

मुजफ्फरनगर जिलान्तर्गत ईसापुर ग्राम के निकट टंडा माइनर पर साइफन चौड़ा करने का विचार

*९८—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम ईसापुर, परगना कांधला, जिला मुजफ्फरनगर के चारों ओर बरसाती पानी १०-१५ फुट तक भर गया था और गांव के चौपाये इसी पानी से तैर कर गांव में आते और जाते थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ईसापुर ग्राम नीची भूमि पर स्थित है और चारों ओर तालाबों से घिरा हुआ है । पिछले वर्ष सितम्बर के अन्त व अक्तूबर के आरम्भ में असाधारण वर्षा के कारण ये तालाब जलमग्न हो गये और गांव की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग पर लगभग ४ फीट पानी भर गया था ।

*९९—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस गांव से यमुना नदी तक पानी के निकासी का नाला था जो अब बन्द हो गया है ? क्या सरकार इसको तुरन्त खुदवाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस क्षेत्र के पानी की निकासी के लिये कोई नाला बन्द नहीं हुआ है । पानी पहिले की भांति कच्चे मार्ग से बराबर यमुना नदी की ओर बहता है ।

*१००—श्री श्रीचन्द्र—क्या यह सही है कि इस गांव के पश्चिम की ओर एक राजबहा के नीचे साइफन छोटा होने के कारण इस गांव का बरसाती पानी यमुना नदी की ओर नहीं जा सकता ? क्या सरकार इस साइफन को बड़ा करने की कृपा करेगी जिससे पानी शीघ्र निकल जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टंडा माइनर पर जो कि गांव के पश्चिम की ओर है, २ मील के समीप १ फुट चौड़ी साइफन है जिससे पिछली अत्यधिक वर्षा के समय पानी के बहाव में कुछ रुकावट हुई थी । इस साइफन को ३ फीट चौड़ा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

बुलन्दशहर जिले में गांव सभाओं के टैक्स का जमा किया गया धन

*१०१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की तहसील बुलन्दशहर, अनूपशहर, खुर्जा व सिकन्दराबाद में से प्रत्येक का कितना-कितना गांव सभाओं के टैक्स का रुपया तहसीलों में जमा है ?

श्री सैयद अली जहीर—किसी भी तहसील में पंचायत टैक्स जमा नहीं है । उक्त धन जिला पंचायत अधिकारी के वैयक्तिक लेखे में जमा है जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है:—

	रु०	आ०	पा०
१—तहसील बुलन्दशहर के गांव सभाओं का पंचायत टैक्स ..	६४,३०१	६	११
२—तहसील सिकन्दराबाद के गांव सभाओं का पंचायत टैक्स ..	६६,८७०	१३	३
३—तहसील अनूपशहर के गांव सभाओं का पंचायत टैक्स ..	६१,००७	८	९
४—तहसील खुर्जा के गांव सभाओं का पंचायत टैक्स	६३,४२५	११	६
योग ..	२,५५,६०५	८	५

गाजीपुर जिले के असावर व सीवरी अमहट ग्रामों में नलकूप बनवाने का विचार

*१०२—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार गाजीपुर जिले के असावर व सीवरी अमहट ग्रामों में राजकीय नलकूप बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ।

*१०३-१०४—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—[स्थगित किये गये ।]

हरकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्श-दात्री समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन की सूचना

अधिष्ठाता—मुझे एक सूचना देनी है । हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में समय के भीतर केवल तेजप्रताप सिंह, हमीरपुर का नाम -निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ जो सूक्ष्म परीक्षा के बाद ठीक पाया गया । अगर यह नाम आज ५ बजे तक वापस न हुआ तो माननीय सदस्य विधिवत् निर्वाचित समझे जायंगे ।

गोरखपुर विश्व-विद्यालय विधेयक, १९५६

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---श्रीमन्, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ट ५८०-६०९ पर)

कार्यसूची की मद संख्या ३ का स्थगन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस आइटम नं० ३ को लंच बाद ले लिया जाय । अभी शायद वह तैयार नहीं है ।

कारपोरेशन बिल के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता था कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि कबाल टाउंस का कारपोरेशन बिल जल्द से जल्द इस सदन में प्रस्तुत हो जायगा । लेकिन वह अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया । माननीय न्याय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यह कारपोरेशन बिल कब तक पेश हो जायगा । क्या इस सेशन में इसके पेश हो जाने की कोई आशा है ?

अधिष्ठाता---माननीय न्याय मंत्री जी कोई उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं ।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---मैं तो यही चाहता था कि कारपोरेशन बिल यहां पेश हो जाता, लेकिन उसमें कुछ जो हमारे ला आफिसर्स हैं उन्होंने यह राय जाहिर की कि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के सैंक्शन की जरूरत है । तो इसलिए उसको हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया की मंजूरी के लिये भेज दिया है । हम कोशिश यह कर रहे हैं कि वह मंजूरी जल्दी से जल्दी हमें हासिल हो जाय । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद हमारी कोशिशों के और बावजूद इसके कि मैं देहली गया और मैंने उसके लिए वहां पर कोशिश की, गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं आयी । लिहाजा जैसे ही उनकी मंजूरी आ जायगी, वैसे ही हम उसको यहां इंट्रोड्यूस कर देंगे और यह तो माननीय सदस्य जानते होंगे कि कल वह गजट में प्रकाशित हो गया ।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि इस सदन की बैठक कब समाप्त होगी और आगे यह सदन कब बैठेगा ?

अधिष्ठाता---माननीय न्याय मंत्री जी कल बता चुके हैं ।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---१८ को इस सदन की बैठक का आखीरी दिन है और आगे के लिए आपको इत्तिला दी जायगी ।

*उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

खण्ड ४ (क्रमागत)

अधिष्ठाता---अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५, पर विचार जारी रहेगा ।

---

*१२ दिसम्बर, १९५५ को पुरःस्थापित किया गया ।

†१६ जनवरी, १९५६ से क्रमागत ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं ।

एक सदस्य--सदन में शोर बहुत हो रहा है ।

अधिष्ठाता--आप लोग जरा शान्ति रखिए ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर, सम्भवतः लोगों को थोड़ी सी यह कठिनाई हो कि मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूं । अतः मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि मैं जहां तक उनकी भावनाओं का संबंध है उनके विचारों के विषय में उनसे बहुत हद तक सहमत हूं, परन्तु जिस रूप में यह संशोधन इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके ऊपर मुझे आपत्ति है । श्रीमन्, सरकारी कार्य और सार्वजनिक कार्य में किस तरह से भेद किया जायगा, यह बहुत ही कठिन है । वास्तविकता और वस्तुस्थिति को देखते हुए यह मुझे कहना पड़ेगा कि इस पर हमें मंत्रियों,उपमंत्रियों या सभासचिवों पर यह विश्वास करना होगा कि वे कर दाताओं के धन का दुरुपयोग किसी प्रकार से नहीं करेंगे, बल्कि जिस प्रकार से हो सकेगा वे उसका सदुपयोग करेंगे । जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है उस रूप में अगर यह मान लिया जाय तो सम्भवतः भविष्य में चल कर सार्वजनिक कार्यों में बहुत सी बाधायें आ सकती हैं, उनको क्षति पहुंच सकती है । अगर ठंडे दिल से यह सोचा जाय और गम्भीरतापूर्वक यह विचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय भी मुझसे इस विषय में सहमत होंगे । मैं समझता हूं कि भावुकता के कारण, उलझनों और दिक्कतों के कारण उन्होंने ऐसा संशोधन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

माननीय जोरावर वर्मा जी ने अपने व्याख्यान में बहुत सी बातें कहीं, जो कि विचारणीय हैं । माननीय गेंदा सिंह जी ने भी बहुत सी बातें कही हैं, जिनसे मैं सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सरकार उन पर विचार करेगी । यही नहीं श्रीमन्, यदि मंत्री महोदय किसी स्थान पर जाते हैं तो दूसरे दल वालों को यह समझ कर कि वे विरोधी दल के हैं उनको उस स्थान पर बुलाया नहीं जाता और उनका एक तरह से बहिष्कार भी रहता है । मैं मानता हूं कि जो न जाना चाहें उनके लिये कोई पाबन्दी न हो । परन्तु मैं इसका एक ज्वलन्त उदाहरण दूंगा । फैजाबाद जिले में अभी माननीय चन्द्रभानु गुप्त एक डिग्री कालेज का दीक्षान्त भाषण देने के हेतु गये थे और एम० एल० एज० के पास जो उनका प्रोग्राम गया था उसमें यह स्पष्ट था कि मंत्री महोदय को कांग्रेसजनों से मिलने का अवकाश था परन्तु जो दूसरे दल के थे उनके लिये कोई समय न था । ठीक है, मैं यह नहीं कहता कि किसी मंत्री को अपने दल को ठुकराना चाहिये या उसके प्रति उनका एक फर्ज नहीं है, एक उत्तरदायित्व नहीं है, एक जिम्मेदारी नहीं है । यह ठीक है कि उनकी पार्टी वाले जो चाहें कह सकते हैं, परन्तु किसी दूसरे दल वालों को मिलने का मौका न दिया जाय, मैं इसको सर्वथा अनुचित समझता हूं । मंत्री महोदय को इस बात की फुर्सत थी कि कांग्रेस मेम्बरों से, विधान सभा के सदस्यों से ही नहीं, बल्कि जिला कांग्रेस कमेटी के मेम्बरों से भी वे मिल सकते थे, लेकिन विधान सभा के वे सदस्य जो विरोधी दल के थे या अन्य लोग जो कांग्रेस में नहीं थे उनसे मिलने के लिये उनके पास कोई समय नहीं था । आप कांग्रेस वालों को अधिक समय दीजिये, उनसे घुलमिल कर बातें कीजिये इसमें किसी पार्टी को एतराज नहीं हो सकता, परन्तु एक साधारण सी बात है कि जब कोई मंत्री महोदय किसी जिले में जाते हैं तो दूसरे दलों के लोगों को भी एक अवसर प्राप्त होना चाहिये, जिससे कि यदि उनको मंत्री महोदय से कुछ कहना हो तो वे कह सकें । श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम इस अविश्वास के साथ नहीं चल सकते कि मंत्री, उपमंत्री या सभासचिव के हाथ इस तरह से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

जकड़े जायं कि वे किसी सार्वजनिक कार्य में भाग न ले सकें, केवल सरकारी कार्य में ही वे जा सकें। अगर इस तरह से देखा जायगा तो सरकारी कार्य तो थोड़े निकलेंगे और सार्वजनिक कार्य ऐसे हो सकते हैं जो सरकारी कार्य से भी आवश्यक हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह नियंत्रण रखना कि वे सार्वजनिक कार्यों में न जायं केवल सरकारी कार्यों में जायं सर्वथा अनुचित है। श्रीमन्, जहां तक माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा था कि यह ठीक है कि हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री महोदय एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे दूसरे लोग लाभ उठा सकें और उनको वह बुजुर्ग भी मानते हैं और उनसे उम्मीद भी रखते हैं तो मैं समझता हूं कि उन उम्मीदों के बाद फिर यह कहा जाय कि आप सरकारी कार्य के लिये ही जा सकते हैं और सार्वजनिक कार्य के लिये जाने पर वह सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, यह असंगत है। किसी भी सरकार पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है और इस तरह के वातावरण में हम सफलीभूत नहीं हो सकते हैं। हमें मंत्रियों पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो करदाता का धन है उसका सदुपयोग किया जायगा। यह उनका कर्तव्य है कि वे देखें कि किस तरह से उसका सदुपयोग होता है और उसके बाद यह कहा गया और माननीय गेंदासिंह जी का यह कहना कि पब्लिक परपज का समझना कुछ कठिन हो जाता है। मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि इसकी परिभाषा अमरीका में भी नहीं पाई जाती है। वहां की सुप्रीम कोर्ट के बहुत से रूलिंग्स हैं। इंडियन यूनियन में अपने संविधान में जहां से पब्लिक परपज की परिभाषा लेकर रखी गई है वह एक ऐसी चीज है कि उसकी संकीर्ण परिभाषा करना सर्वथा अनुचित है। हमें सरकार पर विश्वास करना चाहिये। इस कारण से मैंने इस संशोधन का विरोध किया है कि यह एक नई चीज सामने आ रही है कि आप लेजिस्लेशन में यह रखें कि गवर्नमेंट वर्क के लिये तो मंत्रियों को सुविधा प्राप्त हो और पब्लिक परपज के लिये न हो। मैं नहीं समझता कि इस तरह से रखने का कैसे उन्होंने साहस किया। भावना तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको नियम में या विधेयक में लाना चाहते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सार्वजनिक काम की जगह पर सरकारी काम रख दिया जाय। कल माननीय नेता विरोधी दल ने इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें मंत्री महोदय और सदन को बतलायीं। उसके बाद हमारे ऐसे व्यक्ति का इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना ठीक नहीं समझा जायगा, लेकिन अवधेश प्रताप सिंह जी की थोथी दलीलों के बाद, बोलने की इच्छा हुई। श्रीमन्, उनका यह कहना है कि सरकारी और पब्लिक कार्य में अन्तर कैसे माना जाय, यह उनकी बुद्धि और विवेक के लिये बहुत ही मुश्किल है। सार्वजनिक काम कौन है, सरकारी काम कौन है, इसमें अन्तर तो एक अदना आदमी भी कर सकता है, अब मंत्री जी नहीं कर पाते हैं, अवधेश प्रताप सिंह जी भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका कारण यही मालूम होता है कि वह जानबूझ कर नहीं करते हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के कामों में, सरकार की नियत में, सरकार के संगठन में और एक राजनीतिक पार्टी के संगठन में कोई अन्तर नहीं रह गया है। सरकार के कामों में और सूबा कांग्रेस कमेटी के कामों में कोई अन्तर नहीं है। सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य वही काम करते हैं जो सूबा कांग्रेस कमेटी करती है। आज मैं आपके द्वारा श्रीमन्, साफ कह देना चाहता हूं कि जनता के खजाने का रुपया सरकार निःसंकोच पार्टी के संगठन के प्रचार में उसको मजबूत बनाने में खर्च करती चली जा रही है। श्रीमन्, इसके एक दो उदाहरण नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों उदाहरण हैं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमन्त्रियों और ५३५ सभासचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

मैं आपके द्वारा माननीय न्याय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो अभी दिसम्बर के महीने में आजमगढ़ तशरीफ ले गये थे। मैं समझता हूं कि नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में आजमगढ़ जिले में करीब एक दर्जन मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी लोग गये होंगे और श्रीमन्, जब इन लोगों का प्रोग्राम बनता है तो १० दिन और ५ दिन पहले सूचना वहां के अधिकारियों को, कांग्रेस कमेटी को और माननीय विधान सभा के सदस्यों को पहुंच जाती है। श्रीमन्, मैं आपको नोटिसें दिखला सकता हूं। एक ही नोटिस पर एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सभापति के हस्ताक्षर हैं और उसी नोटिस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं। जहां-जहां जिला कांग्रेस के अधिकारी चाहते हैं वहां-वहां सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य पधारते हैं, मैं आपको यह भी बतला सकता हूं कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंसों में, राजनीतिक कांफ्रेंसों में भी मंत्रिमंडल के सदस्य जाते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने कल चर्चा किया था। माननीय गुप्त जी स्वयं हमारे यहां की एक सभा में गये थे। मैं उसमें उपस्थित था। उन्होंने हमारी पार्टी के सम्बन्ध में हमारे सामने ही एक गलत भाषण दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी की बात कहना चाहता हूं। वे भी मधुवन की एक सभा में गये थे उसमें कांग्रेस के केवल दो झंडे थे और हमारी पार्टी के सैकड़ों झंडे थे। उन्होंने कहा कि यह झंडे हटाओ नहीं तो हम बैठने नहीं देंगे। आखिरकार मजबूर करके अधिकारियों के जरिये झंडे हटवाये गये।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ की म्युनिसिपैलिटी में एक रिक्त स्थान रहा है। मैं न्याय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उस चुनाव के ८, १० दिन पहले ही क्यों माननीय न्याय मंत्री का वहां का प्रोग्राम बना, माननीय शिक्षा मंत्री का प्रोग्राम बना और माननीय राजस्व मंत्री का प्रोग्राम बना और श्रीमन्, तीनों मंत्रियों ने किसी न किसी बहाने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मानपत्र ले करके, म्युनिसिपल बोर्ड से मानपत्र लेकर म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर स्पीचेज दीं और कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिये स्पीचेज दीं। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या यह सार्वजनिक काम है या सरकारी काम है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आज के हमारे मुख्य मंत्री जो पहले जब गृह मंत्री थे उस समय हमारे यहां आजमगढ़ जिले के लालगंज में उनके पूर्वजों का एक मन्दिर उत्पन्न हो गया, वह वहां गये थे, तो क्या सारा सार्वजनिक पैसा उसमें नहीं खर्च हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरकार की मोटर थी और जो जो साधन इकट्ठे किये गये वे सब सरकारी पैसे से इकट्ठे किये गये थे। माननीय न्याय मंत्री जी ने एक दिन प्रश्नोत्तर के समय में कहा था कि जिलाधिकारियों को आदेश है कि मंत्रिमंडल के सदस्य या कोई मंत्रिमंडल के उपमंत्री का या सभासचिव अधिकारी जायं तो अदालतों का काम छोड़ कर मंत्रियों के स्वागत और उनकी सभा की तैयारी में नहीं जाना चाहिये।

मैं न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह न्याय मंत्री हैं जब वह आजमगढ़ पधारे थे २६ दिसम्बर को तो उनके साथ सदर तहसील के हाकिम परगना थे या नहीं, उनके साथ मुहम्मदाबाद के हाकिम परगना थे या नहीं और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आजमगढ़ थे या नहीं? अगर उनके साथ थे तो मैं न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अदालतों में बहुत दिनों के मुकदमे हैं या नहीं कि जिनको छोड़ कर वह इनके पीछे घूमते हैं। माननीय न्याय मंत्री ने अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह कहा होता कि वह अदालतों का काम जाकर करें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके पीछे न जाते। लेकिन श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य और सभासचिव अदालतों के मुकदमों में जो देर होती है उनकी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और सरकार के मंत्रिमंडल के ऊपर है जो यह चाहते हैं कि यह सरकारी कर्मचारी उनके पीछे पीछे घूमें और सारा दिन उनकी सेवा और आदर में व्यतीत करें नहीं तो अदालतों में इतने दो-दो साल के मुकदमे न सड़ते। दो-दो साल से १४५ के मुकदमे अदालतों में सड़ रहे हैं। मंत्रियों के स्वागत

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

और उनकी सभा की तैयारी में सारा अदालतों का काम ठप पड़ा हुआ है। ये लोग जाते हैं कांग्रेस का प्रचार करने। शादी विवाह और दूसरे काम से भी जाते हैं और भत्ता बनता है सार्वजनिक काम पर। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और सारे अफसर इनके स्वागत में लगे रहते हैं। यह क्या है यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है, जनता के पैसे का दुरुपयोग एक पार्टी के संगठन में और उसके प्रचार में किया जाता है। यह नहीं होना चाहिये।

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक राजनीतिक पार्टियों में भी जाति बिरादरी का संगठन है और श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी इससे अछूते नहीं हैं। श्रीमन्, आपका हुकुम हो तो मैं नोट पढ़ कर सुना दूं। जाति बिरादरी की सभा में मंत्रिमंडल के सदस्य, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उपमंत्री जाते हैं और उन जाति बिरादरियों की सभा में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके पीछे-पीछे दौड़ते हैं और जनता का पैसा जाति बिरादरी के संगठन में खर्च किया जाता है। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा जब आप इधर बैठते थे तो माननीय हुकुम सिंह जी ने माननीय मुख्य मंत्री की ओर से जवाब देते हुये कहा था और स्वीकार किया था कि दौरे में और टेलीफोन में जो खर्चा हुआ है उसमें वह सब खर्चा भी शामिल है जो शादी और विवाह में शामिल होने के लिए खर्च हुआ है। यह सवाल द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने किया था जिसका उन्होंने उत्तर दिया था। इसमें क्या गलत है यह तो अवधेश प्रताप सिंह जी बतलायें कि कौन सरकारी है और कौन गैर-सरकारी है।

मैं माननीय नेता विरोधी दल के सुझाव का समर्थन करना चाहता हूं कि सरकार और मंत्रिमंडल चाहे तो इसमें भेद कर सकता है। जिस तरह से वह भत्ते के बिल बनते हैं और कोई सदस्य उनको देखना चाहे तो उनको नहीं देख सकता है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिपाटी और जो व्यवस्था और जो रास्ता यह सरकार इस जनता को दिखाना चाहती है उससे इस प्रदेश में और देश में प्रजातन्त्र पनपने वाला नहीं है। आज सरकार के हाथ में शक्ति है। हो सकता है कल यह शक्ति किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के हाथ में आवे। तब हो सकता है कि अली जहीर साहब उन बातों का ही समर्थन करें जिनका हम आज समर्थन कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका विशाल बहुमत है, आप इतना न डरें और विरोधी पार्टी के संगठन को इस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके तोड़फोड़ न करें। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि विधान सभा के माननीय सदस्यों को नोटिस दे दी जाती है कि उस दिन आयें। माननीय व्रजविहारी मिश्र जी यहां बैठे हुए हैं। १७–१८ दिसम्बर को माननीय चरण-सिंह जी आजमगढ़ गये थे। डाक बंगले में हमको भी मिलने का अवसर मिला। माननीय व्रजविहारी मिश्र भी वहां थे। एक किसान वहां आया और उसने हाथ जोड़ कर कहा कि जो चकबन्दी हो रही है उसमें घूसखोरी बहुत चल रही है। आपके पास और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत सी दरख्वास्तें दी हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। यहां पर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर के बारे में बहस हो रही है। माननीय चरणसिंह जी इसमें कहां आते हैं?

अधिष्ठाता—(श्री रामसुन्दर पाँडेय से) आप विषय से दूर न जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---तो श्रीमन् यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जाकर कहो। लेकिन वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दे चुके थे, सरकार के पास दरख्वास्त दे चुके थे। ४० मील चल कर वह वहां आया था। तो उन शिवराम जी से कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास ले जाओ। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के दौरों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस प्रकार की यह पार्टीबाजी किसी भी प्रकार से प्रजातन्त्र को पनपने नहीं दे सकती है। इसलिये इस प्रकार के खर्चे को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन स्वीकार किया जाय। श्रीमन्, इस संशोधन का स्वीकार किया जाना ही इसका बड़ा भारी सबूत होगा कि सरकार ईमानदारी से जनता के रुपये को खर्च करना चाहती है और उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसके ऊपर वह मिसाल लागू होती है कि "सर्वे पदाः हस्ति पदे निमग्नाः" यानी हाथी के पैर में सारे पैर छिप जाते हैं। इसलिये अगर यह पास हो जाता है तो इसमें और भी दूसरे खर्चे आ जाते हैं जो नियमानुकूल नहीं हैं। इसलिए माननीय रामेश्वर लाल जी का जो संशोधन है कि 'सार्वजनिक' के स्थान पर 'सरकारी' रख दिया जाय, स्वीकार किया जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैंने अपने प्रस्ताव पर कल से इस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों के भाषण और उधर बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े गौर से सुना। मेरा प्रस्ताव एक बहुत ही सीधा-सादा सा प्रस्ताव है और मैं अब तक अपने दिल में यह समझे हुए हूं कि मेरे प्रस्ताव की सच्चाई और यथार्थता को देखते हुए, मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने जा रहे हैं। फिर भी बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण जो अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने सुने उस सम्बन्ध में अपने भी कुछ विचार माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं श्री जोरावर वर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाला और उसके द्वारा उन्होंने आपका और सदन का ध्यान आकर्षित कराने की चेष्टा की कि बहुत से माननीय मंत्री या और भी लोग जो बहुत से उधर बैठने वाले जिम्मेदार लोग हैं वे अपोजीशन या विरोधी दल के लोगों को जो अपनी सभाओं के सभापतित्व आदि के लिये निमंत्रित करने जाते हैं सार्वजनिक कामों के लिये उनको वे स्थान नहीं देते और उनके क्षेत्रों में उनके निमन्त्रण पर पधारने की कृपा नहीं करते। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक सच्चाई आपके सामने रख दूं कि गत बृहस्पतिवार की बात है हमारे क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल चल रहा है वहां के मैनेजर ने मुझे लिखा कि वहां से किसी नेता का प्रोग्राम फरवरी या मार्च में यहां लाने का बनाइये जिनकी सदारत में स्कूल का जलसा हो यदि इजाजत हो तो मैं नाम भी ले दूं लेकिन वह कुछ मुनासिब न होगा केवल यही कहूंगा कि उधर के एक माननीय नेता से मैंने कहा और उनसे मैं मिला और मैंने कहा कि उस स्कूल के जलसे की सदारत के लिये कुछ समय कृपा कर के दे दें तो उन के उत्तर के शब्द हैं कि वहां की कांग्रेस कमेटी के सभापति से लिखा कर लाओ। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कमेटी और सार्वजनिक हितकारी स्कूल में कौन सा झगड़ा है? उस स्कूल की एग्जिक्यूटिव बाडी में कांग्रेस वाले, प्रजा सोशलिस्ट, समाजवादी सभी दलों के लोग हैं लेकिन हम उन की मनोवृत्ति की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह कहा गया कि कांग्रेस के सभापति का पत्र लाओ तब

[श्री रामेश्वरलाल]

चल सकते हैं और उन्होंने इसलिए कहा कि चूंकि मैं प्रजासोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हूं और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था कि चलिए स्कूल के जलसे की सदारत के लिए ।

मैं माननीय जोरावर वर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए । इस के साथ ही हमारे माननीय राजा साहब अवधेश प्रताप सिंह जी के शब्दाडम्बरपूर्ण भाषण को भी सदन के सामने मैंने सुना उनकी तो आदत है कि दोनों तरफ मारो जिधर भी लागू हो जाय, वह तो हमेशा यही चेष्टा करते हैं। वह इस को उचित भी यहां नहीं समझते लेकिन साथ ही वही कांग्रेस के मंत्रियों की यहां निन्दा भी करते हैं मुझे वह कहते हैं कि उन्हें साहस कैसे हुआ कि वह यह प्रस्ताव वह इस तरह से संशोधन के रूप में लाये मैं तो श्रीमन् यह शब्द बारबार उनके द्वारा सुन चुका हूं वह हमारे और हमारे साहस की परीक्षा नहीं कर सकते लेकिन उनके साहस की परीक्षा तो हो चुकी है हम जानते हैं इस छोटे से बिल पर आप साहस की क्या चुनौती देंगे कृपा कर के वह ऐसा न करें । जहां तक सार्वजनिक कार्य और सरकारी कार्य का सम्बन्ध है मैं अब भी अडिग हूं और मैं समझता हूं कि सरकारी कार्य और सार्वजनिक कार्य में अन्तर होना चाहिए और जैसा कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी कहते हैं कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास तो हम करते हैं लेकिन विश्वास को तभी ठेस पहुंचती है। जब विश्वास करने के बाद भी घातें और चोटें लगती हैं और कुछ बातें देखने को मिलती हैं । मैं निवेदन करूं कि बाढ़ से हाहाकार मचा और यहां से कम्बल बटने के लिए भेजे गए बाढ़ क्षेत्रों के लिए लेकिन बाढ़ क्षेत्र के रहने वालों को वे कम्बल प्राप्त नहीं हुए और देवरिया के जिले में हमारे क्षेत्र में कुल १४ कम्बल पहुंचे और ज्यादातर कांग्रेस कमेटी के मंत्री, उपमंत्री आदि और देहात में काम करने वाले नए रिक्रूट सिपाही को दे दिए गए और सही आदमियों को वह नहीं मिले । मैंने पूछा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से और एस० डी० ओ० से और तहसीलदार से और उन्होंने मजबूरी जाहिर की कि मैं क्या करूं, मंत्री के सामने हमारी कौन पूछता है। नेता लोगों ने जिसको चाहा दे दिया । तो श्रीमन् ठेस पहुंचती है ।

एक सदस्य—तो आपको कम्बल नहीं मिले ।

श्री रामेश्वरलाल—हमें और आप कम्बल देंगे । आपकी झोली तो इतनी गहरी है जिसमें नमक, तेल, कपड़ा सब पच जाता है । यही तो हमारा रोना है कि छोटी-छोटी चीजें तेल, नमक, कम्बल दियासलाई और मिट्टी, सीमेन्ट इन सब में आपकी ईमानदारी का सबूत मिल चुका है । इसीलिए तो मांग करनी पड़ती है कि सरकारी कार्यों में और सार्वजनिक कार्यों में डेफरेंशियेट करो और सरकार और जनता के अन्दर डेफरेंशियेट करो और इसीलिए मैंने संशोधन रखा है । मैं समझता हूं कि हमारे संशोधन का स्वागत हुआ है और मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल को सुनने के बाद जो प्रस्ताव के विरोध में रहे हैं वे भी और माननीय मंत्री जी भी अपनी राय बदलेंगे और आशा है अब वे इसे स्वीकार कर लेंगे ।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि जो तरमीम पेश की गई है उसको मैं मंजूर नहीं कर सकता । सब से पहले मैं माननीय गेंदा सिंह नेता विरोधी दल को मुबारकवाद देता हूं कि कल जो उनकी तकरीर हुई इस मसले पर वह शायद उन चन्द मखसूस तकरीरों में से थी जो अपोजीशन के लीडर की हैसियत से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसी तकरीरें हुआ करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा । उसी के साथ मुझे अफसोस है कि आज जो दो तकरीरें उधर से हुईं उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस खूबी और उस अच्छाई को कि जो माननीय

नेता ने कायम की थी उसको मिटा दिया जाय । विरोधी दल और सरकार दो चीजें हर जनतंत्र में होना लाजिमी हैं । ये दो अंग हैं बगैर इनके कोई जम्हूरियत कामयाब नहीं हो सकती। मगर जैसा माननीय गेंदासिंह ने कहा कि यह फर्ज है जो अपोजीशन में हो, जो विरोधी दल में हो उसका ऐटीट्यूड उस का विचार कोआपरेटिव होना चाहिए यह नहीं कि जो चीज भी सरकार की तरफ से आवे या सरकार जिस उसूल को भी अपनावे उसकी ही मुखालिफत, उसका ही विरोध करना फर्ज समझा जावे ।

सबसे पहली चीज यह है कि विरोधी की हमेशा यह कोशिश रहनी चाहिये कि मुमकिन है उसको भी मौका मिले शासन के इंतिजाम करने का और जो कुछ भी एतराज वह करता है तो वह इस किस्म के होने चाहिये कि कम से कम जब उनको शासन चलाने का वक्त आये तो उस वक्त उनका निफाज़ हो सके । हमारी यह बद-किस्मती है कि अभी हमारी स्वतंत्रता नई है और कोई दूसरी और पार्टी पावर में नहीं आई है मगर एक बात तो खुली हुई है कि अगर कांग्रेस किसी जमाने में आगे चलकर मुम-किन है कि हमारी आपकी जिन्दगी में अपोजीशन में हो तो जो बातें आज हम करते हैं उसकी मुखालिफत तो नहीं कर सकेंगे और उन्हीं बातों पर हम एतराज़ नहीं कर सकेंगे । यही अहसास विरोधी दल का होना चाहिये कि उस किस्म के उसूल बनाने चाहिये जो आगे चल कर उनका पालन किया जा सके । जो तकरीरें उधर से हुईं उनमें जो असली सवाल था उससे कोई वास्ता नहीं रखा गया है । सवाल तो सिर्फ यह है कि जो ट्रेवेलिंग एलाउन्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ को मिलेगा वह पबलिक बिज़ीनेस के ऊपर जब हों तभी मिलेगा या जब वह आफिशियल बिजीनेस पर जायं तो मिलेगा ।

माननीय गेंदासिंह जी ने बहुत ठीक कहा । असल में इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मगर फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर है । जिस वक्त कि डेमोक्रेसी बनती है तो यह खुली हुई बात है कि उसी वक्त उसकी हुकूमत बन सकती है जब उसकी अकसरियत सदन में मौजूद हो । उसकी अकसरियत के होते हुए वे जो कुछ काम करते हैं वे इसी नियत से करते हैं कि वह अकसरियत जो उनकी है वह मुल्क में अपने असर के जरिये से अवाम की राय अपने माफिक बनाये रक्खे । पार्टी गवर्नमेन्ट के मानी यह है कि जिस वक्त पार्टी की हुकूमत होती है तो पार्टी का जो नेता होता है वह मुख्य मंत्री बनता है और वह हुकूमत को चलाता है, वह अपनी केबि-नेट को नामिनेट करता है । इस सूरत में यह कह देना कि किसी वक्त कोई सम्बन्ध पार्टी और गवर्नमेन्ट में बाकी नहीं रहेगा यह तो बिल्कुल ऐसी बात है जो हो ही नहीं सकती । पार्टी की हुकूमत से डेमोक्रेसी में यकीनन सम्बन्ध रहेगा और वह सम्बन्ध बहुत गहरा और बहुत मजबूत होगा तभी वह हुकूमत कामयाबी के साथ चल सकती है। जहां जहां इस किस्म की हुकूमत है अगर वहां आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जो बहुत से काम किये जाते हैं वे महज इस ख्याल से किये जाते हैं कि उससे जनता की भलाई हो, जनता का फायदा हो और इसी वजह से जनता को यह एतमाद है कि कम से कम यह पार्टी जो इस वक्त बरसरे इक्तदार है वह हमारी बीहीख्वाह है, हमारी भलाई चाहती है और हमारे लिये अच्छा काम कर रही है । इसी तरह से मुझे यकीन है कि कोई भी पार्टी जब वह हुकूमत बनायेगी उसकी यही कोशिश होगी कि अपनी पार्टी और साथियों के जरिये से वह लोगों की सेवा करने की कोशिश करेगी।

जहां तक आफिशियल वर्क का ताल्लुक है मेरे खयाल में आजकल आफिशियल वर्क तो मखसूस है उन आफिसर्स के लिये जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो मुस्तकिल मुलाजिम हैं गवर्नमेन्ट के। जहां तक मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर्स का ताल्लुक है वे तो महज चुने हुए नुमाइन्दे हैं और जिस वक्त तक कि हमारी

[श्री सैयद अली ज़हीर]

पार्टी इन पावर है उस वक्त तक हमको यह अधिकार है कि हम पार्टी की मंशा से और उसकी रज़ामन्दी से हुकूमत को चलावें। वैसे जो हमारे एम्प्लाईज हैं, जो हमारे बड़े बड़े आफिसर्स हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं कि कौन सी पार्टी इन पावर है जो पार्टी इन पावर है जो मंत्री होंगे उनका हुक्म मानना होगा और उनके हुक्म व पालिसी के हिसाब से अपने कामों को अन्जाम देना होता है। वह काम आफिशियल हो सकता है लेकिन जहां तक हमारा काम है हमारा काम हर वक्त यह होता है कि हम पब्लिक इंस्ट्रेस्ट को सामने रख कर देश के हित के ख्याल से हमको काम करना पड़ता है और किसी वक्त भी शायद कोई भी काम जो हम करते हों उससे अलग नहीं कर सकते। हमें तो यहां पब्लिक ने चुन कर भेजा है, उन्हीं के नुमाइन्दे हैं और उन्हीं की सेवा करने के लिये काम कर रहे हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी बातचीत करते हैं या काम करते हैं इसका लिहाज नहीं करते कि यह किस पार्टी का या किस गिरोह का है। जब कोई फैसला करना पड़ता है, कोई पालिसी का मेटर होता है तो जनता की भलाई को सामने रख कर करते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—इलेक्शन के बारे में भी बतला दें।

श्री सैयद अली ज़हीर—लेकिन जहां तक इन मामलात का ताल्लुक है यह आप समझ सकते हैं कि यह जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जिस मामले पर गौर कर रहे हैं इसमें ऐसा इम्तियाज़ रक्खे कि यदि आफिशियल काम हो तभी जायं और तभी ट्रैवलिंग एलाउन्स मिले, वर्ना एलाउन्स न मिले इसका कोई मौका नहीं रह जाता क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारा काम पब्लिक बिजनेस भी है और साथ ही साथ आफिशियल बिजनेस भी है। आफिशियल बिजनेस थोड़ी देर के लिये है लेकिन पब्लिक बिजनेस हमेशा के लिये है। हम मंत्री नहीं रहेंगे, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, तब भी जो काम करेगा, वही होगा जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा और उसको वह करेगा।

जहां तक एलेक्शन का ताल्लुक है एलेक्शन का हवाला दिया गया। एलेक्शन में जनरल एलेक्शन की एक हैसियत है। दूसरे जो छोटे-छोटे एलेक्शन होते हैं उनकी दूसरी हैसियत होती है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा। चाहे मिनिस्टर हो या कोई भी हो वह अपने को पार्टी से अलग नहीं कर सकता है। उसमें कायदे बने हुए हैं। वहां पर हम आफिशल पोजीशन को ऐज़ आफिशल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हमारी पोजीशन जो ऐज़ कांग्रेसमैन है उसको इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने का हमें हक है। यह फर्क है और इसके छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जहांतक कि यह मामला है जैसा कि जिक्र किया गया है। उसके सिलसिले में मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को कहा गया है कि फलां जगह आफिशल्स ने अटेंड किया, फलां जगह फलांसाहब ने किया, तो फलां जगह फलां ने अटेन्ड किया और फलां जगह जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, ये चीज ऐसी हैं जो जाहिर करती हैं कि जो असली मामला है उसके ऊपर कुछ कहना नहीं है। जो आम चीज है, जो जनरल डिस्कशन में आनी चाहिये अगर उस वक्त उनका जिक्र किया जाय तो हम उनका जवाब भी दें। लेकिन इस वक्त जब कि हम यह गौर कर रहे हैं कि आया पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को महज़ इसलिए कि वह पब्लिक बिजनेस पर जांय या उसको बदल करके पब्लिक को आफिशल कर दें तब ट्रेवेलिंग एलाउन्स दिया जाय ऐसे वक्त पर उन बातों का जिक्र करना इससे बिलकुल गैरमुताल्लिक है और उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका आप हम से जवाब मांग सकते हैं। आप सवाल उठा सकते हैं। हम जवाब देंगे। लेकिन असलियत यह है कि चूंकि आपके आर्गूमेन्ट कमजोर हैं इसलिए जब आप को मौका मिलता है तो वही एक पेटेंट चीजें—तमाम घूस चल रही है, मिनिस्टर्स साहबान अपने फरायज अदा नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी अपने

फरायज अदा नहीं करते और जनता की परवाह नहीं करते, घूमा करते हैं इस किस्म की बातें कही जाती हैं। इसके मानी यह है कि जो असली गरज होनी चाहिए विरोधी दल की बिलकुल उस गरज को आप नहीं जानते ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप को हमसे इख्तलाफ है तो कोई ऐतराज नहीं। लेकिन यह कि अगर कोई शख्स अपने फरायज को अंजाम देता है उससे कहना कि क्यों किया और वैसे क्यों नहीं किया, जोकि आप की हस्वमंशा होता, ये मेरे खयाल में ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र जितना कम हम करें और अगर करें तो मौके पर करें तभी बेहतर होगा। इससे कोई फायदा नहीं होता। न इससे आप की शान बढती है और जिस उसूल को कायम करना चाहते हैं न उसमें कोई मजबूती आती है। असली चीज जो है वह यह है कि हम को मालूम हो कि ऐतराज क्या है जिससे हम उस पर गौर कर सकें और उसको कुछ अहमियत दें और दूसरे दुनिया वाले अगर देखें तो उनके दिल में हमारी इज्जत हो कि उनके यहां हाउस के डिबेटस में कोई शान होती है। लेकिन इस तरह से हमला करना कि फलां मिनिस्टर वहां गया तो उन्होंने यह किया, सिवा इसके इससे कुछ जाहिर नहीं होता कि आपके पास कोई दलील नहीं है लिहाजा आप मजबूर हो कर इस किस्म की बातें करते हैं। जहां तक तरमीम का ताल्लुक है वह मैंने अर्ज कर दिया।

कहा यह गया कि हमारा बहुमत बहुत ज्यादा है इसलिये हम जो चाहें पास कर लेंगें इस बजह से हमें दूसरी पार्टियों का भी खयाल करना चाहिए और जो वह कहते हैं उसका खयाल करना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं कि जो भी गवर्नमेन्ट कभी बनेगी उसकी अक्सरियत होगी ही और बगैर अक्सरियत के कोई डेमोक्रेसी चल नहीं सकती और अगर अक्सरियत होगी तो वह चाहे १०,५ की हो, सौ दो सौ की हो, तीन चार सौ की हो, उसका कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा इस किस्म की दलील कि अक्सरियत आपकी है और आप जो चाहें पास कर लेंगें इसके कोई मानी नहीं हैं। जो मामला जेरे गौर है उसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि जिस सिस्टम की हमने हुकूमत बनायी है और हमने अपने विधान में जो उसूल रखे हैं, उनको देखते हुए यहां के ऊपर सिर्फ एक लब्ज मुनासिब है और वह पब्लिक बिजनेस है और वही यहां पर रहना चाहिये और मेरे ख्याल से जो विरोध किया गया है वह किसी तरह काबिले मन्जूरी नहीं है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) को पंक्ति ३ के शब्द "सार्वजनिक कार्य" के स्थान पर शब्द "सरकारी कार्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति १ का शब्द "प्रत्येक" निकाल दिया जाय।

श्रीमन, आप देखेंगे कि खंड ४ के उपखंड (२) का जो भाग (क) और (ख) है वह इस प्रकार है :

"(क) विमान, रेल या सड़क से की गई प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजेटेड आफिसर्स को प्राप्य हो, और

(ख) दैनिक भत्ता जो मैदानों में दस रुपये तथा पहाड़ों पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा।"

[श्री रामेश्वरलाल]

तो इसमें खंड ४ का उपखंड (२) के भाग (क) की प्रथम लाइन में जो शब्द "प्रत्येक" है उसको निकाल दिया है मैंने। 'विमान, रेल, या सड़क से की गई यात्रा के लिये . . . . ' मैं समझता हूं इस 'प्रत्येक को निकाल देने के बाद न तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है और न खंड ४ की जो मंशा है उस मंशा को आघात पहुंचता है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी जैसा कम से कम यह शाब्दिक संशोधन है इसको स्वीकार करेंगे ।

स्वशासन उप मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश) –यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है क्योंकि बहुत सीधी बात है कि प्रत्येक यात्रा के लिये जो ट्रेवलिंग एलाउन्स की आवश्यकता होगी और शाब्दिक केवल मुझे मालूम नहीं होता । मुमकिन है माननीय सदस्य का कोई और मंशा हो। तो वह मुझे स्वीकार नहीं है । बहुत सीधी सी बात है कि जो भी यात्रा वे करें उसमें से हरएक यात्रा के लिये ट्रेवलिंग एलाउन्स मिलना चाहिये ।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे इस प्रस्ताव को, जिसे मैंने शाब्दिक रूप देने की चेष्टा की थी, नहीं स्वीकार किया और इसलिये मैं इसे वापस तो नहीं लेता लेकिन फिर विचार करने के लिये इस पर जोर डालना चाहता हूं ।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मुझे तो स्वीकार नहीं है ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति १ का शब्द "प्रत्येक" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह जो खंड ४ है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस पर बहस काफी हो चुकी है । पहला तो यह कारण है अभी भी मेरी समझ में नहीं आता कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के लिये इस किस्म का विधेयक या इस किस्म का नियम बनाने का हमें कोई अधिकार है । लेकिन फिर भी इस सार्वजनिक कार्य का अभी काफी जिक्र किया गया, मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत सफाई दी, लेकिन वह सफाई हुई नहीं और इसलिये नहीं हुई कि मैं मिसाल भी देने को तैयार हूं कि इलेक्शन के लिये माननीय मंत्री लोग जाते हैं और कहते हैं कि फलां चीज का उद्घाटन होगा और कहीं किसी चीज का उद्घाटन करते हैं, कहीं सड़क का उद्घाटन करने जाते हैं और इलेक्शन को स्पोच करेंगे । क्या इतना भी लोग नहीं सम्हाल सकते ? मैं यह नहीं कहता कि अगर्चे कोई एलेक्शन हो रहा है तो उसमें कोई माननीय मंत्री न जायं । माननीय मंत्री सरकार के मंत्री हैं, सरकारी काम भी करते हैं और अपनी पार्टी के भी आदमी हैं। एलेक्शन होता है, उनको जाना चाहिये । हम उनके जाने में नहीं घबड़ाते और श्रीमन्, देखा गया है कि जहां पर ये मंत्री लोग जाते हैं, वहां जरूर कांग्रेस हारती है । तो हमको इसकी फिक्र नहीं है कि वे जाते हैं, या नहीं जाते हैं । लेकिन जायं तो सरकारी पैसा न खर्च करें । उनको तनख्वाह काफी दे रखी है । उसमें से कुछ खर्च करें । हम लोग तो जाते हैं श्रीमन्, कहीं दूसरी जगह तो हमको सरकार पैसा नहीं देती है, हम लोग तो अपने पैसे से जाते हैं जब कि मंत्रियों से हम लोगों को कम ही मिलता है । तो क्यों न वे लोग भी अपने पैसे से जायं । श्रीमन्, मैं आपको बताऊं, हां, अगर पैसे की कमी है तो पार्टी का चन्दा है, कांग्रेस के पास काफी पैसे हैं, उससे रुपया लेकर जाय, अगर्चे कमी है तो श्रीमन्, मैं दूसरी चीज यह कह रहा था कि मैं इन उद्घाटनों की, जो ये मंत्री लोग जाकर किया करते हैं, सबकी मुखालिफत करता हूं और वह इसलिये कि जहां तक मेरी जानकारी है और देशों में यह उद्घाटन वगैरह का काम नेता लोग किया करते हैं । मंत्री लोग यह सब काम नहीं करते । वहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के नेता लोग करते हैं। तो यह उद्घाटन में भी जायं तो सरकारी पैसे से जायं, मंत्री की हैसियत से जायं, यह हम मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर जायं तो नेता की हैसियत से जायं।

अधिष्ठाता—खंड ४ में मंत्रियों का तो जिक्र नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—वही पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की बात मैं कर रहा हूं। मैंने जरा उसका ट्रांसलेशन मंत्री कर दिया क्योंकि सेक्रेटरी के माने मंत्री के होते भी हैं। उनको सभा सचिव ही कह लीजिये। अब मैं सभा सचिव ही कहूंगा। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अगर यह लोग जायं तो उद्घाटन करने के लिये किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जायं, किसी वाटर वर्क्स का उद्घाटन करने जायं, किसी जलाशय का उद्घाटन करने जायं तो ये लोग नेता की हैसियत से जायं और अपने पाकेट का पैसा खर्च करके वहां जायं, लेकिन मंत्री की हैसियत से न जायं। विदेशों में तो इस किस्म की प्रणाली है नहीं। यहां पर यह बना दी गयी है कि मंत्री लोग ही जाकर उद्घाटन करेंगे, क्यों मंत्री लोग ही जायं? दूसरे लोग जो अच्छे हैं, नहीं मंत्री हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं हैं, उनको भेजा जाय। मैं कहता हूं कि विनोबा जी तो पैदल ही घूम घूम कर भूदान का प्रचार चारों तरफ कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे पैदल जाने के लिये नहीं कह रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि अगर जाना चाहते हैं तो जायं, लेकिन अपने पैसे से जायं। यह उद्घाटन वगैरह का काम सब अपने पैसे से करें। हम नहीं चाहते कि इसमें सरकार का एक भी पैसा खर्च किया जाय। इसलिये मैं इस धारा को मुखालिफत करता हूं और चाहता हूं कि यह धारा हटा दी जाय।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे.....

अधिष्ठाता—आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री राजनारायण—जगन्नाथ मल्ल जी का जो यह संशोधन है उसी पर, श्रीमन्। यह जो इस धारा के निकाल देने के सम्बन्ध में है, इसी पर बोल रहा हूं।

अधिष्ठाता—हां, तो इस पर तो माननीय मंत्री जी नहीं बोले थे।

श्री राजनारायण—इस सम्बन्ध में तो नहीं बोले थे लेकिन जब इससे पहले संशोधन इस धारा में पेश हुए थे, तो उन पर वह बोले थे और उन्हीं बातों के आधार पर हम इस धारा का विरोध कर रहे हैं, इसलिये मैं यह कह रहा था।

अधिष्ठाता—लेकिन वह दूसरे संशोधन थे जिन पर वह बोले थे। जगन्नाथ मल्ल जी के इस संशोधन पर नहीं बोले थे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन खंड ४ को निकाल देने के लिये है। यह संशोधन उन संशोधनों को कवर करता है।

अधिष्ठाता—संशोधनों को कवर नहीं करता है। आप इसी संशोधन पर बोलें।

श्री राजनारायण—खंड ४ पर आप आयें, श्रीमन्, खंड ४ यह है—मैं पढ़ दूं—

"४—(१) प्रत्येक सभा सचिव को एक सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता (कनवेंयेंस एलाउन्स) दिया जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण[

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों (कंडीशंस ऐंड रेस्ट्रिक्शास) के अधीन प्रत्येक सभा सचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :—

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता (ट्रेवेलिंग एलाउन्स) जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजेटेड आफिसर्स को प्राप्य हों, और

(ख) दैनिक भत्ता (डेली एलाउन्स) जो मैदानों में दस रुपये तथा पहाड़ों पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा।" मैं जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन के पक्ष में बोल रहा हूं।

अधिष्ठाता—संशोधन तो है नहीं, विरोध है।

श्री राजनारायण—यानी जो विधेयक था उसके विरोध में बोल रहा हूं। तो श्रीमन्, मैं क्यों चाहता हूं कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन ही माना जाय, इसी तर्क को आपके द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि जगन्नाथ मल्ल का संशोधन न माना जाय तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी क्या पायेंगे? वे ६०० रुपये मासिक वेतन पायेंगे और इसके अतिरिक्त रहने के लिये निवास स्थान पायेंगे और जब तक—पहले अनुवाद सुसज्जित था मगर अब सज्जित है—तो जब तक सज्जित लखनऊ में एक भवन न मिल जायगा तब तक के लिये १०० रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता पाने का भी अधिकारी प्रत्यक सभा सचिव होंगे। तो देखा जाय जरा कि ६०० रुपये तो मासिक तनख्वाह मिल जायगी, १०० रुपये मासिक निवास स्थान के लिये मिल जायेंगे, तो और इनको चाहिये क्या? ६०० रुपये जो मिलेंगे वह कहां खर्च करेंगे? ६०० रुपये में खायें, इधर-उधर जायं जहां जाना हो चाहे उसको सार्वजनिक कार्य समझें, चाहे सरकारी कार्य समझें तब तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि ६०० रुपये की रकम इस गरीब मुल्क में एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को महीने में खर्च करने के लिये बहुत काफी रकम माननी चाहिये, तिस पर भी ६०० रुपये वह और १०० रुपये मकान का किराया पाने के बाद भी आप यह चाहते हैं कि जितने सार्वजनिक कामों में भी वे जायं उनके लिये प्रति दिन १०० रुपये दैनिक भत्ता और मिले और चाहे विमान से जायं, चाहे रेल से जायं या अन्य किसी सवारी से जायं तो उसका भी फर्स्ट क्लास गजेटेड आफिसर जिस तरह से भत्ता पाता है उनको मिल जाय और इसके साथ-साथ १०० रुपये आवागमन के साधन के लिये भी भत्ता दिया जायगा। इसको हम चाहते हैं कि यह निकाल दिया जाय। काफी उनको पैसा दिया जा रहा है —७०० रुपये महीना—और उसमें यदि ये समुचित रूप से अपना काम करना चाहें तो अच्छी तरह से कर सकते हैं।

मैं यहां पर सम्मानित सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो तर्क यहां प्रस्तुत किया था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एक पार्टी का सदस्य है और पार्टी का सदस्य पार्टी के कामों से अपने को अलग नहीं रख सकता, यह एक बड़ा भारी फंडामेंटल क्वेश्चन यहां पर उठा। पार्टी के सदस्य इस तरह से अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो चीफ मिनिस्टर और पार्टी, ये दोनों एक चीज हो गयीं। बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि जब जनतांत्रिक परम्परा की नयी-नयी व्याख्या हो रही है और हर व्यक्ति सत्ता को विकेन्द्रित करने की बात कर रहा है ऐसे युग में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर महोदय अपनी तकरीर के दौरान में यह कहें कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एक पार्टी का सदस्य है, उसके कार्यों को भी वही करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के कांग्रेस पार्टी में और कोई पार्टी का काम करने वाला नहीं रह गया है। जितने भी काम हैं यदि वे ही करेंगे तो फिर सारी सत्ता को एक में विलीनीकरण करने के क्या अर्थ हैं। सरकार और पार्टी का फर्क कहां माना जायगा, यह इतना बड़ा सवाल है और सम्मानित सदस्यगण यहां बैठे हुये हैं, मंत्री लोग भी बैठे हुये हैं और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुये हैं, जिन्होंने समाचार-पत्रों के सम्पादक की हैसियत से कार्य भी किया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि

वे बतलावें कि इससे सरकार और पार्टी का एकीकरण होगा या बिलगाव होगा। एकीकरण होने के क्या मानी होते हैं, क्यों यह विधेयक रखा जा रहा है ? सार्वजनिक काम और सरकारी काम में कोई फर्क नहीं करने दिया गया है, सार्वजनिक काम में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जायगा तो राजकोष से पैसा उसको मिलेगा। फिर वह कौन-सा काम करेगा जो इसके अलावा माना जायगा। इस तर्क को इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिये था। सार्वजनिक काम का बड़ा व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ी परिधि है और यह सारे कामों को अपने में समेट लेता है।

मंत्री जी ने कहा कि इलेक्शन की बात कही गयी तो क्या यह सार्वजनिक काम नहीं है ? मैं कमलापति जी से जानना चाहता हूं, जो सूचना विभाग के मंत्री हैं और जिन्होंने अपना जीवन समाचार-पत्रों के सम्पादक की हैसियत से भी व्यतीत किया है। आप अच्छे लेख लिखते थे, लेकिन अब उनकी प्रतिभा शायद कुन्ठित हो गयी होगी, मैं चाहता हूं कि वे इसके ऊपर प्रकाश डालें, रोशनी डालें। मैं ऐसा समझता हूं कि कमलापति जी हमारे तर्कों से सहमत हैं, वरना वे जवाब देने से न चूकते। लेकिन करेंगे क्या ? क्योंकि वे स्वयं एक कैबिनेट के घेरे में बंधे हुये हैं। वे अपने लिये तो घेरा मानते हैं, लेकिन दूसरों के लिये नहीं मानना चाहते हैं। जिस तरह से कमलापति जी के लिये सरकारी कैबिनेट एक घेरा है, उसी तरह से हम लोगों के लिये जनतंत्र का एक घेरा है और हम उसकी सुरक्षा के लिये अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं कि यह विधेयक वापस होना चाहिये, इस पर विचार नहीं होना चाहिये। जब सरकार की ओर से ऐसा विधेयक लाया जा रहा है तो सरकार की ओर से अपने मुल्क में तानाशाही की जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी यह समझ लें कि किसी सार्वजनिक काम में किसी और को ले जाने में तो पैसा खर्च करना पड़ेगा और मंत्री जी या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जायेंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा और उनका खर्चा राज कोष से होगा और उनकी कार में बैठकर चले भी जाओ। जब यह बिल पास हो जायगा और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी दस बार इलेक्शन में जायेंगे तो क्या वह दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे ? इस पर मंत्री जी को रोशनी डालनी चाहिये थी। कहने को तो वह भले ही कह दें कि मैं ऐसा समझता हूं कि उनको नहीं लेना चाहिये। लेकिन इससे मतलब हल होने का नहीं है, क्योंकि जब कानून में गुंजाइश है और उसके मुताबिक वह दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी हैं वहां आने-जाने का फर्स्ट क्लास का या जिस साधन से वह जायं किराया पाने के अधिकारी हैं तो वह ले सकते हैं, जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर ने कल कहा था कि यहां पर कोई ऐसा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं है जो कि चुनाव के लिये अभी से तनख्वाह में से पैसा बचाता हो। ठीक है। उनको जानकारी में ऐसी बातें होंगी, काफी सम्पन्न लोग होंगे। मैं यह नहीं कहता कि यहां जितने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या मिनिस्टर हैं वे किसी दरिद्र घर के हैं, वे सम्पन्न घर के हैं और इसीलिये सम्पन्न घर की सुरक्षा के लिये विधेयक पेश कर रहे हैं। इसीलिये तो समाज का जो उच्च तबका है उसकी रक्षा करने के लिये, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिये यह सरकार कटिबद्ध है। यदि वह गरीब किसान के बेटे होते तो वह उनकी मुसीबतों को समझते, उनकी दिक्कतों को समझते। जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो इसीलिये जो समाज की पीड़ा है उसको वह नहीं समझ पाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्रीगण जब अपने तर्कों को उपस्थित करते हैं तो विरोधी पक्ष का क्या कर्तव्य है और सरकारी पक्ष का क्या कर्त्तव्य है इस पर एक अच्छा लम्बा चौड़ा लेक्चर दे जाया करते हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने अभी हमें एक अच्छा लेक्चर दिया कि सरकारी पक्ष का काम होता है कि वह ऐसा कानून बनाये कि आगे जब वह विरोध में भी जाय तो उन कानूनों की मर्यादा रखे। ठीक है। उनके कहने में कुछ सार है, मगर मैं विरोधी पक्ष के भी कर्तव्यों को बताना चाहता हूं। विरोधी पक्ष का भी कर्तव्य होता है कि सरकार के गलत कामों का जम कर विरोध करे और वह भी अपने सुझाव ऐसे रखे कि जब उसकी सरकार बने तो अपने कथन को कार्य रूप में परिणत करे और इसी कर्तव्य को अच्छी तरह से समझते हुये हम अपने जज्बात का यहां पर

[श्री राजनारायण]

इजहार कर रहे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि उसकी जो प्रवृत्ति आज पार्टी और सरकार का अन्तर मिटाने की ओर बढ़ रही है उसकी रोकथाम होनी चाहिये। उस प्रवृत्ति को बहुत ही मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ कुचल देना चाहिये। क्या यह वर्तमान सरकार इस प्रवृत्ति को कुचलने में आगे बढ़ेगी ? मैं समझता हूं नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मंत्रीगण सरकारी काम और गैर-सरकारी काम, सरकारी काम और सामाजिक काम,यद्यपि इसमें वे कहते हैं कि अन्तर नहीं है, मगर कुछ अन्तर रहते हुये भी हर सामाजिक कार्य के लिये पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अगर जायेंगे तो उनको राजकोष से पैसा दिया जायगा, मैं इस तर्क को फिर सामने रखना चाहता हूं और कहता हूं कि ऐसे कामों को करके जनतंत्र की पीठ में छुरा मारा जा रहा है। जनतंत्र की हत्या की जा रही है। बार-बार महात्मा गांधी का नाम लेने वाले, इस कांग्रेस सरकार को चलाने वाले, जो कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य जनता के द्वारा चुनकर यहां आये हुये हैं वे आज जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। यह तर्क यहां नहीं खड़ा हो सकता है कि जनता ने चुन कर उनको भेजा है और वे जैसा मनमाना कानून चाहेंगे बना लेंगे। ऐसी बात नहीं है। जनता के सामने जब ये मंत्रीगण जाते हैं तो उनके पास इतने साधन हैं कि वे उसके सामने झूठी बातें रख कर उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के कानून बनाते हैं उस पर बिल्कुल परदा डाल कर जनता में दूसरी भावनाओं का इजहार किया करते हैं। इसलिये आज हमारे देश में और प्रदेश में एक भ्रम फैला हुआ है, झूठी बातें फैली हुयी हैं और ऐसा वातावरण पैदा करके आज समाज का अहित किया जा रहा है ....

अधिष्ठाता---आप और समय लेंगे ?

श्री राजनारायण---जी हां, अभी तो और बोलूंगा।

अधिष्ठाता---अब समय हो गया है। इसलिये आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं विधेयक के चौथे खंड को निकाल देने के लिये बोल रहा था और अपने तर्क प्रस्तुत करते हुये मैंने निवेदन किया था कि यह सरकार इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करके जनतंत्र की हत्या कर रही है। वह जनतंत्र की हत्या कैसे कर रही है अब मैं इसको बतलाना चाहता हूं। बहुत से लोग श्रीमन्, यह समझते होंगे .....

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से यह कह देना उचित समझता हूं कि यहां सामान्य विवाद के तौर पर माननीय सदस्य को इस पर भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस खंड ४ के सम्बन्ध में ही अपने विवाद को सीमित रखें।

श्री राजनारायण---मैं केवल खंड ४ पर ही बोल रहा हूं। पहले इस खंड ४ के समर्थन में माननीय मंत्री जी बोले हैं। मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में सरकार, विरोधी पक्ष और जनतन्त्र सब का चर्चा किया है। इसलिये मुझे बोलने की आवश्यकता हुई, वरना मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, परन्तु हमारी बदकिस्मती समझिये या सदन के सब लोगों की बदकिस्मती समझिये कि उस अवसर पर आप यहां पर विराजमान नहीं थे। उस समय कोई दूसरे माननीय सज्जन इस आसन पर विराजमान थे। तो कुछ बातें सुनने का उनको मौका मिला और कुछ बातें सुनने का आपको मौका मिला। आप सम्भवतः यह समझते हों कि मैं नये सब्जेक्ट पर बोल रहा हूं। मैं नये सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वह सब्जेक्ट पहले से चालू है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी तर्क अभी तक प्रस्तुत हुये हैं....

श्री उपाध्यक्ष—यदि सरकारी पक्ष का कोई आदमी ऐसे विषय की चर्चा करे जिसका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है तो उसके विषय में आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—जो बात विषय से सम्बन्ध नहीं रखती है उसको मैं छोड़ दूंगा लेकिन जो चीजें सम्बन्ध रखती हैं उनका तो जिकर करना जरूरी है। यह खंड ४ जो है वह एक व्यापक खंड है उसमें सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये, विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये आप यात्रिक भत्ता बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरे पेज का खंड ४ जो विधेयक का है उसके (१) और (२), (क) और (ख) इन चारों का मैं विरोध कर रहा हूं और इन चारों बातों के लिये हमें अपने तर्क यहां पर प्रस्तुत करने हैं। तो यहां पर बड़ी चर्चा चलायी गयी थी कि सार्वजनिक कार्य क्या होगा। श्रीमन्, करीब आध घंटे से लाइब्रेरी में बैठकर, यहां जितने भी कानून की परिभाषा जानने वाले लोग हैं उनसे इन शब्दों पर विचार विनिमय किया गया कि सार्वजनिक कार्य किसको माना जायगा और किस को न माना जायगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक कार्य की परिभाषा बता सकने में असमर्थ रहा। हमने एक मुकदमा चलाया था हेमापाल फ्रामजी वर्सेज सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया उसमें पब्लिक पर्पज की परिभाषा बड़ी मुश्किल से सामने लाने की कोशिश की गयी है। उसमें यह लिखा हुआ है—

"In my opinion the phrase, whatever else it may mean, must include a purpose, that is an object or aim in which the general interest of the community, as opposed to the particular interest of individuals, is directly and vitally concerned."

श्रीमन्, इसमें अगर देखा जाय तो माननीय जज ने पब्लिक पर्पज की परिभाषा करते हुये यह साफ कर दिया है कि पब्लिक पर्पज अन्य दूसरे विषयों को भी अपने अन्दर रख सकता है। अन्य दूसरे विषयों को रखे या न रक्खे मगर उन विषयों को तो अवश्य रखेगा जिस विषय में सामान्य कम्युनिटी अपना सम्बन्ध रखती है और जो व्यक्ति विशेष के स्वार्थों से भिन्न हो। इतना ही वे कहते हैं "Whatever else it may mean" तो उसकी आज जो भी परिभाषा की जाय उसमें इतना तो अवश्य ही किया जाना चाहिये। तो अगर उसके प्रकाश में "सार्वजनिक कार्य" का अर्थ किया जाय तो होगा "जन-जन से संबंधित कार्य"। जिसमें तमाम व्यक्ति हों, कोई विशेष व्यक्ति न हो, सर्वसाधारण तरीके से अपना योग दे सकते हों, जिसमें किसी न किसी प्रकार से जनता का हिस्सा हो और यह सब के सब कार्य सार्वजनिक कार्य माने जायेंगे। श्रीमन्, जब यह सदन उठ गया था, उस अवसर पर कुछ व्यक्ति विशेष से भी चर्चा हुयी और यह भी हुयी कि सार्वजनिक कार्य और व्यक्तिगत कार्य की सीमा कैसे खींची जायगी, लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति इतनी अच्छी तरह से सार्वजनिक कार्य की परिभाषा या भाष्य करके न बता सका। यह कैसे किया जाय इसके लिये यही परिभाषा है। इसलिये मैं इस क्लाज का बड़ा जबरदस्त विरोधी हूं और यदि माननीय मंत्री जी सार्वजनिक कार्य की परिभाषा के अन्दर एलेक्शन कार्य और प्रचार कार्य को नहीं मानते हैं या इसी तरह के कांग्रेस पार्टी से संबंधित कार्य को नहीं मानते हैं तो उन को कोई प्राविजन लगाना चाहिये, यहां पर यह सफाई के साथ कहना चाहिये कि सार्वजनिक कार्य में फलां-फलां कार्य नहीं होंगे। ऐसी गोलमोल भाषा का प्रयोग करना कि जिस की सीमा के अन्दर हर तरह के कार्य खींचे जा सकते हैं और मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि देखा जाय और कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की परिभाषा मानी जाय तो शायद शादी विवाह के समारोह भी सार्वजनिक हो सकते हैं और स्वयंवर के जो समारोह होते हैं वे भी सार्वजनिक हो सकते हैं और आजकल अनाथालयों में जिस तरह से वैवाहिक सम्बन्ध होते हैं और जिन में अकसर मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आमंत्रित किये जाते हैं तो वह कार्य भी सार्वजनिक हो सकते हैं, यूं जहां तक मेरी जानकारी है, और जिस तरह का कार्यक्रम आज मंत्रिगण अख्तियार कर रहे हैं उसको देखते हुये ऐसा कोई काम नहीं है जिसको सार्वजनिक कार्य की सीमा में घसीट कर न लाया जा सके। यदि कभी वे लोग निजी काम में भी जाते हैं

[श्री राजनारायण]

तो निजी काम का सम्पादन करते हुये किसी कोआपरेटिव के दफ्तर वगैरह में चले जाते हैं और उस में सरकारी और गैरसरकारी कामों को एक में मिलाकर भत्ते बनाते हैं। इसलिये मैं हर नुक्तेनजर से कहूंगा कि वह चाहे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हों या कोई और पदाधिकारी हों उन्हें किसी को भी सार्वजनिक कार्य के लिये भत्ता न लेना चाहिये।

मैं मंत्री जी के प्रमाण का जवाब देते हुये निवेदन करूंगा कि मंत्री जी जब जनतंत्र की परिभाषा करते हैं तो वे यह अवश्य समझते होंगे कि डेमोक्रेसी के अन्दर पावर का डिसेंट्रे-लाइजेशन हो और यदि जनतंत्र में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण न शामिल हो तो मैं समझता हूं कि वह जनतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। अब मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, मैं आपके द्वारा उन से जानना चाहूंगा कि वे बतायें कि उन की परिभाषा में सार्वजनिक कार्य क्या होंगे और सरकारी कार्य और सार्वजनिक कार्य का क्या अन्तर होगा। मंत्री जी ने सफाई के साथ कहा था कि यदि कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो जाता है तो वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहता है और वह पार्टी के कार्य को कर सकता है, तो वह भी सार्वजनिक कार्य के अन्तर्गत आयेगा तो फिर पार्टी और सरकार का भी भेद मिट कर रहेगा, क्योंकि सार्वजनिक कार्य के अन्दर पार्टी का काम आता है। पार्टियां आज जिस नीति पर चलती हैं और अगर वे अपने को कहें कि वे सर्वजनहिताय हैं और अब तो कांग्रेस सर्वोदय की चर्चा भी करती है तो सामाजिक कार्य करने के लिये पार्टियां बनी हैं, तो फिर सार्वजनिक कार्य से पार्टी के कार्य का अलगाव कैसे होगा और कहां होगा और पार्टी के कार्य का सार्वजनिक कार्य से कैसे भेद होगा। इस तर्क को सामने रखते हुये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या ऐसा विधेयक लाकर मंत्री जी यहां जनतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार और पार्टी के फर्क को एक में मिला नहीं रहे हैं? और जो जनतंत्र की बुनियाद में सरकार और पार्टी का अलग-अलग स्थान है उन दोनों को एक में मिलाकर क्या तानाशाही तरीके को नहीं कायम किया जा रहा है? यह मामली विधेयक नहीं है। जिस मनोवृत्ति का परिचय इस विधेयक से मिलता है उस मनोवत्ति पर प्रहार अवश्य होना चाहिये और मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जब कहा था कि इस समय वे सरकार में हैं और किसी दूसरे समय विरोधी दल में आ सकते हैं, उनका बहुमत न होकर दूसरी पार्टी बहुमत में आकर सरकार बना सकती है। उनका कहना ठीक है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे बहुमत दल में हों और चाहे अल्पमत वाले दल में हों, जो वस्तुस्थिति है वह अपनी जगह पर सही साबित हो कर के रहेगी और वस्तुस्थिति यह है कि वे अल्पमत में भी हो तब भी यह दलील दे सकते हैं बशर्ते कि उनका दिमाग तानाशाही तरीके में विश्वास न रखता हो। इस समय यह नहीं माना जाना चाहिये कि अल्पमत में जितने लोग हैं वे सब जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। आज बहुत से लोग अल्पमत में होंगे जो जम्हूरियत में यकीन नहीं करते और जनतांत्रिक प्रणाली में जिनकी निष्ठा नहीं है। वे भी जानते होंगे कि यदि उनके हाथ में बागडोर आयी तो वे तानाशाही तरीके अख्तियार करेंगे। इसलिये जहां तक सिद्धांतों का प्रश्न उठता है माननीय मंत्री जी सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष को न मिलाकर उस सिद्धांत की हत्या न करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को ६ सौ रुपये तनख्वाह के रूप में और १ सौ रुपया मकान के किराये के रूप में यानी ७ सौ रुपये तो इसी विधेयक के अन्दर मिलने जा रहे हैं। ६ सौ रुपये मासिक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के जीवन निर्वाह के लिये काफी हैं, और बहुत काफी हैं। जब हम कहते हैं तो यह नहीं कहते कि ऐसे सदस्य भी यहां बैठे होंगे जिनके ऊपर हजारों रुपये महीने लक्जरी में खर्च होता रहा होगा मगर मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने जीवन को स्टैन्डर्ड न मानें।

हमारा समाज ऐसा रहा है जिसमें से हम निकल कर आये हैं जिसका स्तर बहुत नीचा रहा है और हम विचारों की उच्चता को सामने रखते रहे हैं, चाहे हमारे खाने के लिये अच्छी-अच्छी सामग्री न रहे, हमारे पहनने के लिये अच्छे-अच्छे वस्त्र न हों,

हमारे रहने के लिये अच्छे अच्छे मकान न हों। तर्क यहां पर दिया जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग यह चाहते हैं कि अगर टेबिल रहे तो उस पर लैम्प न रहे और अगर लैम्प रहे तो बिला बत्ती का रहे। यह तर्क नहीं है। तर्क यह है कि जो मौलिक आवश्यकतायें हैं यानी अगर एक चौकीदार ५ रुपये महीने में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है तो एक मिनिस्टर भी ५० रुपये महीने में अपना जीवन व्यतीत करें उसे १० गुना वेतन ले ले। चौकीदार को ५ रुपये चपरासी को ३० रुपये और सरकारी कर्मचारी सौ, डेढ़ सौ और दो सौ रुपये में अपना जीवन क्यों व्यतीत करें, यह तर्क हमारी समझ में नहीं आया। यह कहा जाता है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को भी बहुत कुछ राजकाज करना है। हो सकता है कि राजकाज का काम करना है तो इससे यह तर्क कहां से उठ गया है कि यदि वे ऐडमिनिस्ट्रेटर हो गये तो उनकी फेमिली के तमाम लोग ऐडमिनिस्ट्रेटर हो गये क्या? यह किस बुद्धि का द्योतक है? यह जनतंत्र की हत्या करने वाली बुद्धि का द्योतक है। श्रीमन्, राजनीति में उत्तराधिकार नहीं चलता है। मुझे खुशी हुयी उस दिन जब महात्मा गांधी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को अपना पोलिटिकल हेयर माना था। श्री सम्पूर्णानद जी जब मुख्य मंत्री नहीं थे तो उनके ४ लेख 'कांग्रेस अधिनायकशाही की ओर' निकले थे जिनमें उन्होंने यह दलील दी थी कि राजनीति में उत्तराधिकार नहीं होता और राजनीति में उत्तराधिकार को मानने वाला डिक्टेटर होता है। मगर मैं अली जहीर साहब से कहना चाहता हूं कि वे अपने मुख्य मंत्री से पूंछे कि क्या उन्होंने कांग्रेस अधिनायकशाही की ओर' लेख लिखा था? कौन सा तर्क उन्होंने रक्खा था, लेकिन आज वे मुख्य मंत्री होते ही उन तर्कों को भूल गये। आज जो सबसे बड़ा अहित कर रहे हैं वर्तमान सरकार के मंत्री, वह यही कर रहे हैं कि जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है। जब सरकार में न हों तो कुछ कहते हैं और जब सरकार में जाते हैं तो कुछ कहते हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में एकता हो चाहे विरोधी पक्ष में हों चाहे सरकारी पक्ष में हों। जिस बात को सही समझते हों उस बात को डंके की चोट पर कहें। लेकिन अगर सही बात को सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष में बैठने की हैसियत से आंकना है—सरकारी पक्ष में बैठकर सत्य कुछ होगा और विरोधी पक्ष में बैठ कर सत्य कुछ होगा—तो जनता हमेशा अधोगति में चलती जायगी और उसका किसी पर विश्वास नहीं रह जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर को जो ६०० तनख्वाह मिलते हैं और १०० रुपये मकान के रूप में इससे ज्यादा हरगिज हरगिज न बढ़ने दें। वह भी हमारे दृष्टिकोण से उनके लिये अनुचित है, लेकिन जब वह हिस्सा पास हो चुका है हमारे विरोध के बावजूद भी तब जो सुविधायें दी जा रही हैं हम उनके लिये विरोध करते हैं और उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करना चाहते हैं। श्रीमन्, आपने देखा और इस सरकार ने देखा कि कल इसी विधान सदन के सामने हजारों की तादाद में पब्लिक आकर इस विधेयक के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द कर चुकी है फिर भी सरकार की ओर से जब ऐसे तर्क उपस्थित होंगे.....(एक आवाज—२५आदमी थे) गोंसाई तुलसीदास जी कह चुके हैं कि जो आंख मूंद कर बैठ जाय उसे कुछ दिखायी नहीं देगा। जब ४९ में २५ नवम्बर को किसान मार्च हुआ था तो इन्हीं कांग्रेस बेंचेज से कहा गया था कि ३१९ आदमी इकट्ठा हुये थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं नहीं जानता कि इन बातों से क्या सरोकार है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, लोग बीच में बोल उठते हैं। तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा आखिरी तौर पर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास कोई तर्क नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, इस विधेयक को यदि जनता के हित के खयाल से पेश करते हैं तो इस रूप में पेश करने के लिये माननीय मंत्री जी सही मानी में जैसा कि मैं कहता हूं यदि एक रूलिंग क्लास के लिये करना चाहते हैं और उन्हीं के द्वारा सारे सामाजिक जीवन को एक पंजे में रखकर सारे काम कराना चाहते हैं, तानाशाही अख्तियार करना चाहते हैं तो जैसा विधेयक आया है उस पर हठवादिता का परिचय देकर वह इस पर जोर दे सकते हैं। लेकिन यदि उनके पास जनतांत्रिक व्यवस्था का, देश की गरीब जनता के हित की तनिक भी कद्र है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें और यह संशोधन जो प्रस्तुत है सहर्ष इसे स्वीकार करें।

*श्री कैलाशप्रकाश—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने इस खंड को निकाल देने का जो प्रस्ताव किया है उसका विरोध करता हूं। माननीय राजनारायण जी ने कुछ बातें कहीं जिनका मैं समझता हूं इस खंड से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस खंड में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि यात्रा का भत्ता परिवारवालों को दिया जायगा, परिवार वालों का इसमें कोई सम्बन्ध नहीं। इसमें वेतन का भी कोई सम्बन्ध नहीं। वेतन का दूसरा खंड था। इस खंड में केवल एक बात है कि सभा सचिव यदि सार्वजनिक कार्य से जायं तो उनको भत्ता मिलना चाहिये। केवल इतनी बात है। एक बात और है कि उन्हें यहां का कनवेऐंस अलाउंस मिलना चाहिये। अब यह तर्क यदि माननीय राजनारायण जी दें कि काम तो वह करते रहें, इधर उधर उनको जाना भी आवश्यक है, पूरी जानकारी भी अपने प्रदेश की रखें, जो प्रश्न उपस्थित किये जायं, उनकी पूरी जानकारी भी उनको हो और उन्हें आने जाने के लिये यात्रा का भत्ता न दिया जाय तो उनकी समझ में यह तर्क आ सकता है। कम से कम मेरी समझ में यह तर्क नहीं आता। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि यह खंड बना रहे। जहां तक उन्होंने सार्वजनिक और आफिशल वाली बात की उस विषय पर सदन काफी विचार कर चुका और निश्चय भी कर चुका। उस पर इसलिये फिर से चर्चा करना सदन का समय लेना है और उसका अच्छा उपयोग भी नहीं है। इसलिये मैं विरोध करता हूं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के प्रस्ताव का और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

मंत्रियों, विधान मंडल के अधिकारियों, उप-मन्त्रियों तथा सभासचिवों का चिकित्सकीय उपचार(medical treatment)।

५—राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम को बाधित न करते हुए मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री तथा सभासचिव और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास (accommodation) पाने का अधिकार होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य संपादन से संबद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य हो।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"५—ऐसी शर्तों तथा निबन्धों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जायं मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री, सभा सचिव तथा उनके परिवारों के सदस्य और राज्य विधान मंडल का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकारी होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य सम्पादन से सम्बद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्य हों।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव के द्वारा वही प्रस्ताव किया है जो कल माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी चाहते थे। वह यह कह रहे थे जो कि मैं भी मानता हूं कि सदन के किन्हीं भी माननीय सदस्य और सभासचिवों, उपमंत्रियों और माननीय मंत्रियों के स्तर में कोई अन्तर नहीं है। तो इस विधेयक का जो प्रस्तुत खंड ५ है उसमें आप देखेंगे कि चिकित्सा सम्बन्धी सारी सुविधायें जो आज तक शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्त हैं वह माननीय सदस्यों को छोड़ कर, माननीय सभासचिवों, माननीय उपमंत्रियों और माननीय मंत्रियों और उनके परिवार वालों के लिये प्रस्तावित हैं। मैंने अपने संशोधन में केवल यही बढ़ाया है कि प्रत्येक माननीय सदस्य चाहे वह इधर के हों या उधर के हों सबके लिये भी वह सुविधायें प्राप्त हो जायं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाशप्रकाश—जी; यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, यह जो संशोधन श्री कृष्ण शरण आर्य ने प्रस्तुत किया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। आप इस संशोधन को देखेंगे तो ज्ञात होगा कि जहां तक मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों, सभापति, उपसभापति आदि के लिये चिकित्सा की व्यवस्था और मुफ्त आवास की चिकित्सालयों में व्यवस्था की बात है माननीय कृष्ण शरण आर्य चाहते हैं कि जो राज्य विधान मंडल के सदस्य हैं उनको भी मुफ्त चिकित्सालयों में रहने की व्यवस्था और उसके साथ साथ मुफ्त दवा पाने का अधिकार हो। मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार भी किया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस सदन के तमाम सदस्यों और मंत्रियों से कि लखनऊ में जितने भी राजकीय अस्पताल दवादारू करने वाले अस्पताल हैं वे इस विधान मंडल के सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों के परिवारों से ही छुट्टी नहीं पायेंगे और उन्हीं की चिकित्सा में उनका सारा समय लग जायगा । आखिर श्रीमन्, परिवार की कोई व्याख्या तो है नहीं। एक क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से विधान मंडल का सदस्य आता है, श्रीमन्, मैं समझता हूं उस क्षेत्र के रहने वाले तमाम लोगों को वह अपना परिवार बना सकता है और है भी और जो लोग भी दवा के लिये आवेंगे उनको वह परिवार के नाम पर यदि किसी राजकीय अस्पताल में व्यवस्था करने की बात कहता है तो कौन मना करेगा। यदि परिवार की व्याख्या होती और यह साफ होता कि उस व्यक्ति के परिवार में किन किन व्यक्तियों की गणना होगी तो मैं यह समझता हूं कि शायद कुछ कम लोगों को इसके मातहत काम लेने का मौका मिलेगा। लेकिन यह तो अब विधान मंडल के ४३० सदस्य जिनमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं सबकी व्यवस्था की बात है मुफ्त दवा आदि के प्रबंध का और चिकित्सालयों में स्थान प्राप्त करने का ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम यह देखते हैं कि आज दवा का जो प्रबंध है राजकीय कर्मचारियों के लिये, जो निम्न श्रेणी के राजकीय कर्मचारी हैं उसके साथ ही साथ हम उनकी दवाइयों की व्यवस्था की तरफ देखते हैं, जो आज हमारे राज के अन्दर गांवों में रहते हैं और जिन्हें समय से मलेरिया का टीका और चेचक का टीका भी उपलब्ध नहीं हो पाता फिर ऐसे देश में जहां पर लाखों आदमियों के पीछे एक एक डाक्टर पड़ता हो और अस्पताल पड़ते हों वहां पर उसी जनता के प्रतिनिधियों को, जब प्रतिनिधि स्वरूप में चुनकर आवें, अपनी व्यवस्था करते समय अपने लोगों की सुविधा की मांग करना किसी भी तरह से उचित नहीं दिखायी पड़ता। मैं यह समझता हूं कि अगर आप जनता की सम्पत्ति का जिसने जिम्मेदार बनाकर आपको यहां भेजा है और जिसके प्रति आपने शपथ भी ली है इस सदन में, उसके साथ आपका यह घोर अन्याय है। यदि आप जनता के लिये रोजी, रोटी आदि की व्यवस्था सुचारु रूप से कर चुके होते और राज्य की जनता को संतोष होता तो मैं मानता हूं कि आपका यह प्रस्ताव उस समय आना ठीक होता, सब लोग इसका स्वागत करते। लेकिन आज इस परिस्थिति में जबकि दवा के अभाव में लोग जिन्दगी समाप्त करते चले जा रहे हैं और बावजूद मांग करने पर आज अस्पतालों की व्यवस्था ग्रामीण लोगों के लिये नहीं हो पाती। आप अपनी व्यवस्था की तरफ यदि जा रहे हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत ही अन्याय और अनीतिपूर्ण कार्य है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदन इसका विरोध करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, एक देहाती कहावत है कि अंधरा बांटे सिरनी धरे घराने खाय। माननीय कृष्णशरण आर्य जी से मैं तो नहीं भरोसा करता था कि इस तरह का संशोधन सदन में उपस्थित करेंगे। श्रीमन्, यह संशोधन जिस धारा में लाया गया है वह धारा केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सभापति, सभापति, उपमंत्री और सभा-सचिवों के लिये सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा निःशुल्क कराने के लिये है और आवास भी निःशुल्क देने के लिये है। इसमें माननीय आर्य जी ने सदस्यों के लिये भी एक संशोधन जोड़ दिया है। अच्छा हुआ होता कि जिस तरह से सभापति, उप-सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप-मंत्री और सभा सचिवों के परिवार के लिये पूरी सुविधा चिकित्सा की इस विधेयक में है, यदि आर्य जी उसी तरह से सदस्यों के परिवारों को भी इसमें जोड़ दिये होते

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तो काफी घाटा जो है वह पूरा हो जाता । लेकिन मेरा खयाल है कि आर्य जो इस संशोधन के पेश करने के पहले यह सोच न पाये, और मेरा खयाल है कि शायद इसमें परिवर्द्धन करने की कुछ बात वह लायें । श्रीमन्, जब एक पैसा भी कोष से, जो कोष इस वक्त है हमारे प्रदेश का उससे ज्यादा बढ़ाकर खर्च करने की बात सरकार की ओर से की जाय तो पहले यह सोचना चाहिये सदन को कि हमारे प्रदेश की जनता क्या इस लायक है कि जो खर्चा सरकार के जरिये से खर्च हो रहा है उस पर बढ़ा करके और टैक्स लगाकर के उसको अदा करके और ठाठबाट का जीवन व्यतीत करने के लिये मंत्रिमंडल को और माननीय सदस्यों को देने का राय रखती है या नहीं ।

श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की जनता आज ऐसी नहीं है जो माननीय मंत्रियों और सदस्यों के लिये मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त आवास उनके लिये देने का साहस करे । माननीय चिकित्सा मंत्री इस सदन में मौजूद नहीं हैं । वह बार बार कहा करते हैं कि प्रदेश के जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में धनाभाव के कारण रोगियों की चिकित्सा और दवादारू ठीक से नहीं हो पाती । श्रीमन्, जहां प्रदेश के लाखों करोड़ों रहने वाली, यहां की जनता अस्पतालों में जाकर के केवल पानी लेकर के वापस चली आती है, अभी गोरखपुर के एक अस्पताल से एक रोगी निकाल कर बाहर फेंक दिया गया जिसकी खबर अखबारों में भी निकली थी और इसी मेडिकल कालेज में श्रीमन्, कितनी-कितनी घटनायें दवा दारू के सम्बन्ध में हुयीं, तो ऐसी अवस्था में जबकि प्रदेश के अस्पतालों में लोगों को दवादारू न मिल सके, जबकि यह सरकार अल्पबचत योजना सारे प्रदेश में चालू किये हुये हो, जब तक यह सरकार सचिवालय में या बाहर काम करने वाले जो चपरासी हैं, उनके वेतन वर्दी का पैसा काट करके चाहती हो कि कुछ पैसे इकट्ठा करे, जबकि श्रीमन्, छोटे छोटे कर्मचारियों पर दबाव दे करके उनके साथ कटौती की जाती है, वैसी अवस्था में इस प्रदेश की सरकार और वह सरकार जो अपने को दम भरती है कि मैं जनता का हित चाहने वाला हूं जनहितार्थ कार्य करने वाला हूं, कानून भी उसके लिये बनाता हूं । इस विधेयक की जो धारा ५ है और उसमें माननीय आर्य जी ने जो संशोधन रखा है यह कितना जनहित में है, इससे कितने व्यक्तियों का फायदा होगा ? केवल छे, साढ़े छे सौ व्यक्तियों का फायदा होगा । और वह फायदा ऐसे व्यक्तियों का होगा, जो १२०० रुपये बिना टैक्स की तनख्वाह पाते हैं, जो पहाड़ों पर १५ रुपये रोजाना दैनिक भत्ता पाते हैं । जिनको रहने के लिये मुफ्त मकान मिले हुये हैं, जिनको एक पैसा भी अपने पास से नहीं खर्च करना है । ऐसे आदमियों के लिये अब मुफ्त दवा का इन्तजाम हो, अस्पतालों में रहने के लिये मुफ्त आवास का इन्तजाम हो और उधर जो लोग घुट घुट कर मर जाते हैं मगर दवा नहीं मिलती है ऐसे लोगों के लिये यह सरकार इन्तजाम न कर पाये और ऐसा विधेयक लाये । फिर भी अपने को जनतांत्रिक सरकार कहे ।

मैं फिर आर्य जी से निवेदन करूंगा कि अब तक जो आपकी सहायता रही है, अब तक जो भी इस मंत्रिमंडल के मंत्री, उपमंत्री आदि को मिलता रहा है वह काफी है, अब और नयी सुविधायें उनको देकर आप अपना उपहास न कराइये और साथ ही अपने भी उपहास के भागी मत बनिये । इस तरह का संशोधन लाकर जो लांछन आप सदस्यों के ऊपर लगाना चाहते हैं यह ठीक नहीं है । सदस्यों का बीमारी में कुछ ज्यादा खर्च नहीं होता, सदस्य बीमार बहुत कम पड़ते हैं और जिनके परिवार के लिये आप मुफ्त चिकित्सा का प्रबंध करने जा रहे हैं उस परिवार का माननीय रामेश्वरलाल जी के शब्दों में कोई ठिकाना नहीं है और उस परिवार पर कितना रोजाना या साल में खर्च होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप सदस्यों के ऊपर लांछन मत लगाइये और इस धारा को भी पास मत होने दीजिये । इस तरह का संशोधन लाना इस प्रदेश की जनता और इस मंत्रिमंडल का अपमान करना है और सरकार के लिये भी यह लांछन होगा । जहां एक तरफ जनता बीमारी से मरती है वहां आप अपनी तनख्वाह का एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते हैं । इसलिये मैं इस सदन से और आर्य जी से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने स्वीकार तो कर लिया है इस संशोधन को लेकिन फिर से इन्कार कीजिये और इन्कार करके अपने ऊपर जो यह काला धब्बा लगा रहे हैं इसको बचाइये । मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य जी इस संशोधन को वापस लेंगे ।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह संशोधन है उसके विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैं जो दो चार बातें कहना चाहता हूं उनकी ओर मैं विधान मंडल के सदस्यों और कैबिनेट के सदस्यों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इसलिये कि मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट काफी ज्यादा कलंकित और बेशर्म हो चुकी है साथ ही मैं ज्यादातर गैलरी में बैठी हुयी जो पब्लिक है उससे अपील करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस सदन के सदस्यों से ही कहना चाहिये, बाहर के लोगों से नहीं कहना चाहिये।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, 'बेशर्मी' शब्द का व्यवहार किया गया है, यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि 'बेशर्मी' शब्द अनपार्लियामेंटरी है और माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री वंशीदास धनगर—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बेशरमी शब्द है, इसको मैं सरकार के प्रति प्रयोग....

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को यह बतला देना चाहता हूं कि जब मैंने रूलिंग दे दी तो आपको वापस लेना चाहिये।

श्री वंशीदास धनगर—जब आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं यह शब्द वापस लेता हूं। लेकिन मैं अपील करूंगा कि यहां पर कितने सुनने वाले हैं, चाहे वह पब्लिक गैलरी में हों..

श्री उपाध्यक्ष—आपको पब्लिक गैलरी को मैनशन नहीं करना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था जो 'बेशरमी' का शब्द सरकार के लिये प्रयोग किया है क्या वह भी अनपार्लियामेंटरी है?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने केवल सरकार के लिये नहीं कहा और उन्होंने मंत्रियों तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का भी नाम लिया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह कहना कि सरकार बेशरम है तो यह पार्लियामेंटरी है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—मैं ऐसे हाइपोथेटिकल प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता। मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री राजनारायण—फिर मैं सरकार को बस बार कहता हूं कि यह सरकार बेशरम है।

आवाजें—बैठ जाइये।

श्री राजनारायण—मैं उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग को मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन आप लोगों का कहना नहीं मान सकता।

श्री वंशीदास धनगर—मैं समझता हूं कि जहां उपाध्यक्ष महोदय ने समझा कि वह अनपार्लियामेंटरी है तो वह वापस हो चुकी है मैं कहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने ऐतराज नहीं किया और मैंने सरकार के लिये तो हिजड़ा शब्द तक का प्रयोग देखा है और यहां पर चेयर में अध्यक्ष थे और कोई ऐतराज नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब मैंने रूलिंग दे दी है तो माननीय सदस्य को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और कहना भी नहीं चाहिये।

श्री वंशीदास धनगर—मैं समझता हूं कि जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है तो बहुत से वक्ता शायद यह नहीं समझ पाये कि पहले का मौलिक रूप क्या था, जिस पर हम नियमन करने जा रहे हैं और इसमें संशोधन का अंश कितना बढ़ा हुआ है। तो मैं पहले इसके मौलिक रूप पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहले मेडिकल हेल्प के लिये यह था कि जो कैबिनेट के हमारे मिनिस्टर्स थे उन तक ही यह सीमित था, लेकिन बाद में यह कर दिया गया कि विधान सभा के जो माननीय सदस्य हैं उनको भी सहूलियतें दी जायं। पहले इसका मौलिक रूप यह था कि मिनिस्टर्स वगैरह को तथा उनके परिवार को मैडिकल हेल्प दी जाय और अब एम०एल०एज० के लिये भी कि यदि वे रोगी हों तो सरकारी अस्पताल में उनको भी सुविधा दी जाय, उनके परिवार को नहीं। यही तरीका होता है व्यवहारिक कामों के करने का। डकैती डालने का भी ऐसा ही एक तरीका है। चोरी करने का भी यही तरीका है और जितने डिस्ऑनेस्टी के और बेईमानी के काम किये जाते हैं उनको भी करने का यही तरीका है कि अगर बेईमानी के मामले में सब को शरीक कर लिया जाय तो सब ठीक रहता है। जो बड़ा डाकू होता है या डाकुओं का सरदार होता है उसका यह फर्ज होता है कि वह सब को देखे। उसका लायन शेयर होता है, सब से बड़ा हिस्सा उसको मिलता है लेकिन चूंकि गिरोह में कुछ चिलम भरने वाले भी रहते हैं, ऐसे भी आदमी रहते हैं कि जो फक्कड़ गुंडे कहलाते हैं, कि जिन्हें शामिल कर लिया और जिससे ऐसी खुशामद ली जाती है। इसी प्रकार हमारे विधान मंडल में सब से सुरक्षित स्थान चीफ मिनिस्टर का है, फिर मिनिस्टर साहब आते हैं, फिर डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आते हैं। इन्हीं में से कुछ के बराबर हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्थान है। इन लोगों को तो डकैती में हिस्सा मिलेगा ही और बाकी लोग चिलमची रहे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि के सम्बन्ध में डकैती करने और उसके हिस्से तथा लायन शेयर की बात का तजकिरा किया, क्या यह सब पार्लियामेंटरी है?

श्री उपाध्यक्ष—मुझे बड़ा खेद है कि इन दिनों यहां वादविवाद की भाषा दिनों दिन कुछ गिरती सी जा रही है। जिस प्रकार का उदाहरण चिलम भरने वालों का, या डकैती का यहां के सदस्यों आदि के लिये दिया गया, यह अनुचित बात है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको अनुचित समझेंगे और ऐसा अनुभव करते हुये वे इन शब्दों को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री वंशीदास धनगर—नहीं। मैं उपाध्यक्ष महोदय से सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि यदि वे और हमारे सदस्य भाषा और भाषा के साहित्य का और सिमलीज का ज्ञान रखते हैं तो यह एतराज निरर्थक है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। आपकी रूलिंग पर क्या यह व्याख्या हो रही है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न है। माननीय सदस्य इस समय बोल रहे हैं। उन्होंने करीब एक पैरा भाषण किया होगा। तो क्या आप यह समझते हैं कि पूरा भाषण स्पंज कर दिया जाय? वह किसी सदस्य को डाकू नहीं कह रहे हैं, किसी सरकार के मंत्री को डाकू नहीं कह रहे हैं। वह सिमली दे रहे हैं। इसके लिये आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो रूलिंग दी है उसका क्या हो रहा है?

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, क्या यह सदन का अपमान नहीं है कि जो चेयर ने एक सजेशन दिया उसको रूलिंग कहा जाय?

श्री वंशीदास धनगर---शायद उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे आज्ञा दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष---अगर आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन जो मैंने कहा उसके बारे में अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री वंशीदास धनगर---अब कुल भाषण मेरे लिये वापस लेना बड़ा मुश्किल है और कोई सदस्य जो कहे वह ऐसी बात कहा करे कि जिसमें हमारी चेयर को भी सहूलियत हुआ करे कि इतने पोर्शन में से एक शब्द या इतना हिस्सा निकाल दिया जाय। साहित्य में सिमली दी जा सकती है बड़ी से बड़ी और कठोर से कठोर। राम के विषय में लिखते हुये हजारों तरह की सिमली दी गयी, और अगर मैं माननीय सदस्यों के लिये कोई सिमली देता हूं तो कोई अनोखी बात मैं नहीं समझता। तो अब मैं उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आगे बढ़ता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी आदमी को एक अनुचित कार्य करना होता है तो उस अनुचित कार्य को सही तरीके से....

श्री कुवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष ने माननीय सदस्य को कुछ शब्द वापस लेने के लिये आज्ञा दी थी, अभी तक माननीय सदस्य ने उनको वापस नहीं लिया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक वह उन शब्दों को वापस न लें तब तक उनको बोलने की आज्ञा न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो चिलम भरना और डाकू शब्दों का आपने प्रयोग किया है वह अनुचित हैं और इन शब्दों को आपको वापस लेना चाहिये।

श्री वंशीदास धनगर---तो मेरे कहने का मतलब यह है कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक उन शब्दों को वापस लिया है या नहीं?

श्री वंशीदास धनगर---मैंने किसी सदस्य के लिये यह नहीं कहा कि वह ऐसा है। मैंने तो अपने भाव बहुत से यहां पर व्यक्त किये और वह इस खयाल से.....

श्री उपाध्यक्ष---आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों को आपको वापस लेना चाहिये।

श्री वंशीदास धनगर---अच्छा तो वे कौन से शब्द हैं जिनको मुझे वापस लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---उनको मुझे बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री वंशीदास धनगर---अच्छा, मैं इस चिलम भरने वाले शब्द को वापस लेता हूं। जब कोई किसी समाज से या व्यक्ति से या किसी संस्था से या किसी गिरोह से अनुचित काम कराना होता है तो यह तरीका व्यावहारिक है कि उससे संबंधित सब लोगों का मुंह बन्द करने के लिये ऐसी व्यवस्था लाते हैं। चूंकि जिस वक्त यह मौलिक रूप में चीज आयी थी मुमकिन है कि लोग बहुत ऐशोआराम में पड़कर ऊंग गये हों, नींद में पड़ गये हों और यह ख्याल न रहा हो कि उन माननीय सदस्यों को भी कुछ हासिल होना चाहिये। अच्छा हो कि सब लोगों को इसमें हिस्सा मिले। इसलिये ऐसी शक्ल की उनको यह जरूरत पड़ी कि किसी के द्वारा यहां अमेंडमेंट लाया जाय और वह लाया गया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जनतांत्रिक व्यवस्था के मूलरूप में जैसा यहां पर प्रस्ताव है और उसके सम्बन्ध में जो यह दूसरी प्रक्रिया की जा रही है ये दोनों ही चीजें अपनी जगह पर जनतांत्रिक व्यवस्था के लिये और जनतांत्रिक संस्था के लिये घातक हैं। मैंने यह जो कहा इसको इस वक्त मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का बहुमत है और देहातों की एक मिसाल है कि भाई जिसकी चल जाती है वह पड़-पड़ कर तानता है। मैं यहां पर मान लेता हूं कि कांग्रेस का बहुमत है। इसलिये मैं इस सदन से अपील करूंगा कि और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी सुनने वाले और इस गैलरी में बैठने वाले हैं मैं उन सब से अपील करूंगा कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि गैलरी के लिये कहने की आवश्यकता नहीं है और गैलरी में बैठने वालों के लिये अपील करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री वंशीदास धनगर--अच्छा, गैलरी के लोग न सुना करें, यह मैं कहूं। चूंकि इस समय कांग्रेस का बहुमत है, वह ऐसी चीजें ला रही हैं और आगे भी लावेगी । मैं कहता हूं कि अति का अन्धेर जागृति पैदा करता है । प्रकृति का यही नियम है कि जब सरकार अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकती है या लगाम नहीं लगा सकती है तो जागृति पैदा होगी । यह सामन्तवादी व्यवस्था का एक रूप है । सामन्तवादी में यही होता है कि राजा साहब की सवारी निकल रही है, उनके लिये कोई नियम नहीं है । अगर पब्लिक का कोई आदमी राजा साहब की सवारी से कुचल जाता है तो राजा सहब के विरुद्ध कोई कानून नहीं है । यह सदन तो पब्लिक का प्रतिनिधि है, इसलिये हम लोगों को पब्लिक के फायदे की बाते सोचनी चाहियें । आज कांग्रेस का अधिकार है, हम लोग कितने ही चिल्लावें लेकिन उसका कोई ज्यादा नतीजा यहां पर नहीं मालूम पड़ता है । परन्तु उसका नतीजा आगे होगा अवश्य । एम० एल० एज० का मुंह बन्द करने के लिये थोड़ा सा फायदा उन्हें भी देकर बांधना कहां तक उचित है ?

सरकार दावा करती है कि एक महान् आत्मा के इच्छानुसार उसकी राज्य व्यवस्था संगठित है और महात्मा गांधी के नाम पर हमारी राज्य-व्यवस्थायें चल रही हैं । तो मैं कहता हूं कि जो उनके शिष्य होने का दावा करते हैं वे उनकी मंशा पर नहीं चल रहे हैं । महात्मा गांधी जी तो चाहते थे कि जो फायदे की चीजें हैं वे सब आम जनता में वितरित हों। कहा अब भी यह जाता है कि अब जो संगठन होगा वह समाजवादी व्यवस्था का होगा । तो ये सब काम देखते हुये हम लोगों को अपनी छाती पर हाथ रखना होगा । चाहे हम समाजवाद के प्रेरक हों या कम्युनिस्ट वाद के प्रेरक हों, क्योंकि रूस के भी राजदूत यहां हमारे देश में आ चुके हैं ? तो फिर यह विशेषाधिकार की बात कैसी ? मैं तो समझता हूं कि यह साधारण नियम है और इसके एनैक्टमेंट की भी जरूरत नहीं थी । कानून के दायरे में इसके लिये लेना मैं समझता हूं, काफी हमारी नियत की ओर इशारा करता है। जब हम यहां १९५२ के शुरू में बैठे थे तब मिनिस्टरों के वेतन की बाबत, उनके भत्ते की बाबत, विधान मंडल के सदस्यों की बाबत एक दफा विचार कर चुके थे, लेकिन बार-बार यह कहना तो जनतंत्रवादी व्यवस्था के ऊपर बड़ा भारी कलंक है । आज यह कांग्रेस पार्टी हमारी सुने या न सुने, हम लोग इस बात पर मुनहसिर भी नहीं रहेंगे । जब हम लोगों के बारे में अपनी बात है और जहां विशेषाधिकार की बात है, किसी के निजी फायदे की बात है, उसमें हम लोगों को बहुत साफ होने की जरूरत है । हम जानते हैं कि यह कानून पास होगा । कांग्रेस का इतना भारी बहुमत है कि उसके सामने हम कुछ भी कहें उसके लिये कोई सूझ या समझ देने की आवश्यकता ही वे नहीं समझते । अगर आज वह इससे भी घटिया किस्म के इनेक्टमेन्ट लावें तो वह भी यह सरकार पास करा सकती है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं । वह बड़ी आसानी से पास करा सकती है । जब हम लोग इन्टेरेस्टेड होते हैं तब कुछ राय देते हैं, वरना हम लोग तो सोचते हैं कि हम और ज्यादा लाभदायक या कीमती कार्य कर सकते ये उन्हीं को क्यों न करें । वहां पर तो सही बात है कि येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से केवल रुपये पैसे के बल पर यू० पी० के समाज का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है । जहां ४ बरस हो गये, आखिर इस कानून की जब आवश्यकता न हुयी ? सरकार को चाहिये था कि इस कानून को यू०पी० की भलाई सोचते हुये हरगिज यहां नहीं लाती भले ही उस पर किसी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब का या किन्हीं उनके नजदीक एक पहुंचने वाले सदस्यों का प्रैशर पड़ा हो । यहां पर बहुत से लोग विधान की बातें समझने वाले हैं और यहां पर कुछ ऐसे भी हैं कि जो विधान की बातें मेरी तरह से कम समझते हैं और हुल्लड़बाजी दोनों तरह के लोग ज्यादा मचाते हैं । इससे हमारे उपाध्यक्ष महोदय को भी और हमें भी बड़ी परेशानी में पड़ जाना होता है कि आखिर हम किस बात पर यह कहें कि यह बात अवैधानिक है या किस वजह से यह कहें कि यह बात वैधानिक है । जब ज्यादा चिल्ल-पों हो जाती है सदन में तो उपाध्यक्ष महोदय को भी कुछ न कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि

उन्हें भी ला ऐंड आर्डर मेन्टेन करना है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसी चीज जो यू०पी० के समाज के लिये मुजिर हो उसे नहीं करना चाहिये। हम जैसे बहुत से जनता में हों जो कि सब तरह की बातें जानते हुये, मैदान में बहुत से मोर्चों को छोड़कर आयें, तो कोई वजह नहीं है कि ऐसे अन्याय और अनाचार की बातें बहुत दिनों तक रह सकें। और ऐसी ही चीजों में पोलीटिकल सफरर वाली भी एक चीज है कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर फिर अपने को दे। लेकिन इस तरह से यह कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों तक जनता में जनप्रिय हो कर नहीं रह सकती। पोलीटिकल सफरर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, उसी तरह से जिस प्रकार से मिनिस्टर के परिवार की परिभाषा नहीं हो सकती। मिनिस्टर के परिवार में एम० एल० ए० भी आता है, जैसे जनसंघी कहते हैं कि उनके परिवार में गाय आती है। यह परिवार की परिभाषा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक दिन ऐसा आयेगा कि एक-एक इंच की परिभाषा होगी। जब अंग्रेजों की परिभाषा हुयी, जब पठानों की परिभाषा हुयी, पठान राज्य की परिभाषा हुयी, मुगलों की परिभाषा हुयी, मुगल राज्य की परिभाषा हुयी, अंग्रेज की परिभाषा हुयी, अंग्रेजी राज्य की परिभाषा हुयी, उसी प्रकार से कांग्रेस की परिभाषा होगी और कांग्रेस राज्य की परिभाषा होगी। बस इतना ही कह कर मैं अपनी जगह लेता हूं।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, काफी रोशनी इस धारा के ऊपर हमारे मित्र, सदन के सम्मानित सदस्य श्री धनगर जी ने डाल दी है। अब बहुत कुछ कहना बाकी नहीं रहा। केवल अपने उस भाव का इजहार मैं कर देना चाहता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक था क्या उतना ही कम था? यह जो विधेयक है उसके पांचवें खंड में मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री, सभासचिव तथा उनके परिवारों के सदस्यों को सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकारी होगा। इसमें माननीय कृष्णशरण आर्य यह बढ़ाना चाहते हैं कि विधान मंडल के सदस्य और सदस्यों के परिवार भी बढ़ा दिये जायं। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक चीज क्यों छोड़ दी? क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, माननीय मंत्रीगण, डिप्टी मिनिस्टर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, उनके परिवारों में और इस सदन के सदस्यों के परिवारों में क्या कोई अन्तर है? जब इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्बन्ध में श्री कृष्णशरण आर्य जी ने संशोधन के द्वारा मुफ्त चिकित्सा कराने की बात कही और क्या इस सदन के सम्मानित सदस्यों से मंत्रियों की हालत बदतर है? उपमंत्रियों की हालत बदतर है? श्री आर्य जी के संशोधन से तो माननीय मित्र धनगर जी की बात अकाट्य सिद्ध होती है। जहां तक मेरी जानकारी है अलाउद्दीन खिलजी के समय की यह कहावत प्रचलित है। दीवारों के कान होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी अपने यहां दीवारों के चारों तरफ पहरा लगवाता था और वह पहरेदार ऐसे लोग रखता था जो बोल नहीं सकते थे ताकि जो कुछ वह सुनें वह कह न पावें, वह बहरे और गूंगे दोनों होते थे। अब यह देखा जाय कि इस सरकार का जो मंत्रिमंडल बैठता है यह उन की पार्टी की जो मीटिंग होती है, ऐसी बात नहीं है कि उस की बातें छन छन कर बाहर न आती हों, विधान मंडल के सदस्यों को क्यों इसमें जोता गया? जहां तक मेरी जानकारी है और कल रात्रि में ही इसकी चर्चा आ गयी थी। इस तरह का संशोधन पहले ही आ गया और मंत्री महोदय इस को स्वीकार भी करेंगे। जब किसी अशुभ काम में, किसी अपवित्र कर्म में मंत्रियों का हाथ समेटा जाता है, उपमंत्री का हाथ समेटा जाता है और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी स्पीकर का हाथ समेटा जाता है तो उस कर्म में सदस्यों को भी लपेट लो, यही भावना रही है, और सदस्यों की जबान बन्द करने के लिये और सदस्यों को समझाने के लिये कि केवल हम ही वह सुविधायें नहीं ले रहे हैं और हम मंत्री, उपमंत्री, सभासचिव और उपाध्यक्ष आदि ही यह सुविधायें नहीं ले रहे हैं बल्कि तुम को भी ऐसी सुविधायें देने का उपाय ऐसे संशोधन के द्वारा कर रहे हैं। मैं इस भावना का जबरदस्त विरोधी हूं और मैंने पहले भी यह बता दिया था कि राज्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

में उत्तराधिकार नहीं चलना चाहिये, लेकिन वही चीज यहां पर चल रही है, और अगर मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उस का परिवार भी ऐडमिनिस्ट्रेटर है ! मिनिस्टर को यदि सरकारी अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिये तो परिवार के सब प्राणियों को भी वह सुविधायें मिलें यह भावना जनहित विरोधी है, यह भावना किसी तरह से गणतंत्र के अनुरूप नहीं है । इस तरह से यह सरकार अपना खूनी पंजा जनता के हितों पर गाड़ कर और भारी टैक्सों का बोझ उस पर लादकर मनमाने तरीके से घर करती जाती है । इस तरह के यह बिल लाकर तो जनता का अहित ही यह सरकार कर रही है ।

आज गणतंत्र के ५ वर्ष पूरे होने पर सरकार के द्वारा कोई बिल प्रस्तुत हुआ, उस में अगर यह बात होती कि जितने हरिजन हैं, जितने बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं या जितने ऐसे लोग हैं जो अपनी दवा करा सकने में असमर्थ हैं या जिनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है जो स्वतः अपने को रोगमुक्त कराने के लिये अच्छी से अच्छी दवाओं का उपयोग कर सकें, उनको सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवायें मिलेंगी, उनके परिवार के लोगों को इलाज के लिये सरकारी अस्पतालों में मुफ्त रहने का और इलाज का प्रबंध होगा, तो मैं ऐसे बिल का सहर्ष स्वागत करता हूं । मैं चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि यह ५ वां खंड निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर यह रखा जाय कि जितने हरिजन हैं, जितने दबे हुये जनता के लोग हैं और समाज के वह लोग जो जीवन की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असमर्थ हैं, उनको और उन के परिवार के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा मिलेगी । सरकारी अस्पतालों में उनके रहने का इंतजाम भी समुचित रूप से मुफ्त हो । मैं चाहता हूं कि इस तरह का संशोधन हो । कुछ माननीय सदस्य यहां पर हंस रहे हैं, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं और उनको शायद मालूम नहीं है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में भी रिफ्ट होने जा रहा है । मैं तो माननीय मंत्री जी को आज जानकारी कराना चाहता हूं कि हमने अभी एक आदमी भेजा है हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले को जो कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनको स्टडी करने के लिये भेजा है कि वह ओपीनियन जान लें । इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे विधेयक पर विचार कर, इस वक्त इस पर विचार कराना बन्द कर और जल्दी से इसको पास न करावें, क्योंकि मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस तरह का विधेयक सदन में लाना अवैधानिक है । इस पर काफी रोशनी पड़ चुकी है । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये कह रहा हूं कि मैं कंटैक्ट में हूं और शाम को फिर आदमी को भेज रहा हूं और हो सकेगा तो कल मैं इस विधेयक के विरोध में हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल कर रहा हूं क्योंकि इसमें पार्लियामेन्ट्री सेक्रटरी का क्लाज नहीं आना चाहिये । मैं इस पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं कि यदि इसके उद्देश्य और कारणों को देखा जाय और श्रीमन्, आपके सामने कांस्टीट्यूशन की किताब है । आप उसको खोल लें तो १६४ के पांचवें और १८६ में कहीं पर भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की चर्चा नहीं है । पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की चर्चा न तो १६४ (५) में और न १८६ में है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—उपाध्यक्ष महोदय, इस पर रूलिंग हो चुकी तो उस पर बराबर कहने से क्या फायदा ?

श्री उपाध्यक्ष—सदस्य महोदय अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजनारायण—समझ रहे होंगे कि हर मर्तबा उपाध्यक्ष महोदय राजनारायण को रोक लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन मैं इतना कह दूं कि—

श्री राजनारायण—हां, मैं संकेत के लिये ही श्रीमन् कह रहा हूं । श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके सिर्फ यह जानकारी कराने के लिये कह रहा था कि हमारी बातचीत हो रही है और सवा बजे से पहले मुझे मौका मिलता तो मैं उस वक्त ही निवेदन

कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भी निवेदन कर दूं कि आप इस पर विचार बन्द कर दें क्योंकि इस पर कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। जिस तरह का यह विधेयक है वह तो खराब है लेकिन इसमें जो श्री कृष्णशरण आर्य का पांववीं धारा में संशोधन है कि अध्यक्ष सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री, सभासचिव को और विधान मंडल के सदस्यों के परिवारों को छोड़कर अन्य सब परिवारों को भी समाज के दूसरे हिस्से से अलग किया जा रहा है। मालूम हो रहा है कि समाज के अन्दर जो मंत्री, उपमंत्री, सभासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति हैं इन्हीं के परिवार के लोगों को रोग होता है और समाज में दूसरे लोगों को रोग नहीं होता! मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यह क्या है? वैसे तो मैं उनके इस विधेयक का ही सख्त विरोधी हूं लेकिन जिस रूप में माननीय आर्य जी का संशोधन यहां पर प्रस्तुत है उसका तो और भी जबदस्त विरोधी हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल विधान मंडल के सदस्यों के परिवार के लोगों को रोग नहीं होता, जो समाज के अन्दर लाखों गरीब हैं, जिनके बदन कपड़े से ढक नहीं पाते ऐसे लोगों के दवाओं का क्या इंतजाम है? इन लोगों के लिये मुफ्त दवाओं का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता? क्यों सरकार चाहती है कि विधान मंडल के सदस्य लोग, मंत्री, उपमंत्री, और उन सब के परिवार के लोग भी स्वस्थ रहें, उनकी ही मुफ्त दवायें हों और दूसरे की न हों। यह जो विधेयक इस रूप में प्रस्तुत हुआ है इसकी वैधानिकता को मैं चुनौती देता हुआ आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा अपमानजनक विधेयक है, क्योंकि इसके इस रूप में पास करने के बाद हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जायेंगे। यह दूसरी बात है कि यदि हमारी बेहयाई बढ़ती चली जाती है, यदि हम बेहयाई की सीमा का पार नहीं पाते हैं तो सरकार जैसा चाहे विधेयक को प्रस्तुत कर दे, लेकिन यदि सरकार सद्बुद्धि को, जनहित को सामने रखती है तो इस विधेयक को वापस लेना ही चाहिये। यदि आप कहें श्रीमन्, तो मैं संशोधन के रूप में आपके सामने पेश कर सकता हूं या सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करे या ऐसे संशोधन माने, जिनमें समाज के उस तबके को मुफ्त दवा मिले और सरकारी अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था मुफ्त हो जो पीड़ित है, ग्रस्त है, दरिद्र है, दुखी है, गरीब है।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन श्री कृष्णशरण आर्य जी ने पेश किया है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं और जिस रूप में माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को रक्खा है उसका भी जबरदस्त विरोध करता हूं। अपने इस विरोध को यहां पर प्रदर्शित करते हुये मैं सरकार को यह भी बतलाना चाहता हूं कि सरकार यह न समझे कि हमारा विरोध किसी टेक्निकल ग्राउन्ड पर ही है। हमारा विरोध सही मानों में विरोध है और इसको कोई रोक नहीं सकता न तो इस सदन के अन्दर और न इन सदन के बाहर। और सरकार जो हठवादिता का परिचय दे रही है जनहित के विरोध में और न विधेयक को प्रस्तुत करने को तत्पर है तो हम भी सरकार से लोहा और टक्कर लेने को तैयार हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—यह जो प्रस्ताव, उपाध्यक्ष महोदय, आर्य जी का है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कारण यह है कि हमने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को ऐलान किया है तो देश में, समाज में जो कोई भी बसता है चाहे वह मिनिस्टर हो, चाहे लेजिस्लेचर का मेम्बर हो या नंगा-भूखा किसान हो, हर आदमी को सरकार दवा की व्यवस्था करे और उसमें कोई डिस्टंक्शन न होना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि जितने भी प्राणी इस देश में बसते हैं उन सबकी दवा की व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिये। अगर आप डिस्टिक्शन करते हैं तो मैं कहूंगा कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का जो ऐलान है वह गलत है। आज मैं विनम्र निवेदन द्वारा आपसे कहना चाहता हूं कि कई दिन से इस बिल पर जनरल डिबेट्ट हो रहा था तब भी और इस समय तक बहुत शांतिपूर्वक सुनता रहा। मेरी आत्मा नहीं कहती थी कि इस बिल पर बोलूं। एक साल जनरल इलेक्शन का बाकी है, हमें जनता

[श्री शिवनारायण]

के बीच में जाना है, जिस जनता नें चुनकर भेजा है उस जनता के सामने दोबारा जाने के लिये बड़ी हिम्मत और बड़े कारनामे होने चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जो बची-खुची इज्जत है उस पर हमला न हो। यह बिल उस मान-मर्यादा पर अटैक करता है। हम जनता में नहीं जा सकते और नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ?

मैं निहायत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आर्य जी को इस रेजोल्यूशन को वापस लेना चाहिये और श्रीचन्द जी के रिजोल्यूशन का विरोध करता हूं। मैं उनसे कहूं कि जब हम आदर्श पुरुष महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो उनके आदर्शों पर हमें अमल करना चाहिये जिससे जिस मान मर्यादा से, जिस श्रद्धा से जनता ने हमें चुन कर भेजा है वह बनी रहे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उस कांस्टीट्युएंसी से आया हूं जहां पवित्र पंडित लोग बसते हैं और दस-दस मील से आकर जिन्होंने कहा कि हम शिवनारायण जी के लिये वोट करेंगे, और यह कहा था कि न दस लेंगे और न दस देंगे ? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं किसी को अपनी कांस्टीट्यूएंसी से चैलेंज करने को तैयार हूं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उसे पूरे बिल को वापस लेना चाहिये और इसीमें हमारा, सरकार का और समाज का कल्याण है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इधर हमारी तरफ से जो एक लोकोक्ति कही जाती है कि 'मन मन भावे मूड़ी हिलावे' सोच रहा था कि हमारे पूर्वी क्षेत्र के मित्र माननीय मिश्र जी ने एक दूसरी बतायी, "जवान बहुरिया ससुरे जाय, मुंह रोवत जाय मन बिहसत जाय।"

यह जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया और जिसे सरकार ने स्वीकार किया उसके संबंध में इसी आज के जेन्डे में एक सशोधन माननीय रामेश्वरलाल जी के नाम से छपा हुआ है जिसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे, यह संख्या १९(क) पर है आज के एजेन्डे में, कि उन्होंने लिखा है इसी खंड ५ के विषय में, "किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उपरोक्त माननीय सदस्य अपने परिवार के सदस्यों की एक सूची सरकार को अर्पित करेंगे"

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो संशोधन सदन में सदस्य की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया, क्या उस पर विचार किया जा सकेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—विचार के लिये नहीं कहा जा रहा है। उसका वह हवाला दे रहे हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य—इस संशोधन से यह पता चलता है कि माननीय रामेश्वरलाल जी भी यह बात तो मानते हैं कि मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उनके परिवारों को चिकित्सा संबंधी सुविधायें प्राप्त होती रहें। हां, इसमें वह प्रतिबन्ध चाहते हैं कि उनके परिवारों की एक लिस्ट गवर्नमेंट को मिल जाय। तो शायद वह नहीं जानते कि यह जो मैंने अमेंडमेंट रखा है इसमें लिखा हुआ है कि उन्हीं नियमों के अनुसार जिसमें कि राज्य सरकार के फर्स्ट क्लास के अधिकारियों को सुविधायें मिलती हैं। जो कि मेडिकल मैनुअल हैं उसमें परिवार की डेफीनेशन दी हुई है। इसके लिये रूल्स हैं कि परिवार में किस किस को सम्मिलित किया जायगा। तो यह बात रामेश्वरवाल जी ने मान ली और उनकी यह भावना है। अब जो बात मैंने कही उसमें अन्तर यही है कि वह सब सदस्यों के लिये भी है। अतः स्पष्टतः बात वही है कि "मन मन भावे मुड़ी हिलावे"। कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे, इस बात की ख्वाहिश नहीं करेंगे कि हम बीमार पड़ जायं और हमें मुफ्त इलाज मिले। लेकिन चूंकि मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामटरी सेक्रेटरीज तथा जो फर्स्ट क्लास के आफीसर्स हैं उनमें और तमाम एम० एल० एज० में आपस में स्तर की केवल समता स्थापित करने के लिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है, इसलिये इसको अन्दर से मानते

हुये भी केवल एलेक्शन की भावना से, या यह समझ कर कि यहां विरोध में ही बोलना धर्म है, बोलते हैं। अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि इसी बिल में हरिजनों को, गरीबों को, सारी जनता को मुफ्त इलाज का भी हक हो। यह अवैधानिक बात कहने का उनका एक उदाहरण है। यह कौन नहीं चाहेगा कि सारे देश की जनता का मुफ्त इलाज हो? अगर यह संभव हो जाय तो हमें करना चाहिये और इसके लिये हम प्रयत्न कर ही रहे हैं। लेकिन क्या कोई माननीय सदस्य चाहें उधर के हों या इधर के, यह भी कभी सोचते हैं कि जो हम यहां से वेतन ले रहे हैं यह नहीं लेंगे क्योंकि दो सौ रुपये जो हम ले रहे हैं, वह सारी जनता के लोगों को मिले। अगर मुफ्त इलाज सारी जनता का हो जाय तो बहुत अच्छा है। सवा लाख जनसंख्या पर एक नुमाइन्दा होता है उसके स्वास्थ्य की, उसकी हर बात की रक्षा का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है, जैसे कि किसी भी सरकारी अधिकारी के संबंध में होता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है वह केवल एलेक्शन प्रोपैगंडा के लिये ही यहां से गैलरीज को या पब्लिक को ऐड्रेस करके किया है। इसी से साफ बात मालूम होती है कि वह एलेक्शन की दृष्टि से कह रहे हैं जबकि अन्दर से चाहते वही हैं जो मेरा प्रस्ताव है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह अपने विरोध को वापस लें।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। यहां पर यह कहा गया है कि अस्पताल अच्छे नहीं हैं और जो कुछ हैं उनमें मालूम होता है कि सारे वक्त, जितने अस्पताल लखनऊ में हैं कम से कम उसमें सब माननीय सदस्य भर जायंगे। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारी तो यह उम्मीद है कि किसी माननीय सदस्य को अस्पताल में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यह समझा जाय कि किसी वक्त किसी को जाना पड़ेगा तो वह बड़े अफसोस की बात होगी कि उसे इसकी सुविधा न दी जाय। लिहाजा जो तरमीम थी वह बहुत जरूरी तरमीम है और जिस तरह से सब के लिये इंतजाम है माननीय सदस्य भी चाहे वे विरोधी दल के हों या कांग्रेस दल के हों, सबके लिये बराबर की सुविधा इसके लिये की जा रही है। मेरे खयाल में यह मुनासिब तजवीज है उस पर कोई एतराज न होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"५—ऐसी शर्तों तथा निबन्धों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जायं मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री, सभा सचिव तथा उनके परिवारों के सदस्य और राज्य विधान मंडल का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकारी होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य सम्पादन से संबंध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्य हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी, इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिये लौबी में अगर इसके पक्ष विपक्ष में दस्तखत हो जायं तो अच्छा हो।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर यह अच्छा हो कि लौबी में ही दस्तखत कराये जायं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी समझ सके कि कौन इसके पक्ष में थे और कौन विपक्ष में। इसलिये लौबी में दस्तखत करने की आज्ञा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

प्रश्न यह है कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"५—ऐसी शर्तों तथा निबन्धों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जायं, मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति उपाध्यक्ष, उपमंत्री, सभा सचिव तथा उनके परिवारों के सदस्य और राज्य विधान मंडल काप्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकारी होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य केकार्य सम्पादन से संबंध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्य हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८८

विपक्ष में—१७।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मेरा संशोधन खंड ५ में था। मैं खंड ५ का विरोध करना चाहता था। आपने उसे पास कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—यह चूंकि पुराना खंड जो था वह नहीं रहा, उसकी जगह दूसरा खंड रख दिया गया, इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं रह गई।

श्री जगन्नाथ मल्ल—लेकिन श्रीमन्, मैं विरोध तो इसका कर ही सकता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न जानना चाहता हूं। पांचवां खंड जिस तरह से सरकार की ओर से आया था उस पर माननीय आर्य जी का संशोधन था और उसको मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। तो एक तरह से यह सरकारी हो गया। तो अब क्या पांचवें खंड की जगह पर जब पूरा का पूरा दूसरा रख दिया गया तो उस पर माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन, संशोधन के रूप में नहीं आ सकता ?

श्री उपाध्यक्ष—यह सरकारी और गैरसरकारी का प्रश्न नहीं है। जब वह खंड नहीं रहा तो उनके संशोधन का प्रश्न भी नहीं उठता। वह तो उस मूल खंड के विरोध में था न कि संशोधन के, जो कि आया।

श्री जगन्नाथ मल्ल—वह तो पूरे खंड ५ के विरोध में था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान संशोधन नं० १९ ख की तरफ दिलाना चाहता हूं जो जगन्नाथ मल्ल जी के नाम से है कि खंड ५ निकाल दिया जाय। आपके विचार से यह वैधानिक होगा या अवैधानिक कि सारा खंड ५ निकाल देने का संशोधन इस हालत में भी आना चाहिये चाहे ऊपर के और संशोधन न आयें क्योंकि वह तो सारे खंड ५ को, किसी भी सूरत में वह हों, निकाल देने के लिये है ?

श्री उपाध्यक्ष—नहीं। उस समय पर वह खड़े भी नहीं हुये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—खड़े तो हुये थे श्रीमन्... ।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जिस रूप में खंड पहले था, उसका अमेंडमेंट हो चुका था।

श्री राजनारायण—आपकी इस व्यवस्था से मैं सहमत तो नहीं हूं श्रीमन्, लेकिन में क्या करूं!

खंड ६

"६—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की—

(१) धारा २ में शब्द "ड्यौढ़ा (१ १/२) के स्थान पर शब्द "दूना" रख दिया जाय, और

उत्तर प्रदेश अधिनियम १२, १९५२ का संशोधन।

(२) धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २—क के रूप में रख दिया जाय:—

"अन्तराल की यात्राओं के लिये यात्रिक भत्ता।

२—क—जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसको किसी समिति के अधिवेशनकाल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के संबंध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यात्रा के उन भागों के लिये, जो ऐसे स्थानों के बीच की गयी हो, जो रेलवे द्वारा संयोजित नहीं है, उसे माइलेज भत्ता उस दर से मिलेगा जो प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा यात्रिक भत्ता उस कुल दैनिक भत्ते से अधिक न होगा जो उक्त सदस्य को धारा २(२) के अधीन अनुपस्थिति के दिनों के लिये मिलता यदि वह अनुपस्थिति न होता"।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ६ का उपखंड (१) निम्नप्रकार रख दिया जाय:—

"२—विधान मंडल का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी भाग में भी रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी में और रोडवेज द्वारा उच्च श्रेणी में जा सकेगा तथा रेलवे स्टेशनों और रोडवेज के आफिसों में निवेदन पत्र (रिक्वीजीशन स्लिप) भर कर दे देगा परन्तु विधान सभा अथवा उसकी किसी समिति में शरीक होने के लिये आने-जाने में उक्त पत्र लिख देने के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी का किराया भी ले सकेगा।"

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को रखकर चाहता हूं कि सरकार इसे मंजूर कर ले.....

श्री वीरेन्द्रपति यादव—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सीताराम शुक्ल जी ने जो यह संशोधन रखा है और विशेष रूप से वह भाग जिसमें उन्होंने कहा है कि विधान मंडल का कोई भी सदस्य रेलवे की उच्च श्रेणी में ट्रैवेल कर सकेगा, मेरी आपत्ति यह है कि जहां पर रेल में सफर करने का प्रश्न है वह यह जो विधान मंडल है, यह पास करना उसके अधिकारों से बाहर है। यह प्रश्न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है, वह इस पर विचार कर सकती

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

है और ऐसा पास कर सकता है। अतः जो रेलवे के मुताल्लिक, है उसमें सफर करने के मुताल्लिक है, वह अवैधानिक सा हो जाता है।

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वकील तो नहीं हूं मगर वकीलों के साथ बैठा जरूर हूं। इस बेसिस पर अर्ज कर सकता हूं कि यह हाउस जब निश्चय कर लेगा तो यहां के प्रतिनिधि वहां रहते हैं, वह इस चीज को मंजूर कर लेंगे। यहां पास करने के बाद वहां भी पास होगा। तो कभी भी कोई रुकावट नहीं हो सकती।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल में जो एतराज किया गया है वह सही मालूम होता है क्योंकि रेलवे बिलकुल सेंट्रल सब्जेक्ट है और हम उसके मुताल्लिक कोई नियम यहां पर नहीं पास कर सकते कि उसमें किसी को अधिकार होगा सफर करने का बिला टिकट लिये हुये। और अगर टिकट लेकर सफर करना है तो उसके लिये गालिबन माननीय सदस्य चाहते नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं भी यह समझता हूं कि इस संबंध में इस सदन को अधिकार नहीं है कि यह निश्चय कर ले और कानून बना दे कि निवेदन पत्र या रेक्वीजीशन के जरिये से सदस्य ट्रेन में सफर कर सकते हैं। यह तो रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत करके मंत्रियों के जरिये से ऐसा अधिकार प्राप्त कराया जा सकता है। अगर रेलवे बोर्ड यह सुविधा देने को तैयार हो तो इस तरह की सुविधा हो सकती है। लेकिन कोई कानून बना कर उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं यह आपका संशोधन अवैधानिक है इसलिये मैं इसको उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—जहां तक रेलवे का ताल्लुक है उसको आप पेश करने की आज्ञा न दें, लेकिन रोडवेज का तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—जिस स्वरूप में आपका संशोधन है उस स्वरूप में मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—उतना मैं निकाल देता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो आप किस तरह से पेश करते हैं?

(कुछ देर पश्चात्)

मैं समझता हूं इसमें कोई भी ऐसा वाक्य नहीं निकाला जा सकता है जिसमें वह वैधानिक हो सके।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, मैं रेलवे से संबंधित अपना संशोधन निकाल दूंगा।

श्री अध्यक्ष—फिर तो यह नया संशोधन हो जायगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय। श्रीमन्, खंड ६ का उपखंड (१) इस प्रकार है—"धारा २ में शब्द 'ड्योढ़ा' के स्थान पर शब्द 'दूना' रख दिया जाय।"

श्रीमन्, सन् १८५२ में जो ऐक्ट पास हुआ था विधायकों के भत्ते और किराये आदि के संबंध में वह भी मैं आपकी सेवा में पढ़ देना आवश्यक समझता हूं। वह इस प्रकार था—

"यात्रिक भत्ता जो विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के रेल के किराये का ड्योढ़ा होगा और सड़क द्वारा यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के गजटेड अफसर को मिलने वाले...."।

मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्य के नाते जो कुछ भी अब तक हमें मिलता रहा है वह हमारे राज्य की स्थिति के अनुकूल नहीं है, ज्यादा है। और आज यह सरकार इस विधेयक द्वारा हमें जो किराया ड्योढ़ा मिलता था उसे दूना कर रही है। इसमें भी कुछ राज है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे जरा बड़ी गम्भीरतापूर्वक इस धारा ६ के द्वारा जो सरकार की मंशा है उस पर विचार करें। सरकार की मंशा सिर्फ यह है कि वे विधायकों को झूठा प्रलोभन देकर अपने मनोनुकूल यह विधेयक पास करा कर कुछ खास-खास अधिकारियों को ज्यादा मुनाफा दिलायें, और सिर्फ नाम को विधान सभा के सदस्यों को इस बिल में सम्मिलित कर लें। जरा विचार करने की बात है कि एक आदमी को फर्स्ट क्लास का ड्योढ़ा अगर आज मिलता हो और कल अगर उसको दूना मिले तो क्या कहलायेगा? लखनऊ से बाराबंकी नजदीक है, बहराइच है, सीतापुर और उन्नाव है, यहां के जो माननीय सदस्य हैं उनको साल भर में केवल २०–२५ रुपये की आमदनी हो सकती है। खास कर जो दूर के रहने वाले हैं जैसे हम लोग, या प्रांत के किनारे के रहने वाले हैं उनको भी कुछ लाभ हो सकता है। श्रीमन्, इस प्रकार से हमने इस पर क्लाज वाइज विचार किया है और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्यों को प्रलोभन देकर इस विधेयक को....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि नीयत के ऊपर आप हमला न करें। अगर आप आक्षेप न करें तब भी आपके आर्गूमेंट का जोर कम नहीं होता।

श्री रामेश्वरलाल—अध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा किसी भी तरह से नहीं है कि माननीय सदस्यों, नेताओं तथा माननीय मंत्रियों की नीयत पर किसी तरह का हमला करूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्यों की शान के खिलाफ है यह कहना कि उनको दो-चार रुपये का प्रलोभन देकर उनसे यह विधेयक सरकार पास करवाना चाहती है शायद यहां पर लोभी नहीं रहते हैं। बहुत उच्च कोटि के लोग यहां रहते हैं मैं समझता हूं कि ऐसा मानकर हमको चलना चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ड्योढ़े से दुगने करने की क्या मंशा है? इस विधेयक में जो इसकी मंशा है उसे देखकर श्रीमन्, मैं बाध्य हूं कि मैं नतीजे पर पहुंचूं कि यह जो बिल है और इसमें जो माननीय सदस्यों का नाम रखा गया है, श्रीमन्, वह नहीं रहना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य मंत्री जी पर जोर डालें कि वे इस बिल को मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिवों तक ही सीमित रखें और इसमें से माननीय सदस्यों का नाम निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, जब से मैं सदस्य हुआ हूं मैंने किसी भी माननीय मंत्री जी के मुंह से यह नहीं सुना कि हमें कम प्राप्त हो रहा है। अभी मैंने देखा कि माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये मेडिकल ऐड और दी जा रही है और अब हमें मुफ्त दवा प्राप्त करने का अधिकार मिला है तो मैं समझता हूं कि इसके होने के बाद हमारा किराया भी बढ़ाया जाय। हमारे लिये सारी सुविधायें हो जायं यह मुनासिब नहीं है जब कि प्रांत में बहुत से लोगों को जिनकी सुविधाओं की जिम्मेदारी लेकर हम यहां आये हैं, उनको सुविधा नहीं दे पाये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अवश्य इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और इस विधेयक का घोर विरोध करेंगे।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आज जब तक यह विधेयक पास न हो जाय, बैठा रहे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस पर वाद-विवाद हो रहा है उससे मालूम होता है कि सरकार को क्या जल्दी पड़ी है कि जब कल हाउस बैठने वाला है तो फिर आज ही रात को हम लोग बैठ कर इसे पास करें जब कि काफी संशोधन बाकी हैं और हम अपने को परेशानी में डालें। सरकार का यह इरादा तो मालूम नहीं होता है और सरकार का यह इरादा होना भी नहीं चाहिये कि जल्दी-जल्दी में इसे पास करा लें और कल शाम तक हाउस बैठने वाला है। इस लिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि कल यह पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर थोड़े खंड बाकी होते तब तो मैं इसकी इजाजत दे देता, लेकिन अभी काफी बाकी है। अगर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से होता है तो मैं समझता कि माननीय सदस्य छोटे-छोटे भाषण देंगे और इसे जल्दी समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर इसमें विरोध होता है तो मैं किसी से यह नहीं कहूंगा कि ५ ही मिनट बोलें। यह भी हो सकता है कि एक ही संशोधन पर बहुत देर तक लोग बोलें और विरोध होने की वजह से यह बात हो सकती है। तो इस प्रकार बहुत समय बढ़ सकता है। इसलिये कुछ सदस्यों की ओर से विरोध होते हुए मैं इजाजत नहीं देता कि यह प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—बिजनेस कमेटी ने यह तय किया था कि यह कल तक समाप्त हो जाय। आज तो एक दिन अधिक हो गया।

श्री अध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि आप सोते रहे। कल आप को यह बात कहनी चाहिये थी। कल सबेरे ही यह बात कहनी चाहिये थी। मैं पिछली कमेटी में नहीं था। मुझे मालूम हुआ था कल सबेरे ही मालूम हो गया था। लेकिन एक तरीका अख्तियार किया गया था कि बजाय सदन में प्रस्ताव पेश करने के आपस में समझ लेना चाहिये कि अमुक विधेयक इतने समय में समाप्त हो जायगा और उसी हिसाब से भाषण हों। तो यह मुझे कल मालूम हुआ था। लेकिन इसके साथ-साथ मैंने यह भी आशा की थी कि भाषणों में नियंत्रण होगा और केवल विरोधी दल वाले सदस्यों को, क्योंकि ये ज्यादा बोलना चाहते हैं तो उनको ज्यादा मौका दिया जायगा। लेकिन जब सब तरफ से भाषण ज्यादा हुए और होने लगे तो उस समय, समय का निर्धारण हो नहीं सकता। और फिर कल किसी ने सदन में याद भी नहीं दिलायी। किसी ने खड़े हो कर यह भी नहीं कहा कि आज इसको खत्म होना है। तो मैंने कल यही समझा कि आप इस विषय में सीरियस नहीं हैं कि इसको कल ही खत्म होना चाहिये। तो इसलिये यह चलता रहा। तो जब वह समय टल गया है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसको शीघ्र समाप्त करने के लिये आप अपने भाषण सीमित रखें। जितनी आवश्यकता हो उतने ही शब्द कहें और बहुत से आर्गुमेंट्स उसमें न लायें। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से कल दोपहर तक यह खत्म हो सकता है। ऐसा ही प्रयत्न किया जाय। लेकिन मैं इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित करने की इजाजत इस वक्त नहीं दे रहा हूं।

***श्री मदनमोहन उपाध्याय**—अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजनेस कमेटी का प्रश्न है यह मेरे सामने भी आया था। हमारे माननीय सदस्य जो उसमें हैं उन्होंने हमें इस बारे में बतलाया था, लेकिन हम अपनी तरफ से इस चीज को नहीं करना चाहते थे। क्योंकि सरकारी पक्ष इसको जल्दी पास कराना चाहता था, हम नहीं चाहते थे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल तो इसको हम अवश्य खत्म कर देंगे। आज तो इसका कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि बहुत से संशोधन अभी बाकी हैं और मैं समझता हूं कि जहां तक हमारा प्रश्न है हम कल तक इसको अवश्य पूरा कर देंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—कल शाम तक अवश्य खत्म हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—मैं इसमें और साफ कर दूं। कल भी मैंने माननीय विरोधी दल के नेता से बात की थी और उनका खयाल था कि कल शाम तक खत्म हो जायगा। आज भी मैंने बात की थी और मैंने सबेरे ही चाहा कि टाइम मुकर्रर हो जाय, लेकिन उन्होंने कहा कि आप देख लें और हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक यह खत्म हो जाय, और जब यह शाम को खत्म नहीं हुआ तो हम यह प्रस्ताव लाये। आपसे मैंने दरख्वास्त नहीं की, लेकिन मैंने उनसे बातचीत की थी और इसलिये यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि उनको यह बात मालूम नहीं हुई। उनको बिलकुल जानकारी थी और उनकी जानकारी में सब बातें हुईं और समझता हूं कि कल यूनिवर्सिटी बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, उसकी बहुत जल्दी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी की और गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, इसलिये इसको जल्द खत्म करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी आवश्यक चीज होगी तो कल समय बढ़ा दिया जाय। अगर यह कल दोपहर तक खत्म नहीं हो जाता है तो समय बढ़ा दिया जायगा। लेकिन आज ही समय बढ़ा कर यह मान लिया जाय कि यह खत्म हो जायगा, विरोध होते हुए भी, मैं समझता हूं कि उचित न होगा।

*श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन है, यह हमको स्वीकार नहीं है। बात यह है कि सन् १९५२ में एक अधिनियम बना था। उस अधिनियम के द्वारा माननीय सदस्यों को अतिरिक्त यात्रा के लिये डेढ़ गुना किराया फर्स्ट क्लास का दिया जाता था। उसके बाद रेलवे के नियम बदल गये और किराये की दर बदल गयी। किराये की दर बदल जाने से जो उनको आधा किराया टिकट के साथ इस लिये दिया जाता था कि वह आने जाने में और खर्चा करते हैं उसको पूरा कर लें। वह भी कम हो गया। अब जब से रेल के किराये की दर बदल गयी है तब से जो सरकारी अधिकारियों को यात्रा का भत्ता मिलता है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि रेल के किराये के साथ-साथ और जो खर्चा है जो यात्रा में करना पड़ता है वह कम नहीं हुआ है इस लिये उनको कठिनाई होती थी। इसी लिये इस चीज की सुविधा करने के लिये यह संशोधन किया गया है कि माननीय सदस्य जब यात्रा करें तो उनको दुगुना किराया दिया जाय, यानी एक फर्स्ट क्लास का किराया उनके लिये बच जाय और उस किराये से रेल के किराये के अलावा जो वह खर्च करते हैं वह उसको पूरा कर सकें। तो इस चीज को सामने रखते हुये यह संशोधन किया गया है और यह बिलकुल उचित संशोधन है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं भी अपने पूर्वोक्त विचारों पर, जो कि मैंने इस संशोधन के संबंध में सदन के सामने रखे हैं, दृढ़ हूं। चूंकि मैं यह समझता हूं कि बहुमत उनके साथ है और यह सही या गलत जैसे भी वह चाहते हैं वैसे पास होगा, फिर भी मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूं और इस पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष ने श्री कृष्णशरण आर्य का नाम पुकारा)

श्री कृष्णशरण आर्य—जो मेरा संशोधन २२ (क) पर है, मैं चाहता हूं कि उसके साथ ३६ नम्बर पर जो मेरा संशोधन है उसको भी इसके साथ ही पेश कर दूं क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष—आप ३६ नम्बर के संशोधन के साथ ही इसको पेश कर सकते हैं।

*श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—मेरे संशोधन के अन्त के शब्द मेरे खयाल से इसकी अवैधानिकता को दूर कर देते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—हां, आप पेश कर सकते हैं ।

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २–क को २–ख के रूप में रख कर उसके स्थान पर २–क निम्न रूप में रख दी जाय:—

"२–क—उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के लिये उसके कार्यालय की पूरी अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से प्रथम श्रेणी का एक रेलवे पास दिया जायगा और जब तक उक्त व्यवस्था न की जा सके तब तक अन्य प्रकार से उक्त प्रकार की सुविधा प्रदान की जायगी ।"

इस विधेयक में मंत्रियों या उपमंत्रियों आदि को जो सुविधायें दी गयी हैं उनके बारे में कुछ आपत्ति हो सकती थी । मगर यहां हम लोग सारे सूबे के लिये जिम्मेदार हैं भले ही चुन कर किसी क्षेत्र विशेष से आये हों । सदस्यों को सारे सूबे की पूरी जानकारी होनी चाहिये तभी वह कानून बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं । अभी दो चार दिन हुये "जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था" विधेयक यहां उपस्थित था । उस समय मैदानी सदस्यों को कठिनाई थी कि उसके बारे में ठीक से अपनी राय दें सके । मैं खुद परेशान था कि कोलटा की वहां क्या हालत है ? इसी प्रकार हमारे पहाड़ के बहुत से साथी हैं जो मैदानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और उनके लिये यह संभव नहीं होता है कि वे मैदान के बारे में किसी विधेयक के संबंध में अपनी राय ठीक से दे सकें । इसलिये आवश्यक है कि हर सदस्य प्रदेश में हर जगह की जानकारी रखे और वहां का दौरा करे । तभी वह अधिनियम बनाने में उचित सहायता दे सकता है । जब तक वह उचित सहायता नहीं देता है वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता है । भले ही कुछ लोगों की राय में जो २०० रुपया सदस्यों को मिलता है वह ज्यादा हो, परन्तु उसमें सारे प्रदेश में दौरा करना सम्भव नहीं है । उनके लिये जब तक इस प्रकार की सुविधा नहीं होती है कि सारे प्रदेश का उनके पास-पास हो तब तक विधायक विधान बनाने में पूरी सहायता नहीं दे सकते । हमारे साथियों को आशंकायें चाहे किसी और सुविधा के बारे में हो सकती हैं, परन्तु इस सुविधा के बारे में किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है । आने-जाने के बारे में जो फर्स्ट क्लास का दुगुना किराया दिया जा रहा है उसके लिये तो वे कुछ कह भी सकते हैं,लेकिन पास के बारे में वे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि पास से कोई किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है । जैसे कि विधान मंडल के सदस्य फर्स्ट क्लास का टिकट पाते हैं लेकिन वह थर्ड क्लास में चलते हैं उसमें थोड़ा सा बचा सकते हैं , और ऐसा होता है । लेकिन पास देने के कारण ऐसी कोई शंका नहीं हो सकती । जिस किसी को प्रदेश में कहीं जाने की जरूरत होगी इस ख्याल से कि उस हिस्से के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो उनके लिये यह जरूरी है कि उनको इस तरह की सुविधा दी जाय । जब तक इस तरह की बात नहीं होती तब तक जो विधेयक हमारे सामने आता है उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । इसी विचार से केन्द्रीय सरकार ने पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये इस तरह की सुविधा दी है कि वे अपने देश के कोने-कोने में जा सकें और देश के विभिन्न भागों की जानकारी रख सकें जिससे जो अधिनियम हमारे पार्लियामेंट द्वारा बने उसके बारे में वे अपनी सही राय दे सकें। इसी प्रकार की सुविधा विधान मंडल के सदस्यों को यहां हमारे प्रदेश में होनी चाहिये । जिससे हमारे विधान मंडल के सदस्य अपनी जिम्मेदारी को अच्छी प्रकार से निभा सकेंगे । यह हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार से इसकी मांग करने में कुछ कठिनाई हो, कुछ देर लगे, इस वास्ते मैंने इसमें रख दिया है कि जब तक यह सुविधा न हो सके सरकार अन्य प्रकार से उक्त व्यवस्था करे ।

श्री अध्यक्ष—आपका यह संशोधन कुछ ठीक नहीं लगता । यह इस तरह से हो सकता है कि २–क के स्थान पर नया २–क इस रूप में रख दिया जाय ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही चाहता हूं ।

श्री कृष्णशरण आर्य—जब २–क के स्थान पर यह होगा तो (१) का क्या होगा ?

श्री जयराम वर्मा—जब पास मिलेगा तो सेशन में आने के लिये भी कोई किराया मिलने की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है । माननीय वर्मा जी द्वारा यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है, वह परस्पर विरोधी हैं । यह उसके विरोध में पड़ता है जो हाउस ने अभी पास किया है । अभी यह पास किया है कि धारा ६ की (१) में उपधारा (२) में शब्द ड्योढ़ा के बजाय दूना कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह पास नहीं हुआ है । इसको निकाल देना नामंजूर हुआ है । यानी अभी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है । (श्री जयराम वर्मा से) अब आप चाहें तो इस प्रकार से रख सकते हैं "उपखंड (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय । पूरे खंड को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं नहीं तो परस्पर विरोधी हो जायगा ।

*श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय वर्माजी के संशोधन का सम्बन्ध है उसके विषय में जो कुछ उन्होंने कहा है वह कुछ हद तक सही है, और यदि माननीय सदस्यों को यह सुविधा हो कि वह प्रदेश में सब स्थानों में जा सकें और हर भाग की जानकारी रख सकें तो उनको सदन का काम चलाने में और कार्य करने में सुविधा हो सकती थी । किन्तु इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । जहां तक रेलवे पास देने का सम्बन्ध है इस विषय में प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय रेलवे मंत्री जी से कई बार बातचीत की है और विशेषकर उसके पश्चात् जब कि संसद् के सदस्यों को रेलवे पास की सुविधा दी गई थी, केवल यहीं के नहीं, मुझे याद पड़ता है कि बिहार के कुछ माननीय सज्जनों ने भी एक इस तरह का प्रस्ताव किया था किवहां के सदस्यों को भी अपने प्रदेश के लिए इस तरह के रेलवे पास दिए जायं, लेकिन उस पर भी बातचीत के बाद परिणाम यह निकाला कि केन्द्रीय सरकार अभी इस चीज को व्यावहारिक नहीं समझती कि वह सब माननीय सदस्यों को इस तरह के पास जारी कर सके जिस तरह के पास उन्होंने संसद् के सदस्यों को जारी किये हैं । इसलिए यह चीज अभी नहीं हो सकती और जैसा मैंने कहा कि कुछ हद तक इस चीज को मुनासिब समझा जा सकता है किन्तु इन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण मैं वर्मा जी के संशोधन को मानने में असमर्थ हूं ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी के संशोधन के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय उपमंत्री जी के भाषण के बाद जो कठिनाइयां उन्होंने बताई हैं, मैं समझता हूं कि वे ऐसी नहीं हैं कि जिनका कोई हल न निकल सके । प्रस्तावक महोदय ने तो उन कठिनाइयों को पहले ही समझ लिया था और उस हालत के लिए उन्होंने यह रखा था कि उसके लिए सरकार किसी अन्य रूप से यह सुविधा प्रदान करे । मैंने माना कि जिस रूप में यह संशोधन आया है उसमें कठिनाइयां हैं, जैसे उक्त रूप से यह साफ नहीं होता कि कौन सा वह रूप होगा ? लेकिन इस तरह से सरकार को भी अवसर है और प्रस्तावक महोदय भी विचार विनिमय कर सकते हैं और उस का कोई दूसरा सुन्दर रूप भी दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक इस संशोधन के सिद्धान्त का प्रश्न है उस पर कोई दो रायें नहीं हो सकती । इस समय जो सुविधा माननीय सदस्यों को है कि वे यदि थर्ड में सफर करें तब भी उनको फर्स्ट का किराया दिया जाय यह है तो अवश्य, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि संभवतः लोग इसको पसन्द नहीं करते क्योंकि थर्ड में चलने के बाद अगर आप उनको फर्स्ट का किराया देना चाहते हैं और दूसरी सुविधा देना चाहते हैं तो उसका दूसरा रूप हो सकता है । आप उनका वेतन बढ़ा दें या और अलाउन्सेज दे दें, लेकिन यह कि थर्ड में चल कर फर्स्ट का किराया लें यह सर्वथा अनुचित होगा । और आज के पहले भी प्रदेश के कोने-कोने में इस विषय पर जनता आलोचना और टीका-टिप्पणी करती है । यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

सत्य है कि बहुत से सदस्य फर्स्ट में चलना पसन्द नहीं करते, वे उसको सिद्धान्ततः ठीक नहीं समझते। इसलिए नहीं कि वे अधिक व्यय नहीं करना चाहते या अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, परन्तु केवल इस लिए कि वे इसको पसन्द नहीं करते। आज तक वे एक दरजे के आदी रह चुके हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में जहां पर वे एक कदम ऐसा उठाने के लिये तैयार हैं कि कोई भी आदमी थर्ड क्लास में चले और फर्स्ट क्लास का किराया ले सके जो मैं किसी भी रूप में वांछनीय नहीं समझता हूं तो यह प्रदेशीय सरकार फर्स्ट क्लास का पास दे सकती है। इस प्रकार जो आशंका है और जो आलोचनायें आज तक सदस्यों की की गयी हैं वे बाकी नहीं रहेंगी। श्रीमन्, यह सर्वथा अनुचित है और इम्मारल भी कि थर्ड क्लास में तो सफर करें और हम कराया उसको फर्स्ट क्लास का दें! मंत्री जी स्वयं इस बात को पसन्द नहीं करेंगे। आज अली जहीर साहब अगर इधर बैठे होते और मंत्री न होते तो इस चीज को न पसन्द करते। वह तो फर्स्ट क्लास से कम में कभी भी नहीं चले होंगे, इसलिये उनकी तो बात नहीं है, लेकिन जो थर्ड क्लास में उसूलों के कारण चलते हैं उनके लिये कोई रास्ता नहीं है। इसलिये आप इस को दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। आप उनकी तनख्वाह को बढ़ा सकते हैं, उनको अलाउन्स भी दे सकते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार यह सुविधा संसद् के सदस्यों को दे सकती है तो मैं समझता हूं कि इस सरकार को भी केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहिये, अनुरोध करना चाहिये, विचार विनिमय करना चाहिये, और जब वह न मानें तब देखा जायगा, तभी हम निराश हो सकते हैं इतने प्रयत्नों के बाद।

माननीय जयराम वर्मा जी ने इस संशोधन को रख कर, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का महान् कल्याण किया है, क्योंकि जो आलोचनायें हमारी की जाती हैं और जिस से हम इन्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वसूल मजबूर करता है थर्ड क्लास में जाने के लिये और आप उनको देना फर्स्ट क्लास का चाहते हैं। इस तरह का कानून दुनियां में किसी भी मुल्क में नहीं है कि सफर थर्ड क्लास में करें और भत्ता दिया जाय फर्स्ट क्लास का! मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको खत्म करना चाहिये और इस हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचने से बचाया जाय। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव ऐसा है जिसको आपको केन्द्रीय सरकार के पास भेजने का प्रयत्न करना चाहिये और उनको यह समझाया जाय कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि इस प्रदेश के विधान सभा के माननीय सदस्य अपने प्रदेश में कहीं भी जाना चाहते हैं तो उसमें देने में कोई कठिनाई नहीं है, उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। श्रीमन्, यह तो ऐसी चीज है कि रेलवे डिपार्टमेंट छोटे छोटे कर्मचारियों को सुविधा दे सकती है, तो फिर वह कौन से कारण हैं जिनसे इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह सुविधा न मिले? मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री महोदय जब तक कोई रास्ता ऐसा नहीं निकलता जिसे सरकार भी स्वीकार करे और जिस पर हम लोगों को भी कोई आपत्ति न हो, उस समय तक हमें निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे आग्रह में तर्क है और यह औचित्यपूर्ण सुझाव है। संभवतः रेल मंत्री जी ने उस समय न माना हो और कोई टेक्निकल कठिनाई उनको दिखाई दी हो, लेकिन वास्तविकता के आधार पर देखा जाय तो कोई कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उस तरह का पास मेम्बरों को न दिया जाय। इस सम्मानित सदन में कोई सदस्य ऐसा न होगा, जिसमें किसी को आपत्ति हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और यदि आपत्ति न हो तो इस पर विचार को रोक दिया जाय, और किसी समय ले लिया जाय, इस पर माननीय मंत्री महोदय को, प्रस्तावक को और माननीय सदस्यों को विचार करने का अवसर मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वर्मा जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उनके संशोधन के विरोध में जब मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को सुना तो ताज्जुब हुआ। उनको कोई आपति नहीं है अगर केन्द्रीय सरकार पास दे दे। लेकिन इस विधेयक का जो सारा विरोधी दल विरोध कर रहा है वह इसलिये

कि जनता के खजाने पर इसका बहुत बड़ा भार पड़ेगा। जब केन्द्रीय सरकार ने एक मर्तबा गलती करके पार्लियामेंट के सदस्यों को पास दे दिया तो जो दिक्कत रही है उसी से सबक ले कर लेजिस्लेटिव असेम्बली के प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। मुझे याद है कि पार्लियामेंट के बिहार के एक सदस्य साहब पटना से दिल्ली इस लिये आये कि वे एक लांड्री में दिल्ली में कपड़े भूल गये थे। इस तरह से पार्लियामेन्ट के मेम्बर उसका दुरुपयोग करते हैं। यदि ४३१ विधान सभा के और साढ़े तीन हजार लेजिस्लेटर्स सारे देश भर के हैं उनको पास दे दीजिये तो इसमें करोड़ों रुपये व्यय हो जायेंगे। ४–५ करोड़ इस विधान सभा के सदस्यों में ही व्यय हो जायंगे। यह दलील देना कि जौनसार बावर की जानकारी नहीं थी तो विशाल पुस्तकालय है जिसमें १ लाख पुस्तकें हैं और इंफार्मेशन डिपार्टमेंट है। अगर कोई किसी जगह पर न जाय तो उसे उसकी जानकारी ही न हो यह कोई दलील नहीं है। जनता के खजाने पर बेजा टैक्स लगाना कहां तक मुनासिब होगा। यदि केन्द्रीय सरकार पास की व्यवस्था करके करोड़ों रुपये सिर्फ यू० पी० के दौरे में लगा दें तो नतीजा यह होगा कि जो जेनुइन फर्स्ट क्लास के ट्रेवलर्स हैं उनको फ्रीपास वालों की वजह से जब कि सीट्स कम होती है दिक्कत होगी और रेलवे के पूरे प्रशासन को लक्वा मार जायगा। इसी कारण मैं वर्मा जी के संशोधन और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी की इस दिक्कत का विरोध करता हूं। मैं यही आशा करूंगा कि वर्मा जी टेक्सपेयर के पैसे का खयाल करके इसे वापस ले लें।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और जो दलील अवधेश प्रताप सिंह जी ने दी, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही उचित है। माननीय उपमंत्री जी ने जो इसका जवाब दिया है वह बहुत ही निराशा-पूर्ण असन्तोषजनक और अधूरा है। उन्होंने आशा इस बात की दिलाई है कि अगर रेलवे या पार्लियामेंट इस बात के लिये तैयार हो जाय कि वे पास इश्यु कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका जो अन्तिम भाग है उसको शायद नहीं पढ़ा। इसमें लिखा हुआ है कि 'जब तक उक्त व्यवस्था न की जा सके तब तक अन्य प्रकार से उक्त प्रकार की सुविधा प्रदान की जायगी'। सचमुच में वह यह सुविधा प्राप्त कराना चाहते हैं तो जब तक रेलवे इस प्रकार का पास ईश्यू न कर दे तब तक सदस्यों को जिस प्रकार से हो सके प्रदेश में आने जाने की सुविधा प्रदान करावे। एक साधारण सुविधा जो हमें प्राप्त हो सकती है वह रोडवेज का पास ही है। जहां रोडवेज न हों वहां किसी दूसरे प्रकार का और प्रबन्ध किया जा सकता है।

माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो दलील दी है उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि लोग फर्स्ट क्लास का दुरुपयोग करेंगे और करोड़ों रुपये व्यय होंगे। लेकिन उधर जो विरोधी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं उन्होंने कल अपने भाषण में फरमाया था कि यद्यपि टी० ए० फर्स्ट क्लास के मिलने की व्यवस्था है भले ही हम थर्ड क्लास में ट्रेवल करें, लेकिन उन्होंने बतलाया कि चौधरी तुलसीराम जी थर्ड क्लास में सफर करते थे और उसी का टी० ए० चार्ज करते थे और उन्हें देख कर वे भी ऐसा ही करने लगे। तो क्या माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी अगर यह संशोधन स्वीकार हो जाय तो माननीय तुलसीराम जी या हमारे विरोधी दल के नेता माननीय गेंदासिंह जी के अनुयायी नहीं बन सकते? हम जानते हैं कि फर्स्टक्लास के डिब्बे हर ट्रेन में बहुत से नहीं होते। लेकिन जब हमारे पास फर्स्ट क्लास का पास होगा तो यदि हम थर्ड क्लास में सफर करेंगे तो कोई रेलवे का अधिकारी मना नहीं कर सकता। अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे भरे हुए हैं तब हम सेकेंड क्लास में सफर कर सकते हैं। जो सुविधाएं माननीय वर्मा जी ने बतलायी हैं, हर सदस्य जो प्रदेश की जनता का सच्चा प्रतिनिधि बन कर काम करना चाहता है, वह असमर्थ रहता है, रिहन्द डैम या जो बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार द्वारा चल रही हैं उनके

[श्री जोरावर वर्मा]

विषय में हम अन्दाजिया भाषण दिया करते हैं या पूर्वी जिलों की बाढ़ की समस्या आ जाती है या दूसरे प्रकार की चीजें आ जाती हैं, तो जो कुछ लोगों ने लिखा या लेख देखे उन्हीं के आधार पर बोला करते हैं। इसलिये प्रत्येक सदस्य के लिये कम से कम उनको, इसलिए कि वे ठीक रूप से साधिकारपूर्ण इस सदन के सम्मुख अपनी बात रख सकें, यह अति आवश्यक है कि उनको इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करायी जाय। पास होने से जैसा कि लोगों का विचार है रेलवे में यह व्यवस्था नहीं होगी या करोड़ों रुपये खर्च हो जायंगे, मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

एक बात जो माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने कही है, शायद ऐसा कोई कानून नहीं, कि सफर तीसरे दरजे में करें और किराया पहले दरजे का लें। सचमुच इसका उद्देश्य यह है कि गवर्नमेंट हम विधायकों को जो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता से आशा की जाती है कि हम जो आचरण करेंगे उसी पर वह भी आचरण करेगी तो जब हमें इस तरह का अनैतिक आचरण करने की शिक्षा दी जाती है या मजबूर किया जाता है कि तीसरे दरजे में सफर करें और पहले दरजे का किराया लें, मैं समझता हूं कि इसको उचित नहीं कहा जा सकता। अगर मैं यह कहूं और मेरे लिए कहना उचित न हो तो मैं माफी चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा तो नहीं। यहां एक खेल लगा हुआ है श्री ४२०, मैंने उसको देखा नहीं है। लेकिन सुना यह है कि उसमें यही है कि कहिए कुछ और करिये कुछ और। जो करना चाहते हैं उसमें कुछ और कहिए और जो कहना चाहते हैं उसमें कुछ और कहिये। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जनता के सामने हम आदर्श रूप उपस्थित करें। जो हम करते हैं उसीके लिए हम कहते हैं। इसलिए जो संशोधन रखा गया है वह बहुत ही उपयुक्त है। अगर माननीय मंत्री जी यह कहें कि हम यह सुविधा नहीं देना चाहते हैं तो सचमुच उनको इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी इच्छा है उनके हृदय में यह है कि यह सुविधा दी जाय तो इसको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि इसके स्वीकार करने से अगर रेलवे पास न मिले तो गवर्नमेंट का अधिक खर्च होगा वह यह भी कह सकते थे। इसलिए यह हो सकता है कि यह संशोधन न माना जाय। लेकिन वह चाहते हैं कि वह सुविधा दें। लेकिन मजबूरी है रेलवे पास नहीं देती, यह कोरा बहाना है। वह सचमुच में सदस्यों को सुविधा नहीं देना चाहते हैं जिससे वह प्रदेश की जनता की वास्तविक दशा जानें और अपने विचारों को प्रगट कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की इच्छा पर आश्रित रहने वाले सम्मानित सदस्य की तकरीर मैंने सुनी।

श्री अध्यक्ष—यह किसके लिए आप कह रहे हैं?

श्री राजनारायण—माननीय जोरावर वर्मा ने कहा था।

श्री अध्यक्ष—उनके बारे में यह तो मैं समझता हूं कहना जरा अनुचित सा है।

श्री राजनारायण—मैं उनके भावों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। श्रीमन् मुझे थोड़ा सा दुःख हुआ क्योंकि मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर दूं कि मैं श्री जोरावर वर्मा को दिल से मानता हूं और जब माननीय जोरावर वर्मा जिनको मैं समझता हूं कि यह निरन्तर प्रगति के रास्ते पर चढ़ते चले जायं और जिस सीमा में अब हैं उससे निकल कर के हमारे साथ भी आ जायं तो इसलिए हमको और दुःख हुआ जब उन्होंने यह कहा कि माननीय मंत्री जी की यदि इच्छा है कि वह पास दें और यदि वह श्रीमन्, इच्छा रखते हों पास देने की और उनको कोई आपत्ति नहीं है तो हमको लेने में भी आपत्ति

नहीं है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। कोई कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य यदि इस तरह के भावों का उद्घाटन करते तो हमको उतनी ठेस न लगती। इस भाव का उद्घाटन हमारे मित्र जोरावर वर्मा जी ने किया तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की इच्छा रहे या न रहे हमें तो यह देखना है कि पास की व्यवस्था होने से, पास की व्यवस्था न होने से, कितनी सुविधा बढ़ेगी, कितना खर्च बढ़ेगा या उसमें कमी होगी या उसमें असुविधा होगी? इन बातों को देखा जाना चाहिए। जहां तक कि श्री जयराम जी वर्मा का संशोधन है और जहां तक यह विधेयक उपस्थित है उसको भी देखा जाना चाहिए। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अवगत होंगे और यह सदन अवगत होगा कि जिस तरह का यह विधेयक आया है उसी का विरोधी हूं और इसको बुनियादी दृष्टिकोण से देखते हुए इसके विरोध में.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संशोधन ही पर आ जाइये। संशोधन का विरोध कीजिए। पूरे विधेयक का विरोध करने का यह समय नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसको हटा कर के ही तो वह रखना चाहते हैं। यानी ६ का पहला और दूसरा है। इस पहले और दूसरे को हटा कर के माननीय जयराम वर्मा जी अपना संशोधन रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ६ के पहले और दूसरे पर भी कुछ प्रकाश डालना हमारे लिए आवश्यक होगा।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप उसी संशोधन पर आइये।

श्री राजनारायण—जो खंड चल रहा है श्रीमन्, जिस खंड को यह हटा रहे हैं तो क्यों उसको हटा रहे हैं और क्यों अपना चाहते हैं और यदि इसको न रख कर के जो विधेयक उपस्थित है जैसा क्लाज का ६ (१) और (२) अगर उतना रहेगा, तब उसमें क्या आपत्ति है, और इनका संशोधन माना जायगा तब क्या आपत्ति है इन्हीं के ऊपर मैं अपने को सीमित रखना चाहता हूं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह छठवां का जो पहला पास हुआ उसको भी वह हटाना चाहते हैं और जो छठवां का दूसरा है....

श्री अध्यक्ष—यह अभी पास नहीं हुआ।

श्री राजनारायण—ठीक है। यानी पहला भी हटाना चाहते हैं और दूसरा भी हटाना चाहते हैं। पहले खंड के द्वारा यह चाहते हैं कि जो डयौढ़ा मिलता था आने जाने का लेकर तीन टिकट का पैसा मिल जाता था, अब वह यह कहते हैं कि चूंकि फर्स्ट क्लास के टिकट का पैसा कम हो गया है इसलिए अब वह डयोढ़े की जगह दूना रखना चाहते हैं और दूना रख देने के लिए यह सरकारी पक्ष कहता है क्योंकि समाचार पत्रों में भी इसके बारे में कुछ मंत्रियों के बयान पढ़ने को मिले हैं, यहां पर वह सरकारी पक्ष यह कहता है कि जो पहले डयोढ़े के हिसाब से जो पूरी रकम जाती थी उसको जोड़ा जाय और आज जो है उसको दूना करके जोड़ा जाय तो शायद पहले से कुछ कम ही होता है। हमको यह नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि रेलवे के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाने से जो सुभीता पहले मिलता था वह सुभीता अब है या नहीं? सरकारी दृष्टिकोण पैसे पर नहीं होना चाहिये, हमारी आपत्ति यह है। होना यह चाहिये कि सदस्यों को आने जाने की सुविधा हो, ऐसा न हो कि किसी अवसर पर जबर्दस्त भीड़ हो जिसके कारण वे आ न सकें। फिर उसी सुविधा को हम डयोढ़ा लेने पर ही पा सकते हैं तो दूना क्यों किया जाय। दूना कराने की जब सरकार की मनोवृत्ति होती है तो यह बात उसकी तह में है कि वह पैसे को सामने रखती है और वह यह सोचती है कि इससे सम्मानित सदस्यों को कुछ ज्यादा पैसा मिल जायगा। इसलिये मैं इसका जबरदस्त

[श्री राजनारायण]

विरोधी हूं और चाहता हूं कि सरकार अपने सामने हर समय पैसे की ही बात को न रखा करे बल्कि जो सब के हित की बात हो उसको सामने रखा करे। इसलिये मैं पहला क्लाज जो यहां पर था उसका विरोध करता हूं। अब माननीय जयराम वर्मा जी का संशोधन यदि यहां पर मान लिया जाता है तो उसमें डयोढ़े दूने की कोई बात ही नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ जनवरी, १९५६।

संसद भवन

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर)

शारदा नहर योजना के अन्तर्गत जिन प्रोजेक्टों पर कार्य हो रहा है उनके नाम एवं उन पर होने वाले व्यय का विवरण निम्न है —

	प्रोजेक्ट का नाम	नहरों की लम्बाई	कीमत लाखों मैं	क्षेत्र एकड़ों में	जिलों के नाम
१	८०३ मील की योजना	८४५ मील	४९.९१	१,७६,०००	शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर।
२	१०६२ मील की योजना	७८० मील (इसके अतिरिक्त और नहरें नहीं बनेंगीं)	११०.९७	१,७६,०००	शाहजहांपुर, हरदोई, खेरी, लखनऊ, उन्नाव, पीलीभीत, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद।
३	प्रतापगढ़ शाख	२०० मील	६०.८१	५०,०००	प्रतापगढ़ तथा रायबरेली।
४	ट्रान्स कल्यानी	२०० मील	५५.८४	६०,०००	सीतापुर, बाराबंकी।
५	शारदा सागर	४५० मील प्रथम चरण	४८०.२१	१,७२,३७७	पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, खेरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और जौनपुर।
	योग ..	२४७५ मील	७५७.७४	६,३४३,७७	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

नगरपालिका जौनपुर को १९५५-५६ में दिये गये अनुदानों की सूची :—

		रु०
(१)	पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की लड़कियों तथा लड़कों के छात्रवृत्ति के लिये	५९
(२)	बच्चों के क्रीड़ा-स्थान के लिये सामग्री ..	१,२००
(३)	अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिये अन्तरिम अनुदान	२७,८००
(४)	जूनियर हाई स्कूलों में सामान्य विज्ञान के अध्यापकों के वेतन के लिये	१,३१८
(५)	सड़कों के लिये	५४,८००
	कुल योग ..	८५,१७७

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर)

किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति निम्नलिखित दर पर सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है। इस दर का निश्चय भूमि के प्रकार और उत्पादन शक्ति आदि के अनुसार किया गया है :—

फसल का नाम	दर फी एकड़		
	रु०	आ०	पा०
गेहूं	१०९	१२	०
जौ	७१	४	०
चना	७३	८	०
मटर	५२	०	०
मसूर	६९	८	०
तीसी	५२	०	०
अरहर	७८	८	०
आलू	४००	०	०
टिमाटर	१३५	०	०
अन्य तरकारी	३८०	०	०
प्याज	३३९	०	०
गन्ना	३६०	०	०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर)

१९ वें मंगलवार के हेतु तारांकित प्रश्न संख्या ९० का उत्तर :—

नाम नहर	नाम जिन्स	दर महसूल आबपाशी प्रति एकड़ ३०-१२-४९ को तोड़		दर महसूल आबपाशी जो अब लिया जा रहा है (प्रति एकड़) तोड़		
		रु० आ०	डाल रु० आ०	रु० आ०	डाल रु० आ०	
कोसी वहल्ला	गन्ना	१५ ०	७ ८	१६ ०	८ ०	रबी १३६२ फसली से ३ आने प्रति रु० छूट रिबेट दी गई है।
छूछां और गांगन	धान तरकारियां बाग हर फसल सिंघाड़ा पोपी	६ ०	२ ८	१० ०	५ ०	,,
	कपास	३ ०	१ ८	३ ०	१ ८	,,
	तम्बाकू	६ ०	२ ८	१२ ०	६ ०	,,
	गेहूं, जौ वे फसलें जो गेहूं के साथ हों	५ ०	२ ८	१० ०	५ ०	,,
	चारा	३ ०	१ ८	२ ०	१ ०	,,
	हरी खाद	३ ०	१ ८	२ ०	१ ०	,,
	अन्य खरीफ व रबी की फसल	३ ०	१ ८	५ ०	२ ८	,,
कोसी वहल्ला छूछां गांगन के अतिरिक्त अन्य नहरें।	गन्ना	१५ ०	७ ८	८ ०	४ ०	रबी १३६२ से ४ आना प्रति रुपया छूट दी गई है।
	धान, तरकारियां बागात हर फसल सिंघाड़ा पोपी	६ ०	२ ८	४ ०	२ ०	,,
	कपास	३ ०	२ ८	२ ०	१ ०	,,
	चारा	३ ०	१ ८	२ ०	१ ०	,,
	हरी खाद	३ ०	१ ८	२ ०	१ ०	,,
	अन्य खरीफ व रबी की जिन्सें	२ ८	१ ८	४ ०	२ ०	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३० पर)

संलग्न

सन्				मुकदमें
१९४८	..	..	..	१
१९४९	..	..	..	१
१९५०	..	..	..	६
१९५१	..	..	..	६
१९५२	..	..	..	१५
१९५३	..	..	..	२४४
१९५४	..	..	..	४९९
१९५५	..	..	..	८५०
		कुल योग	..	१,६२२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

यह आवश्यक है कि गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१)—यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—विषय या संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:—

(क) "कालेज" का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था से है जो विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) हो तथा जिसमें विश्वविद्यालय की उपाधियों के निमित्त शिक्षा दी जाती हो;

(ख) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ग) "कार्यकारिणी परिषद्" (Executive Council) तथा "विद्वत् परिषद" (Academic Council) का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और विद्वत् परिषद् से है;

(घ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी से है;

(ङ) "राज्यपाल" (Governor) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च)" सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(छ) "हाल" का तात्पर्य निवास (residence) की ऐसी इकाई (unit) से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित (maintained) या अभिज्ञा (recognized) हो और जिसमें पाठन (tutorial) तथा अन्य अनुपूरक (supplementary) शिक्षण की व्यवस्था हो;

(ज) "छात्रावास" (hostel) का तात्पर्य हाल से भिन्न विद्यार्थियों के निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात या संधारित हो;

(झ) "प्रबन्धक" (management) का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति (Managing Committee) या अन्य संस्था से है जिस पर किसी कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो;

(ञ) "प्रिंसिपल" का तात्पर्य किसी कालेज के अध्यक्ष अथवा इस पद पर कार्य करने के लिये यथोचित रूप से (duly) नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) "नियत" (सजातीय पदों सहित) का तात्पर्य परिनियमों (Statutes) द्वारा नियत से है;

(ठ) "पंजीकृत स्नातक" (Registered Graduate) का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक से है ;

(ड) "परिनियमों"," अध्यादेशों" तथा "विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है;

(ढ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted), किसी उपाधि (degree) डिप्लोमा, या शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो किसी कालेज में भर्ती हुआ हो;

(ण) "अध्यापक" (teacher) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विभाग में या किसी कालेज में अध्यापन कार्य में लगे किसी ऐसे प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या अन्य व्यक्ति से है जो परिनियमों द्वारा अध्यापक घोषित किया जाय;

(त) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में या उसकी ओर से अध्यापन के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी अध्यापक से है;

(थ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य गोरखपुर विश्वविद्यालय से है ।

विश्वविद्यालय

३—(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Chancellor) तथा प्रथम उपकुलपति (Vice-Chancellor) तथा कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के प्रथम सदस्य, तथा वे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात् (hereafter) ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा (hereby) "गोरखपुर विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) संगठित किये जाते हैं ।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकारी (perpetual succession) होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा और उसी नाम से उस पर वाद प्रस्तुत किया जायगा।

(३) अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ अध्ययन (study) की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण देने, मौलिक अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में स्थित कालेजों के कार्यों के निर्देशन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करने के निमित्त विश्वविद्यालय निगमित समझा जायगा ।

अधिकारों का क्षेत्रीय प्रयोग।

४—इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, की गई किसी अन्य व्यवस्था को छोड़ कर, विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच तथा जौनपुर के जिलों में सम्मिलित क्षेत्र में प्रयुक्त होंगे, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इसमें कोई अन्य जिला या उसका भाग बढ़ा सकती है या घटा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एतदर्थ कोई भी विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदन के बिना जारी नहीं की जायगी।

यू० पी० ऐक्ट सं० ८,१९२६।

५—(१) धारा ४ में उल्लिखित जिलों में स्थित समस्त कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध (affiliated) हों, ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायंगे।

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नये कालेजों को संबद्धता संबंधी विशेषाधिकारों के निमित्त स्वीकृति दे सकता है तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा अनुसार, पहले से ही संबद्ध कालेजों के विशेषाधिकारों में अभिवृद्धि कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कानवोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास (radius) के भीतर कोई भी नया कालेज स्थापित नहीं किया जायगा।

(३) विश्वविद्यालय के लिये यह वैध (lawful) न होगा कि वह किसी स्नातकोत्तर उपाधि (post-graduate degree) के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्धता प्रदान करे और ऐसे किसी भी कालेज की जो उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय से संबद्ध समझा जाय, तत्संबंधी कोई भी संबद्धता १९५५-५६ के शैक्षिक वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायगी।

विश्वविद्यालय सभी जातियों तथा वर्गों के लिए होगा।

६—विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुये, सभी व्यक्तियों के लिये होगा और उस में जाति अथवा वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायगा किन्तु इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम (course of study) में अध्यादेशों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करने को बाध्य है।

विश्वविद्यालय के अधिकार।

७—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे:—

(१) विद्या (learning) की ऐसी शाखाओं में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनुसंधान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(२) धारा ५ की उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित कालेजों को संबद्ध करना, तथा उनके कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण;

(३) उपाधियों, डिप्लोमों, तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं को स्थापना करना (institute);

(४) उपाधियों, डिप्लोमों तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं संप्रदान करना (grant and confer)—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय या किसी कालेज में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा एतदर्थ अभिज्ञात (recognized) किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसंधान कार्य (research) किया हो;

(ग) जो शिक्षा संस्थाओं के ऐसे अध्यापक हों जो अध्यादेशों में एतदर्थ नियत शर्तें पूरी करते हों या जो उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित (employed) निरीक्षण पदाधिकारी (inspecting officer) हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों;

(५) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों तथा रीति से सामान्य उपाधियों अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना ;

(६) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना तथा उनके निमित्त ऐसे व्याख्यानों (lectures) तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय निर्धारित करे ;

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अरक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) की स्थापना करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(९) कालेजों और हालों में शिक्षण देने के निमित्त अध्यापकों को अभिज्ञात करना ;

(१०) कालेजों की संबद्धता संबंधी शर्तें नियत करना तथा नियतकालिक (periodical) निरीक्षणों द्वारा और अन्य प्रकार से अपना यह समाधान करना कि वे शर्तें पूरी की जा रही हैं ;

(११) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप [जिसके अन्तर्गत यात्रिक फेलोशिप (travelling fellowships) भी हैं], छात्रवृत्तियों (scholarships), विद्यावृत्तियों (studentships) तथा पारितोषिकों (prizes) की स्थापना करना और उन्हें प्रदान करना ;

(१२) हालों तथा छात्रावासों की स्थापना एवं संधारण (maintenance) तथा विश्वविद्यालय एवं कालेजों के विद्यार्थियों के निवास के निमित्त निवास स्थानों को अभिज्ञात करना ;

(१३) ऐसे शुल्क (fees) तथा अन्य परिव्यय (charges) मांगना और प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं ;

(१४) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के विद्यार्थियों के निवास का अधीक्षण (supervision) और नियंत्रण करना और उन विद्यार्थियों के अनुशासन का नियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य को उन्नत करने का प्रबन्ध करना;

(१५) प्रशासकीय (administrative) , करणिक (ministerial) तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; तथा

(१६) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों ।

निरीक्षण

८—(१) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों , प्रयोगशालाओं (laboratories) तथा साज-सज्जा (equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) करवा सकती है ।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है । ऐसा होने पर विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने अथवा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा ।

(३) राज्य सरकार, उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के संबंध में उपकुलपति को संबोधित कर सकती है तथा उपकुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दे, कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) करेगा ।

(४) कार्यकारिणी परिषद् उपकुलपति द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, जिसे वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फलस्वरूप करना चाहे, या जो उसने की हो, ज्ञापित करेगी ।

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करें, तो राज्य सरकार उक्त प्राधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण (explanation) अथवा अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे आदेश प्रचारित करेगी जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय प्राधिकारी उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे ।

संबद्ध कालेजों का निरीक्षण।

९—(१) राज्य सरकार, स्वतः अथवा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् की सिफारिश से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, किसी भी संबद्ध कालेज, उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अथवा छात्रावास और उस कालेज द्वारा किये जाने वाले अध्यापन-कार्य का निरीक्षण और कालेज से सम्बन्धित किसी विषय की समान रीति से जांच (enquiry in the like manner) करवा सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेज को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है । ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और कालेज के प्रबन्धक को अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियों को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार चाहे तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि भी उन व्यक्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हों ।

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय ।

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्य नहीं करता तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके, ऐसे आदेश प्रचारित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और प्रबन्धक तुरन्त ही ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा ।

१०—विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे:—

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

(१) कुलपति (Chancellor);
(२) उपकुलपति (Vice-Chancellor);
(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer);
(४) प्रस्रोता (Registrar);
(५) छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare);
(६) फैकल्टियों के डीन (Dean of Faculties), और
(७) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(१) कोर्ट
(२) कार्यकारिणी परिषद् (Executive Council);
(३) परामर्श-समिति (Committee of Reference);
(४) विद्वत् परिषद् (Academic Council);
(५) फैकल्टियों के बोर्ड (Boards of Faculties);
(६) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये निर्वाचन समितियां (Selection Committees);
(७) डेलीगेसी, तथा
(८) अन्य ऐसे प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं ।

कुलपति

११-(क) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। वह पदेन के विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (Head) तथा कोर्ट का सभापति (President) होगा और उपस्थित रहने पर वह विश्वविद्यालय के कोर्ट की और दीक्षान्त समारोह (convocation) के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।

उपकुलपति

१२—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (Whole-time) पदाधिकारी होगा और इस धारा में विहित रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) उपकुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं, और नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(३) उपकुलपति ५ वर्ष के लिए पदासीन रहेगा किन्तु किसी भी समय कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से कि वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता है कुलपति को कम से कम ६० दिन पूर्व दिया जायगा।

(४) कोई भी व्यक्ति जो, उपधारा (८) में अभिदिष्ट रिक्ति (vacancy) से भिन्न दशा में उपकुलपति के पद पर किसी भी समय पहले आसीन रहा हो, पुनर्नियुक्ति का पात्र न होगा।

(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक से, जब से उपकुलपति का पद रिक्त होने वाला हो, यथाशक्य कम से कम ४० दिन पूर्व तथा जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे, रिक्ति की पूर्ति के निमित्त ऐसे व्यक्ति के नाम का निर्णय करने के प्रयोजन से अधिवेशन करेगी जिसकी सिफारिश करनी हो। यदि इस अधिवेशन में कार्यकारिणी परिषद् सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय करे तो उसके नाम की सिफारिश कुलपति से की जायगी जो उसको नियुक्ति कर देगा, तथा यदि वह सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय करने में असफल रहे तो परिषद् अनुवर्ती (following) दस दिनों के भीतर फिर अधिवेशन करने के निमित्त स्थगित हो जायगी। यदि स्थगित अधिवेशन में, कार्यकारिणी परिषद्—

(क) सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय करे तो कुलपति के पास उस नाम की सिफारिश की जायगी और वह उसकी नियुक्ति कर देगा;

(ख) सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय न कर सके तो वह उसी अधिवेशन में कुलपति के पास सिफारिश करने के लिए तीन व्यक्तियों से अनधिक (not more than three) के नाम का निर्णय करेगी;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि एतदर्थ तीन से अधिक नाम प्रस्तावित किये जायं तो वह उनमें से तीन नाम एकल-संक्रमणीय मत से (according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित कर लेगी। इस प्रकार निर्वाचित किये गये नामों की सिफारिश कुलपति से की जायगी।

(६) उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर कुलपति स्वविवेक (in his discretion) से—

(क) उन व्यक्तियों में से, जिनकी कार्यकारिणी परिषद् ने सिफारिश की हो, किसी एक को उपकुलपति नियुक्त कर सकता है, अथवा

(ख) उन नामों को कार्यकारिणी परिषद् के पास पुनर्विचारार्थ वापस भेज सकता है ।

(७) यदि कुलपति उपधारा (६) के खंड (ख) के अधीन पुनर्विचारार्थ नाम वापस भेजे तो कार्यकारिणी परिषद् को पूर्ण अधिकार होगा कि वह—

(क) सर्वसम्मति से निर्णीत किसी एक व्यक्ति के नाम की कुलपति से सिफारिश करे, और ऐसी दशा में कुलपति द्वारा वह व्यक्ति नियुक्त किया जायगा जिसके नाम के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्णय किया गया हो ; अथवा

(ख) सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति का नाम अनिर्णीत होने की दशा में उन्हीं नामों की, जिनकी उसने पहले सिफारिश की थी, अथवा तीन से अनधिक ऐसे किन्हीं नामों की सिफारिश करेगी जो उपधारा (५) में वर्णित रीति से निर्णीत किये जायंगे, और तत्पश्चात् कुलपति उन व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्ति करेगा जिनके नामों की इस प्रकार सिफारिश की गयी हो ।

(८) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्ति छः मास से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् से अपनी सिफारिशें भेजने का अनुरोध करेगा, तथा उपधारा (१), (५), (६) और (७) के उपबन्ध रिक्ति-पूर्ति के संबंध में यथाशक्य लागू होंगे । अन्य दशाओं में कार्यकारिणी परिषद कुलपति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, या तो उपकुलपति नियुक्त कर सकती है या उस पद का कार्य चलाने के लिए ऐसा अन्य प्रबन्ध कर सकती है जो वह उचित समझे ।

(९) जब तक कि उपधारा (८) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक रजिस्ट्रार उपकुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय-प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापत्वि नहीं करेगा ।

उपकुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य ।

१३—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में कोर्ट के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा । वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकारी (authority) या संस्था के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण उसे उस सभा में मत देने का अधिकार न होगा।

(२) उपकुलपति का कर्त्तव्य यह होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ३१ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उपकुलपति को कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है ।

(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेजों के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) उपकुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही कर सकता है और जब कभी आवश्यक हो उसे निलम्बित (suspend) भी कर सकता है । यदि उपकुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की गई हो और मामला उसके मतानुसार—

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन-वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड (punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emoluments) देन आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ;

(ख) ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो, तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायंगे, और जिनमें एक उच्च न्यायालय का जज हो या रहा हो, उसकी जांच करेगा ।

(६) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, कुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी परिषद् को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करेगा। यदि उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन उपकुलपति तथा उसके साथ संयुक्त रूप से जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली सिफारिशों के संबंध में कोई मतभेद हो तो सिफारिशें बहुमत के अनुसार व्यक्त की जायंगी। कार्यकारिणी परिषद् प्रतिवेदन (report) में की गयी सिफारिशों के अनुसार—यदि वह उनसे असहमत नहीं है—आज्ञा देगी । असहमत होने की दशा में कार्यकारिणी परिषद् अपनी सिफारिशों के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे सकेगा, जिसे वह उचित और आवश्यक समझे ।

(७) किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति (emergency), में जिनमें उपकुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से

उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा, जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ।

(८) यदि उपधारा (५) के खंड (क) या उपधारा (७) के अधीन उपकुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो, १५ दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील कर सकता है ।

(९) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दी गयी आज्ञाओं को उपकुलपति कार्यान्वित करेगा ।

(१०) उपकुलपति दीक्षान्त समारोह में ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो वह ही किन्हीं या समस्त उपाधियों को प्रदान करेगा ।

(११) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं ।

१४—(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त कोषाध्यक्ष किया जायगा :—

(क) कार्यकारिणी परिषद् यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी ।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारिणी परिषद् में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो, तो परिषद् इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी, किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित करेगी ।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो । अन्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा, जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों ।

(२) कोषाध्यक्ष ६ वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर भी उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय । उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक (यदि कोई हो) मिलेगा, जो परिनियमों द्वारा नियत किया जाय ।

(३) धारा १२ की उपधारा (२), (३), (८) तथा (९) में उल्लिखित त्याग-पत्र, पारिश्रमिक से भिन्न सेवा की अन्य शर्तों, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन संबंधी व्यवस्थाएं, आवश्यक परिवर्तनों सहित, कोषाध्यक्ष के पद के संबंध में लागू होगी ।

(४) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा विनियोजित धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देगा । वह वार्षिक तखमीनों (जिन्हें इस अधिनियम में बजट कहा गया है) तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(५) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा—

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनियोजन (investment) के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में कोई ऐसा व्यय न किया जाये जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जो किसी परिनियम या अध्यादेश के निबंधों (terms) का उल्लंघन करे, या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो ।

रजिस्ट्रार

१५—(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसे कार्यकारिणी परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर (consist) संगठित निर्वाचन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगी—

(१) उपकुलपति;

(२) कुलपति द्वारा नाम-निर्देशित एक शिक्षाविद् (educationist); तथा

(३) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Public Service Commission, Uttar Pradesh) का अध्यक्ष (Chairman) या उसके द्वारा एतदर्थ नाम-निदशित कोई सदस्य ।

(२) रजिस्ट्रार को देय वेतन और भत्ते अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे ।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत्परिषद्, वित्त समिति, निर्वाचन समितियों तथा परामर्श समिति (Committee of Reference) का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य-संपादन के लिये आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो जो नियत किये जायं अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी सभा अथवा उपकुलपति द्वारा अपेक्षित हों ।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ अन्य आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(५) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त, जिसको व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो किसी पारिश्रमिक के प्रदान का प्रस्ताव किया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा।

१६—(१) कोर्ट निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:— कोर्ट

वर्ग १—पदेन सदस्य

(१) कुलपति, उपकुलपति, कोषाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी जो नियत किये जायं;

(२) उत्तर प्रदेश सरकार के वे मंत्री जो नियत किये जायं;

(३) राज्य सरकार के वे अधिकारी, जिनमें शिक्षा, उद्योग तथा कृषि के संचालकगण यथा यदाभिदेशन (with reference to the offices) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो नियत किये जायं;

(४) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य।

वर्ग २—आजीवन सदस्य

(५) गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसीडेंट;

(६) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय एवं विद्या के प्रति की गई महती सेवाओं के आधार पर कुलपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायं;

(७) वे सभी व्यक्ति जो पूरे एक कार्यकाल (term) के लिए विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हों;

(८) वे सभी व्यक्ति, जिन्होंने विश्वविद्यालय के प्रति, अथवा प्रयोजनों के निमित्त, ऐसी धनराशि दान में दी हो, जो एतदर्थ नियत की जाय।

वर्ग ३

(९) ऐसे अध्यापकों के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं;

(१०) आवासिक इकाइयों (residential units) एवं बहिर्द्वार कार्यकलापों (extra-mural activities) के निरीक्षण कर्मचारिवृन्द (supervisory staff) के प्रतिनिधि;

(११) कालेजों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधि।

वर्ग ४

(१२) पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो नियत किये जायं, एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायं।

वर्ग ५—दानदाता एवं उनके प्रतिनिधि

(१३) वे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के प्रति अपने दान के कारण निर्दिष्ट अवधि के लिये परिनियमों के अधीन सदस्य होने के अधिकारी हों;

(१४) उन व्यक्तियों, संगठनों या व्यक्ति-समुदायों (bodies of individuals) के प्रतिनिधि, जो विश्वविद्यालय के प्रति अथवा प्रयोजनों के लिए, ऐसी धनराशि का जो नियत की जाय, दान(donations) अथवा वार्षिक अंश-दान देने के उपलक्ष में परिनियमों के अधीन प्रतिनिधित्व के अधिकारी हों ।

वर्ग ६—

(१५) उद्योग, वाणिज्य, कृषि तथा प्रक्षेत्र (region) की विद्वत्सं स्थाओं (learned bodies) तथा विद्वत्वृत्तियों (learned professions) का प्रतिनिधित्व करने वाले ४ से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्देशित करें ।

वर्ग ७—उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रतिनिधि

(१६) राज्य की विधान परिषद् द्वारा चुने जाने वाले उसके दो सदस्य;

(१७) राज्य की विधान सभा द्वारा चुने जाने वाले उसके पांच सदस्य ।

वर्ग ८

(१८) कुलपति के ८ से अनधिक नाम निर्देशित व्यक्ति ।

वर्ग ९

(१९) गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी द्वारा अपने में से चुने गये व्यक्ति;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से १५ वर्ष की समाप्ति पर यह मद (item) निष्प्रभाव हो जायगी तथा तद्नन्तर्गत प्रति-निधित्व उसी प्रकार उस दिनांक से समाप्त हो जायगा ।

(२) पदेन एवं आजीवन सदस्यों को छोड़कर सदस्यों की कुल संख्या १०० से अधिक नहीं होगी ।

(३) उन सदस्यों की संख्या जो विश्वविद्यालय, या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में हों, सामान्यतया अन्य सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(४) वर्ग १ तथा २ को छोड़ कर शेष सभी वर्गों के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की रीति तथा उनका कार्यकाल इस अधिनियम में अन्यथा की गयी किसी व्यवस्था को छोड़कर, वह होगी, जो नियत की जाय ।

(५) कोर्ट, पदेन या आजीवन सदस्य से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, जो बिना पर्याप्त कारण के कोर्ट के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो ।

कोर्ट के अधिवेशन

१७—(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे उप-कुलपति निश्चित करेगा, कोर्ट का एक अधिवेशन होगा, जो कोर्ट का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा ।

(२) उपकुलपति जब भी उचित समझे कोर्ट का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और ऐसी लिखित अभियाचना (requisition), पर जिस पर कोर्ट के ३० से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह कोर्ट का विशेष अधिवेशन अवश्य बुलाएगा ।

कोर्ट के अधिकार तथा कृत्य ।

१८—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा (review) करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न हों तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनकी इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो । विशेषतया कोर्ट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्य का पालन करेगा:

(क) परिनियम (statutes) बनाना तथा उनका संशोधन एवं निरसन (repeal) करना;

(ख) अध्यादेशों (ordinances) पर विचार करना तथा उन्हें रद्द (cancel) करना;

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report), वार्षिक लेखा, बजट तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन संबंधी समान्य नीति विषयक किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना ।

कार्यकारिणी परिषद् ।

१९—(१) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय (executive body) होगी और निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:—

१—उप-कुलपति

२—कोषाध्यक्ष;

३—फ़ैकल्टियों के चार डीन;

४—छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare);

५—किसी सम्बद्ध कालेज का एक प्रिंसिपल;

६—विभागाध्यक्षों (Heads of Departments) से भिन्न विश्वविद्यालय के दो अध्यापक;

७—५ ऐसे व्यक्ति जो कोर्ट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से, जो विश्वविद्यालय, किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न हों, एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

८—कुलपति द्वारा नाम निर्देशित तीन व्यक्ति ।

(२) शीर्षक (५) तथा (६) के अधीन तथा फैकल्टियों के डीनों की संख्या ४ से अधिक होने पर शीर्षक (३) के अधीन सदस्यों के चुनने की रीति नियत की जायगी ।

(३) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार और कर्तव्य ।

२०—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना, उन पर नियंत्रण रखना तथा इस संबंध में सामान्य आदेश (general directions) प्रचारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना;

(ग) विशिष्ट उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रशासित करना (administers);

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(ङ) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप (fellowship) छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries), पदक (medals) तथा अन्य पारितोषिक (rewards) प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों को नियुक्त करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना;

(छ) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन करना;

(ज) कुलपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुये, निर्दिष्ट (specified) उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्ध करने की स्वीकृति देना तथा ऐसी संबद्धता (affiliation) को वापस लेना;

(झ) कालेजों, हालों तथा छात्रावासों और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उसका निर्देशन करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन करना;

(ट) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संसक्त सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine) तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे दिये गये अथवा उस पर आरोपित किये गये हों।

(२) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने के निमित्त एक समिति नियुक्त करेगी [जो एतद्पश्चात् वित्त समिति (Finance Committee) कहलायेगी] यह समिति कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी परिषद् के ४ सदस्यों—जिनमें से दो से अधिक विश्वविद्यालय या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न होंगें—से मिलकर बनेगी। कोषाध्यक्ष वित्त समिति का अध्यक्ष (Chairman) होगा।

(३) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक (recurring and non-recurring) व्ययों की उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो परामर्श समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों।

(४) विद्वत् परिषद् तथा संबद्ध फैकल्टियों के बोर्ड के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यकारिणी परिषद् अध्यापकों की संख्या, योग्यताओं एवं उपलब्धियों (emoluments) तथा परीक्षकों की नियुक्ति और परीक्षकों को देय शुल्क के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

(५) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के संकल्पों पर यथोचित् विचार करेगी, और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे और उसकी सूचना कोर्ट को देगी । यदि किसी दशा में कार्यकारिणी परिषद् किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह कोर्ट को यह सूचित करेगी कि वह किन कारणों के आधार पर ऐसा करने में असमर्थ है ।

(६) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो परिनियमों में निर्दिष्ट की जायेंगी, कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपने ऐसे अधिकार प्रतिनिधानित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे ।

परामर्श समिति

२१—(१) परामर्श समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—

१—उपकुलपति;

२—कोषाध्यक्ष;

३—कोर्ट के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक होगा तथा अन्य दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में हों;

४—दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्देशित करे ।

(२) उपकुलपति समिति का सभापति (Chairman) तथा रजिस्ट्रार सचिव (Secretary) होगा ।

(३) परामर्श समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resources) को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्ष के लिये कुल आवर्तक (recurring) तथा अनावर्तक (non-recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं ।

(४) परामर्श समिति किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित (revise) कर सकती है जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो ।

विद्वत् परिषद

२२—(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (academic body) होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण , अध्यापन तथा परीक्षा के स्तर तथा अन्वेषण (research) का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित किये जायं। उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों (academic matters) पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(२) विद्वत् परिषद् का संगठन ('constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्यकाल नियत किया जायगा, किन्तु सदस्यों की कुल संख्या ५० से अधिक न होगी।

२३—(१) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायं।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में अध्यापन के वे विभाग होंगे जो नियत किये जायं। विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय (subjects of study) अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किये जायंगे।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा, जिसका संगठन और जिसके अधिकार नियत किये जायंगे।

(४) प्रत्येक फैकल्टी के लिये एक डीन होगा जो फैकल्टी में पढ़ाये जाने वाले विषय के किसी विभाग का अध्यक्ष होगा, और जो ज्येष्ठता (seniority) को ध्यान में रखते हुये ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय।

(५) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से सम्बद्ध परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के निमित्त उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन तथा अन्वेषण के कार्यों के संगठन और संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो अपने विभाग में अध्यापन की व्यवस्था के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। विभाग का सब से ज्येष्ठ (seniormost) प्रोफेसर विभाग का अध्यक्ष होगा और यदि किसी विभाग में प्रोफेसर न हो तो विभाग का सब से ज्येष्ठ रीडर अध्यक्ष होगा।

(७) विभागाध्यक्षों के कर्त्तव्य, अधिकार और कृत्य अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

(८) एक या एकाधिक पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम और अध्ययन समितियों (Committees of Courses and Studies) की स्थापना की जायगी। इन समितियों का संगठन अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा।

डेलीगेसी

२४—किसी हाल या छात्रावास में, अथवा उसकी देख-रेख में न रहने वाले विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रबन्ध का अधीक्षण करने के निमित्त एक डेलीगेसी होगी। डेलीगेसी का संगठन, अधिकार और कर्तव्य नियत किये जायंगे।

बोर्ड

२५—विश्वविद्यालय ऐसे बोर्डों का संगठन करेगा जो नियत किये जायं। बोर्डों का संगठन, अधिकार तथा कृत्य अध्यादेशों में निर्धारित किये जायंगे।

अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति की रीति।

२६—(१) इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से की गयी किसी प्रतिकूल व्यवस्था को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा प्राधिकारियों (authorities) के सदस्यों को यथाशक्य निर्वाचिन से भिन्न रीतियों से चुना जायगा।

(२) यदि इस अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था की गयी हो तो ऐसा निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा किया जायगा, तथा यदि ऐसी व्यवस्था किसी परिनियम में की गयी हो तो यह निर्वाचन परिनियमों में नियत की गई रीति से किया जायगा।

(३) यदि इस अधिनियम या परिनियमों में बारी से (by rotation) या ज्येष्ठता (seniority) के अनुसार या अन्य किसी योग्यता के आधार पर किसी नियुक्ति की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसी बारी तथा ज्येष्ठता के अवधारण की रीति और अन्य योग्यतायें नियत की जायंगी ।

अध्यापकों की नियुक्ति ।

२७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक संबद्ध निर्वाचन समिति के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक प्रबन्धक द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायंगे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक प्रथमतः (in the first instance) परीक्षण पर (on probation) ऐसे काल तक रहेगा जो नियत किया जाय, तथा वह तब तक अपनी नियुक्ति पर पुष्ट (confirmed) न होगा जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय का अध्यापक होने की दशा में, उप-कुलपति और सम्बद्ध विभाग के अध्यक्ष तथा डीन के प्रतिवेदनों (reports) पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् इसकी आज्ञा न दे दे, तथा

(ख) संबद्ध कालेज का अध्यापक होने की दशा में, उस विषय के ज्येष्ठ अध्यापक तथा उस कालेज के प्रिंसिपल के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धक इसकी आज्ञा न दे दे ।

(३) कार्यकारिणी परिषद् दस मास से अनधिक अवधि के लिये किसी कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत किये जाने की दशा में रिक्त स्थान पर निर्वाचित समिति को बिना अभिदेश किये ही स्थानापन्न नियुक्ति (officiating appointment) कर सकती है । किन्तु वह अन्य किसी रिक्त या ऐसे पद की पूर्ति जिसके ६ मास से अधिक चलने की सम्भावना हो, बिना उक्त अभिदेश के, नहीं करेगी ।

(४) किसी ऐसे संबद्ध कालेज में जो केवल राज्य सरकार द्वारा ही संधारित न हो, किसी अध्यापक की प्रकृत नियुक्ति (substantive appointment) के लिये किये गये प्रत्येक निश्चय की सूचना प्रबन्धक द्वारा उस नियुक्ति के दिनांक से १५ दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा संबद्ध पत्रादि सहित उप-कुलपति को दी जायगी । यदि संबद्ध निर्वाचन समिति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उप-कुलपति किसी नियुक्ति का अनुमोदन न करे तो प्रबंधक द्वारा यह नियुक्ति यथाशक्य शीघ्र, किन्तु परीक्षण-काल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही, समाप्त कर दी जायगी ।

(५) प्रत्येक पाठ्य विषय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये एक निर्वाचन समिति होगी ।

(६) निर्वाचन समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कृत्य तथा नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया नियत की जायगी ।

सदस्यता सम्बन्धी अनुपूरक उपबन्ध ।

२८—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों (casual vacancies) की पूर्ति यथासुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्ति, निर्वाचित तथा संयोजित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्ति, निर्वाचित अथवा संयोजित व्यक्ति उसी शेष कार्यकाल तक के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जब तक कि पद रिक्त करने वाला व्यक्ति उसका सदस्य रहता ।

(२) यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहर का, तो वह विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य रहेगा जब तक वह उस अन्य निकाय का सदस्य बना रहे जिसके द्वारा वह नियुक्त या निर्वाचित हुआ था और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियों, रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी।

२९—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्यों की रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों में भाग लिया था, जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह सिद्ध हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी न था।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना।

३०—(१) कार्यकारिणी परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून (not less than) सदस्यों की सिफारिश पर कोर्ट किसी भी व्यक्ति का नाम पंजीवद्ध स्नातकों के रजिस्टर से हटा सकता है।

(२) कोर्ट किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि उस व्यक्ति का ऐसा अपराध सिद्ध हुआ है जो कोर्ट के मत में नैतिक पतन समन्वित एक गम्भीर अपराध (serious offence involving moral turpitude) है या कि वह अपवादजनक दुराचार (scandalous conduct) का दोषी है, या कि उसने ऐसे ढंग से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय है, तथा इन्हीं आधारों पर वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी व्यक्ति की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकता है।

३१—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विशेष विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि सदस्य निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो यह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय इस सम्बन्ध में अंतिम होगा।

समितियों का संगठन।

३२—यदि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो तो ये समितियां, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, सम्बद्ध प्राधिकारी के सदस्यों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों से (यदि कोई हों) जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक दशा में उपयुक्त समझे, मिल कर बनेंगी।

संबद्ध कालेज

३३—(१) किसी कालेज की सम्बद्धता की शर्तें वे होंगी जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियत या आरोपित की जायं।

(२) किसी भी कालेज के लिये उसी स्थान पर स्थित किन्हीं अन्य कालेजों या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग देने या प्राप्त करने की व्यवस्था करना वैध (lawful) होगा।

(३) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, किसी भी कालेज के प्रबन्धक कालेज के कार्यों के प्रबन्ध और नियंत्रण में स्वतन्त्र होंगे तथा उनके

संधारण और रख-रखाव (maintenance and upkeep) के लिये उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक कालेज का प्रिंसिपल उसमें यथोचित रूप से अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(४) प्रत्येक कालेज ऐसे प्रतिवेदन, विवरण तथा अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् स्वतः अथवा विद्वत् परिषद् के अनुरोध पर मांगे ।

(५) कार्यकारिणी परिषद् इस सम्बन्ध में अपने द्वारा प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से प्रत्येक कालेज का पांच वर्ष से अनधिक कालांतरों (intervals) में समय-समय पर निरीक्षण करवायेगी ।

(६) कार्यकारिणी परिषद् उक्त प्रकार से निरीक्षित किसी भी कालेज से निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने को कह सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(७) यदि कोई कालेज कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशों (directions) या सम्बद्धता की शर्तों का अनुपालन न करें तो परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार उसकी सम्बद्धता रद्द की जा सकती है ।

निवृत्ति-वेतन (pension) अथवा भविष्य निधि (provident fund) । ऐक्ट १९, १९२५

३४—(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं ऐसे निवृत्ति वेतन, बीमे तथा भविष्य की निधियों (pension, insurance and provident funds) की व्यवस्था कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे ।

(२) यदि उक्त कोई भविष्य निधि इस प्रकार स्थापित की जाय या यदि कुलपति द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन कोई कालेज भविष्य निधि स्थापित करे तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेन्ट फन्ड्स ऐक्ट, १९२५ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट फंड हो ।

सेवा की शर्तें

३५—उन दशाओं को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों में की गयी हो, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (written contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा । संविदा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास रखा जायगा तथा उसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक को दी जायगी । संविदा इस अधिनियम तथा परिनियमों और अध्यादेशों में सेवा की शर्तों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों से असंगत न होगा ।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ।

३६—विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से सम्बद्ध कोई विवाद उठने की दशा में सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Tribunal of Arbitration) के पास अभिदिष्ट किया जायगा । यह न्यायाधिकरण कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक या अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) से मिल कर बनेगा । न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीय विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई भी वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा । ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आर्बीट्रेशन

ऐक्ट, १९४० के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत की गयी प्रार्थना (submission to arbitration) समझी जायगी, तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़ कर उसके सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे।

परिनियम

३७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषत: निम्नलिखित के लिये व्यवस्था अवश्य की जायगी—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संगठन, उनके अधिकार तथा कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का, जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पदासीन रहना भी है, निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनकी अपने पद पर स्थिति तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से सम्बद्ध ऐसे अन्य सभी विषय, जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम (designation) उनकी नियुक्ति की रीति, उनके अधिकार तथा कर्तव्य;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये सेवा-निवृत्ति या भविष्य निधि की तथा बीमा योजना की स्थापना;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमों का स्थापन;

(छ) सामान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(ज) उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों (certificates) तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं (academic distinctions) का वापस लेना;

(झ) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण (amalgamation); उप-विभाजन (sub-division) तथा उनका बन्द किया जाना (abolition);

(ञ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हालों और छात्रावासों की स्थापना तथा उनका बन्द किया जाना;

(ठ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज तथा अन्य संस्थाएं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो सकें तथा जिनके अधीन उनकी संबद्धता वापस ली जा सके;

(ड) फेलोशिप, छात्रवृत्तियों, विद्यार्थी-वृत्तियों, पदकों तथा परितोषिकों का स्थापन;

(ढ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(ण) अन्य समस्त विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा इस अधिनियम में व्यवस्था होनी चाहिये या हो सकती है।

परिनियम कैसे बनाये जायंगे?

३८—(१) प्रथम परिनियम (Statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाये जायंगे किन्तु उनका पांडुलेख (draft) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष दस दिन तक, जब कि सदन का सत्र हो रहा हो, रखा जायगा और वे ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों एवं परिवर्द्धनों के अधीन बनाये जायंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों।

(२) इस धारा में आगे दी हुई रीति से कोर्ट समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त (repeal) भी कर सकता है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त, किसी भी परिनियम का पांडुलेख (draft) प्रस्तावित कर सकता है और ऐसे पांडुलेख पर कोर्ट की अगली बैठक में विचार किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का पांडुलेख प्रस्तावित नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की प्रस्थिति (Status), अधिकार या संगठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त मत पर कोर्ट विचार करेगा।

(४) कोर्ट उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी भी पांडुलेख को अनुमोदित कर सकता है, तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उस कार्यकारिणी परिषद् को अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित वापस कर सकता है, जिनका वह सुझाव दे।

(५) कोर्ट का कोई सदस्य कोर्ट के समक्ष किसी परिनियम का पांडुलेख प्रस्तावित कर सकता है, तथा कोर्ट या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है या उस पांडुलेख को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट कर सकता है। कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट को यह प्रतिवेदन (report) दे सकती है कि वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है या वह उक्त पांडुलेख को कोर्ट के पास उस रूप (form) में प्रस्तुत कर सकती है, जिसे वह अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत पांडुलेख पर इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट के पास प्रस्तावित पांडुलेख के विषय में प्रवृत्त होते हैं।

(६) किसी भी नये परिनियम या परिनियमों के परिवर्द्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन (repeal) पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते हैं।

अध्यादेश

३९—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुज्ञा इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गयी हो, तथा किसी अन्य विषय की जिसके लिये कार्यकारिणी परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolment) और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्य क्रम;

(ग) शर्तें जिनके अधीन उपाधियों (degrees), डिप्लोमों तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रवृष्टि किये जायंगे, तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों तथा हालों में आवास के लिये शुल्कों का लिया जाना;

(ङ) ऐसे हालों तथा छात्रावासों की अभिज्ञा (recognition) तथा प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं (qualifications), उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें [जिनके अन्तर्गत सेना निवृत्ति का वय (age of retirement) भी है] तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना;

(छ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिए लिये जा सकें;

(ज) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को कालेजों, हालों तथा छात्रावासों में शिक्षण के निमित्त अर्ह अभिज्ञात (recognized as qualifying) किया जाय;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायंगे, जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों;

(ठ) फेलोशिप, छात्रवृत्तियां (scholarships), विद्यार्थी वृत्तियां, (studentships) निर्धन छात्र-वृत्तियां (bursaries); पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय।

अध्यादेश कैसे बनाये जायंगे ?

४०—(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी इस धारा में कोई अन्यथा व्यवस्था की गई हो, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे परिषद् निर्दिष्ट करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा, जिससे—

(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर कोई प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य सरकार ने उस पर कोई आपत्ति न की हो;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के पाठ्यक्रम (degree courses) के निमित्त प्रवेश के लिये धारा ४१ की उपधारा (१) में उल्लिखित अतिरिक्त (further) अर्हताओं को निर्धारित करे जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो;

(ग) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति पर और उनके कर्तव्यों पर तथा किसी परीक्षा या पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि वह संबद्ध फैकल्टी या फैकल्टियों के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार न हो और साथ ही जब तक कि उसका पांडुलेख नियत रीति से विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित न हुआ हो; अथवा

(घ) विद्यार्थियों के निवास की शर्तों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि नियत की जाने वाली शर्तों का अनुपालन न किया जाय।

(२) कार्यकारिणी परिषद् को विद्वत् परिषद् द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का आधिकार नहीं होगा किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे, विद्वत् परिषद् के पास पुनर्विचार के लिये वापस कर सकती है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश तुरन्त कुलपति और कोर्ट को प्रस्तुत किये जायंगे और कोर्ट उन पर अपने आगामी अधिवेशन में विचार करेगा। कोर्ट को संकल्प द्वारा, जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से निरर्थक (void) हो जायगा।

(४) कुलपति, कोर्ट द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किसी भी समय कोर्ट तथा कार्यकारिणी परिषद् को यह सूचना दे सकता है कि उसने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उक्त अनुज्ञा के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

(५) कुलपति यह आदेश दे सकता है कि किसी आध्यादेश का प्रवर्तन (operation) उस समय तक के लिये निलंबित (suspended) रहेगा जब तक कि उसे अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय। इस उपधारा के अधीन निलंबन की आज्ञा, ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या कोर्ट द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायेगी।

(६) यदि कार्यकारिणी परिषद ने विद्युत् परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो, तो विद्युत् परिषद् कोर्ट के समक्ष अपील कर सकती है और यदि कोर्ट कार्यकारिणी परिषद के विचार प्राप्त करने के पश्चात् पांडुलेख को अनुमोदित करे, तो वह अध्यादेश बना सकता है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है।

विनियम

४१—(१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (regulations) बना सकते हैं जिनमें:—

(क) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले हों; और

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उक्त प्राधिकारियों या बोर्डों से संबंध रखते हों, और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में व्यवस्था न की गई हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों का; जिन पर अधिवेशन होंगे और ऐसे कार्य का जिस पर अधिवेशनों में विचार किया जायगा, नोटिस देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख (record) रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी परिषद् ऐसी रीति से, जिसे वह निर्दिष्ट करे कोर्ट से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन या उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का आदेश दे सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या बोर्ड जो ऐसे आदेश से असंतुष्ट हो, कुलपति के समक्ष अपील कर सकता है। कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी आज्ञा पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

(४) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्वत परिषद् सम्बद्ध फैकल्टी के बोर्ड से तत्सम्बन्धी पाँडुलेख प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है।

विद्वत परिषद फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है या उसे अपने सुझावों सहित, और अधिक विचार करने के लिये बोर्ड को वापस कर सकती है।

विद्यार्थियों का प्रवेश।

४२—(१) विद्यार्थी किसी भी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने के पात्र न होंगे, जब तक कि उन्होंने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा निगमित किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड की इंटरमीडियेट परीक्षा, या विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष अभिज्ञात (recognized) कोई परीक्षा पास न कर ली हो, तथा वे ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें यदि कोई हों, न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(२) विश्वविद्यालय, कुलपति की पूर्व स्वीकृति, बिना किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी उपाधि के समकक्ष, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई-स्कूल एंड इन्टरमीडियेट एज्केशन, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडियेट परीक्षा के समकक्ष (किसी उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के निमित्त) अभिज्ञात न करेगा।

विद्यार्थियों की निवास-व्यवस्था।

४३—(१) हाल और छात्रावास ऐसे होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय संधारित करे अथवा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् ऐसी सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर अनुमोदित तथा अभिज्ञात करे जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं। विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हालों तथा छात्रावासों का नाम परिनियमों में उल्लिखित किया जायगा।

(२) हालों और छात्रावासों के वार्डन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् को ऐसे छात्रावास या हाल की अभिज्ञा (recognition) को निलंबित करने या वापस लेने (suspend or withdraw) का अधिकार होगा जो नियत शर्तों के अनुसार संचालित न किया जाय:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी कार्यवाही उस समय तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे हाल या छात्रावास के प्रबन्धक को ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया जाय जिसे वह उचित समझे।

परीक्षायें

४४—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परीक्षाओं के संचालन के समस्त प्रबन्ध विद्वत् परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किये जायेंगे जो इस अधिनयम द्वारा या उसके अधीन निर्धारित की जाय।

(२) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से अपना कार्य करन में असमर्थ हो तो उपकुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिये परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति का प्रतिवेदन (report) कार्यकारिणी परिषद को दिया जायगा।

(३) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त परीक्षकों की यथाशक्य आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय या कालेज की सेवा में न हों।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का बोर्ड फैकल्टी को निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विषय के लिये एक परीक्षा समिति (Examination Committee) नियुक्त करेगा। समिति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिन्हें बोर्ड, विद्वत परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुये अपने सदस्यों में से या बाहर से नियुक्त करे। समिति को परीक्षा के प्रश्नपत्रों का परिमार्जन करने (to moderate) परीक्षा के अभ्यर्थियों (candidates) द्वारा प्रस्तुत कार्य के गुण दोषों

(qualities) की समीक्षा करने (review), साफल्यस्तर (standard of attainment) के संबंध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी भी विषय के संबंध में सिपारिशें करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा की गई कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन या सिपारिश विद्वत परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायगी।

वार्षिक प्रतिवेदन

४५---विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन (annual report) कार्यकारिणी परिषद के निर्देशाधीन तैयार किया जायगा तथा कोर्ट को वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा, और कोर्ट उस पर अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगा। कोर्ट उस पर संकल्प पारित कर सकता है तथा उन्हें कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) कर सकता है।

लेखे और लेखे की परीक्षा (audit)।

४६---(१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और पक्का चिट्ठा (Balance Sheet) कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त हुई (accruing to or received by) समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां, जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायंगी।

(२) लेखे और पक्के चिट्ठे की एक-एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी, जो उत्कृष्ट कोटि के लेखा-परीक्षकों (auditors of high standing) द्वारा उसकी लेखा-परीक्षा करवायेगी।

(३) लेखा परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन (audit report) की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायंगी।

(४) राज्य सरकार के लिये यह बैध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विषय में यह पता चले कि उसने बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुये कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि को भरपाई करे (re-imburse), और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक के पूर्व जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(६) नये व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो नियत धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो, और जिसे बजट में सम्मिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा परामर्श समिति (Committe of Reference) को अभिदिष्ट की जायगी, जो उसके संबंध में अपनी सिपारिशें कर सकेगी।

(७) परामर्श समिति की सिपारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् कार्यकरिणी परिषद् बजट को अंतिम रूप से अनुमोदित करके इन सिपारिशों सहित कोर्ट को प्रस्तुत करेगी।

(८) वार्षिक लेखे और बजट पर कोर्ट अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगा, और इसके संबंध में कोर्ट संकल्प पारित कर सकेगा और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) के अधीन परामर्श समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् और परामर्श समिति में मतभेद हो तो उसके संबंध में कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा।

(९) उस दशा को छोड़कर जब धारा २० की उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन उपलब्ध किसी निधि में से कोई व्यय किया जाय, उप-कुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिये यह बंध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे, जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गयी हो।

संक्रमण का नि उपबन्ध

४७--(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी, गोरखपुर की समस्त चल और अचल सम्पति तथा समस्त अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व उक्त सोसाइटी के स्वामित्व में थे, या उसमें निहित थे, विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगे तथा ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होंगे जिनके निमित्त यह विश्वविद्यालय निगमित किया जाता है ।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से, उक्त सोसाइटी के समस्त ऋण और दायित्व इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित और संपर्कित (attached) हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा चुकाये और निस्तारित (discharged and satisfied) किये जायेंगे।

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कृत या निष्पादित किसी वसीयत (will), विलेख (deed) या अन्य लेख (document) का, जिसमें उक्त समिति के पक्ष में कोई रिक्थदाय (bequest) दान या न्यास हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानो उसमें उक्त सोसाइटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम उल्लिखित हो ।

४८--इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी--

(क) कालेज के किसी भी विद्यार्थी को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व आगरा युनिवर्सिटी की किसी भी परीक्षा के निमित्त अध्ययन कर रहा हो, तदर्थ तैयारी करने के लिये पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायेगी, तथा विश्व-विद्यालय और कालेज उस विश्वविद्यालय की अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार उस विद्यार्थी के शिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा, तथा

(ख) जब तक ऐसी परीक्षा की व्यवस्था न की जाय, तब तक ऐसा कोई विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकेगा तथा उसे उस यूनिवर्सिटी की वह उपाधि प्रदान की जा सकेगी जिसके लिये वह परीक्षा-फलों के आधार पर अर्हता प्राप्त करे ।

४९—इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है और उसकी नियुक्ति धारा १२ की उपधारा (१), (२) तथा (३) में किसी बात के होते हुये भी गोरखपुर, यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी की सिपारिश पर कुलपति २ वर्ष की अवधि के लिये करेगा।

५०—(१) इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय तथा उस समय तक जब तक विश्वविद्यालय प्राधिकारी यथावत् संगठित न हो जाय—

(क) कोषाध्यक्ष कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(ख) विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कुलपति की पूर्व स्वीकृति से उपकुलपति द्वारा की जा सकेगी।

(ग) प्रत्येक विषय की मंत्रणा समिति (Advisory Committee) की सिपारिशों पर विचार करने के पाश्चात् कुलपति विश्व-विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति कर सकेंगे। मंत्रणा समिति में उपकुलपति तथा सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें कुलपति उन व्यक्तियों में से चुनेंगे जिनके नाम वे किन्हीं भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा निकायों (academic bodies) से प्राप्त करेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियां तीन वर्ष के परीक्षण (probation) पर होंगी।

५१—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा—

(क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई परिनियम ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर (expedient) समझे, प्रभावी होंगे, अथवा

(ख) आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य, शक्तियां तथा कृत्य उस समय तक तब तक कि उक्त प्राधिकारी यथोचित रूप से संगठित न हो जायें, किसके द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे

(ग) किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे ही अन्य अस्थायी उपबंध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से चौबीस मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधिक न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई जिसका उक्त उपधारा में अभिदेश है, विद्यमान नहीं थी या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी।

उद्देश्य तथा कारण

गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की निरन्तर मांग रही है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी, जिसमें अनेक जिलों के सदस्य सम्मिलित हैं; विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य को अग्रसर करने के निमित्त सक्रिय रूप से कार्य करती रही है और उसने बहुत कुछ धनराशि एकत्रित कर ली है। इस सोसाइटी ने सन् १९५० में ही विधेयक का पांडुलेख प्रस्तुत किया था जो तब से सरकार के विचाराधीन रहा है। गोरखपुर में ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना से, जिसे समीपवर्ती क्षेत्रों के कालेजों को संबद्ध करने का अधिकार प्राप्त हो, आगरा विश्वविद्यालय का, जिसके ऊपर निस्संदेह एक विश्वविद्यालय की निर्वहन शक्ति से कहीं अधिक भार है, कार्यभार हल्का हो जायगा। इस विश्वविद्यालय को ग्रामीण स्वरूप देना अभिप्रेत था जिससे कि वह उस क्षेत्र के आर्थिक साधनों तथा समस्याओं के अनुरूप बन सके। किन्तु प्रस्तुत विधेयक में इस विषय में विश्वविद्यालय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और उसे स्वेच्छानुसार अपने कार्यों को नियोजित करने की स्वतंत्रता दी गयी है।

तदनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री

पी० एस० ग्र० पी० ए० पो०—२०२ एल० ए०—१९५६—७९६।